खण्ड-187, अंक-7
मंगलवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(10 सितम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	५८७
इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	५८८–५९५
उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज व विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन की सूचना	५९५
अगले दिन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की प्रार्थना	५९५–५९६
नत्थियां	५९७–६१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२९०)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जयगोपाल , डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जागेश्वर, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दाताराम, चौधरी
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरी दीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रताप भानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बादामसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री

मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (बीरी)

शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

मंगलवार, १० सितम्बर, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा लिये गये ऋण का प्रयोग

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को सरकार द्वारा सन् १९५५-५६ तथा फरवरी, १९५७ तक कितना रुपया कर्ज के रूप में दिया गया और उससे कितना कार्य अब तक हुआ ?

स्वशासन मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—इलाहाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को, सन् १९५५-५६ तथा फरवरी, १९५७ तक, अल्पाय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत आठ लाख रुपया ऋण के रूप में दिया गया, जिससे ७६ चार कमरे वाले मकान बनाये गये और ५२ व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये कर्ज दिया गया। इसी योजना के अन्तर्गत भूमि विकास हेतु ४०,००० रुपया दिया गया जिससे ११ एकड़ भूमि का विकास किया गया।

*२-३—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट:—तारांकित प्रश्न १ श्री रामायण राय ने पूछा।

आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज–गोला सड़क के निर्माण के लिए प्रार्थना

*४––श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)––क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की ओर से मूलतः आजमगढ़ जिले में मऊ–यूसुफपुर सड़क के अतिरिक्त बिलरियागंज गोला चौदह मील नई पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव था कि नहीं? यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त नव-निर्माण को किन-किन आधारों पर रक्खा था?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)––प्रथम भाग–जी हां।

द्वितीय भाग––कथित मार्ग के बिलरियागंज से रौनापार तक ७ मील के नव-निर्माण को जिला नियोजन समिति ने चतुर्थ प्राथमिकता दी थी। अतः इस मार्ग को गोला बाजार तक बढ़ा कर पूरी १४ मील की लम्बाई योजना में सम्मिलित कर ली गई थी जिससे आजमगढ़ से गोला बाजार तथा खजनी, रुद्रपुर होते हुये गोरखपुर तक एक पूरा मार्ग हो जाये।

*५––श्री मुक्तिनाथ राय––क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलरियागंज गोला की प्रस्तावित सड़क बाद में द्वितीय योजना से निकाल दी गई। यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारी लाल––प्रथम भाग––जी हां।

द्वितीय भाग––योजना की धनराशि में कटौती हो जाने के कारण।

*६––श्री मुक्तिनाथ राय––क्या सरकार बिलरियागंज–गोला सड़क आजमगढ़–गोरखपुर को द्वितीय योजना में पुनः रखने के सम्बन्ध में प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारी लाल––जब तक योजना की धनराशि न बढ़ जाय, इस सड़क को योजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय––क्या सरकार को मालूम है कि यह सड़क गोरखपुर और आजमगढ़ जिलों के पिछड़े हुये भू-भाग में है और उससे गोलाघाट का हजारों मन माल आता-जाता है?

श्री गिरधारी लाल––इसी वजह से सड़क को प्लान में लिया था, लेकिन धन की कमी के कारण इसे काट दिया गया।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)––क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सड़क से गोला बाजार में हजारों मन व्यापार का माल हर साल आता जाता है?

श्री अध्यक्ष––इसका जवाब दिया जा चुका है।

सेक्रेटरीज, जिला बोर्ड तथा नगरपालिका एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के सेवा नियमों में परिवर्तन का विचार

*७––श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––क्या स्वशासन मंत्री बतायेंगे कि सेक्रेटरी जिला बोर्ड व एक्जीक्यूटिव आफिसर म्युनिसिपल बोर्ड की नौकरियों (Services) के Provincialization करने अथवा Transferable बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव––जिला बोर्डों के सेक्रेटरियों का मामला विचाराधीन है। जब तक KAVAL नगरों के नगरपालिकाओं के एक्जीक्यूटिव अफसरों का और जिला बोर्डों के सेक्रेटरियों का मामला तय न हो जाय तब तक सरकार और नगरपालिकाओं के एक्जीक्यूटिव अफसरों की नौकरियों को Provincialize या Transferable बनाने में अलग से कदम नहीं उठायेगी।

*८--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या स्वशासन मंत्री बतायेंगे कि जब से सरकार ने अध्यक्षों को म्युनिसिपल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव अफसर को मुअत्तल करने का अधिकार दिया है तब से कितने एक्जीक्यूटिव अफसर मुअत्तल किये गये और बाद में पुनः बहाल किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड के सेक्रेटरियों का मामला सन् १९४८ से विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह मामला काफी समय से विचाराधीन अवश्य है लेकिन जबतक जिला बोर्डों के पुनर्गठन का मामला तय न हो जाय, तब तक इस पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्री अध्यक्ष जी के नाम से कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिश के अनुसार यह सेक्रेटरियों आदि की योजना कैसी चल रही है ? इस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ये सब बातें विचाराधीन हैं लेकिन खेर कमेटी का सुझाव तो यह था कि एक प्रदेशीय कमेटी बना दी जाय जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के सभी कर्मचारी आ जावें । सरकार की राय ऐसी नहीं है । इस पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या जिला बोर्ड व म्युनिसिपल बोर्डों के एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के प्रश्न को जनरल कांस्टीट्यूशन के प्रश्न से अलग कर सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो निवेदन कर दिया कि विचार हो रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने कोई फैसला जिला बोर्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कर लिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी फैसला नहीं किया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या प्रश्न ८ की सूचना एकत्रित कर सरकार सदन के सम्मुख उत्तर देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--अवश्य ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमेटी की इस सिफारिश को कि प्राविंशियल सर्विसेज बोर्ड लोकल बाडीज का बना दिया जाय, न मानने का क्या कारण है ?

स्वशासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--सारा सवाल विचाराधीन है । इसलिये न मानने का सवाल नहीं उठता है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या प्राविंशियल एक्जीक्यूटिव एसोसियेशन आफिसर्स की कांफ्रेंस ने सरकार से मांग की है कि एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को पोस्ट्स को प्राविंशलाइज कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--हां, ऐसी मांग की थी और सरकार ने जवाब दे दिया है कि इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिला बोर्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निश्चय करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह बतलाना सम्भव नहीं है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---जिला बोर्ड के रिआर्गेनाइजेशन का मामला तो चल रहा है लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड के, जिनका कानून कई मर्तबा दोहराया जा चुका है, एग्जीक्यूटिव आफिसर्स और सेक्रेटरीज की पोस्ट्स को प्राविंशलाइज करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया है कि दोनों को एक साथ करना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि अभी कुछ दिन हुये माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि १५,२० दिन में जिला बोर्डों के पुनर्गठन का फैसला सदन को बता दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ऐसी आशा थी लेकिन मुझे दुख है कि मैं उसमें सफल नहीं हो सका ।

*९-१०---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*११-१३---रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५९-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोंडा जिले में राप्ती नदी पर सिसई पुल को पक्का बनाने की प्रार्थना

*१४---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बलरामपुर के पास राप्ती नदी पर सिसई पुल को पक्का बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

*१५---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---यदि हां, तो सरकार इस पुल को कब से बनाना शुरू करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१६---श्री नारायणदत्त तिवारी---[१७ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१७---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८-१९---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२२---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

सीतापुर जिले में पंचायत-कर की वसूली

*२३---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में अब तक कितने वर्षों का पंचायत कर वसूल नहीं किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सीतापुर जिले में प्रत्येक वर्ष में निर्धारित पंचायत कर की वसूली की गई है । परन्तु कुल मांग का ५० प्रतिशत ही वसूल हुआ है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बतावेगी कि ५० प्रतिशत ही क्यों वसूल किया गया है? बाकी क्यों बाकी है?

श्री रामस्वरूप यादव—वसूल किया नहीं गया है, वसूल हुआ है। मजबूरी है कि सब वसूल नहीं हो सका।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इन पंचायत टैक्सों के वसूल करने में सरकार की नीति क्या है?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं है। नीति तो वसूल करने की रहती है, और क्या रहती है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—अभी बतलाया गया कि सिर्फ ५० प्रतिशत वसूली है और कहा गया है कि कहीं कई साल से बाकी पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—तो आप ठीक तरह से प्रश्न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं सरकार की पालिसी जानना चाहता हूं कि क्या उस वसूलयाबी में वह लीनियेंसी बरतती है या सख्ती?

श्री रामस्वरूप यादव—सख्ती नहीं बरतना चाहती है, प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वसूल हो जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—बकाया को वसूल करने की क्या कोशिश की जा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—अमीन नियुक्त किये जाते हैं और पंचायत के प्रधान व सेक्रेटरी वगैरह से कहा जाता है कि भरसक कोशिश करें, अगर टैक्स नहीं दें, तो चन्दे के रूप में अगर देने के लिए तैयार होंगे तो चन्दा लेकर टैक्स समझ लिया जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिले की जिन पंचायतों का जो पंचायत कर बाकी है उनमें से कुछ पंचायतों ने उसकी मुआफी का प्रस्ताव भी पास करके भेज दिया है?

श्री रामस्वरूप यादव—पूरे गांव की मुआफी का तो प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हों जिन पर गलत कर निर्धारित हुआ है, वे पंचायत अधिकारी को आवेदन-पत्र दे सकते हैं और वही मुआफ हो सकता है।

*२४—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

रुहेलखंड डिवीजन के कमिश्नर के फैसलों के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों के रिट पेटीशन्स

*२५—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में कितने सरकारी कर्मचारियों में रुहेलखंड डिवीजन के कमिश्नर के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पेटीशन दायर किये, उनमें से कितने कामयाब हुये?

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध करने में जो व्यय तथा परिश्रम होगा, वह परिणाम से संगत न होगा।

श्री शिवराजबहादुर—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसमें कितना सर्फा हो जायगा?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह तो पहले नहीं बताया जा सकता लेकिन खयाल यह है कि इसमें जरूर काफी सर्फा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर! श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके द्वारा किसी प्रश्न को नियमानुकूल स्वीकार किये जाने के बाद क्या सरकार इस प्रकार का उत्तर दे सकती है कि इसका उत्तर दिया जाना गैर जरूरी है या उस पर अपव्यय होगा?

श्री अध्यक्ष—जब सरकार यह कर सकती है कि वह कुछ उत्तर ही न दे, बैठी ही रह जाय, तो इस समय कुछ तो उत्तर मिला ही। इसलिए अगर वह समझती है कि उसमें ज्यादा खर्चा होगा, तो सूचना इकट्ठा नहीं करती है और यही उसका जवाब है।

ललितपुर, जिला झांसी में स्पेशल मैजिस्ट्रेट का रिक्त स्थान

*२६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मऊरानीपुर व ललितपुर (झांसी) में स्पेशल मैजिस्ट्रेटों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मऊरानीपुर में आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट की कोई अदालत नहीं थी, अतः ऐसे स्थान का रिक्त होने का प्रश्न नहीं उठता। ललितपुर का स्थान अवश्य रिक्त है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि पिछली लड़ाई के वक्त तक मऊरानीपुर में बराबर मैजिस्ट्रेट मुकर्रर होते रहे हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सम्भव है, लेकिन उसके बाद में जब का यह सवाल है उस समय मैजिस्ट्रेट वहां मुकर्रर नहीं हो रहे थे, इसलिए उनके स्थान रिक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि दो साल हुए झांसी जिला ऐडवाइजरी कमेटी ने वहां पर एक बेंच मुकर्रर करने के लिए सिफारिश की थी?

श्री सैयद अली जहीर—इस मामले में जिलाधीश की राय पर ज्यादातर अमल किया जाता है। वह अगर जरूरी समझते हैं तो वहां पर आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर होते हैं और अगर वे समझते हैं कि वहां पर मैजिस्ट्रेट्स से ही काम चल रहा है तो मुकर्रर नहीं किये जाते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या डिस्ट्रिक्ट ऐडवाइजरी कमेटी को यह हक हासिल है या नहीं कि वह यह भी राय दे सके कि फलां मुकाम पर बेंच या मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जाय और अगर वह राय देगी तो क्या सरकार उस पर गौर करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जो उनकी राय होती है, उस पर जिलाधीश भी गौर करते हैं और सरकार भी करती है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मन्त्री जी ललितपुर के स्थान को शीघ्र ही भरने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, झांसी के लिए कमेटी मुकर्रर होने वाली है। जब वह सिफारिश करेगी, तो तकर्रुरी की जायगी।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ऐडवाइजरी कमेटी में सब मेम्बरों के अधिकार बराबर ह और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस के चेयरमैन हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जाहिर है कि कमेटी में बैठ कर जो अधिकार चेयरमैन को होते हैं, वही अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी होते हैं, लेकिन बहैसियत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जिले के इन्तजाम के अधिकार उसको अलाहिदा से हैं।

रायबरेली जिले में लालगंज मन्डी-रालपुर सड़क की निर्माण योजना

*२७—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में डलमऊ तहसील के अन्तर्गत लालगंज मन्डी से रालपुर तक पक्की सड़क बनने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस सड़क पर कार्य आरम्भ किया जायेगा।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार इस सड़क की उपयोगिता को देखते हुए सन् १९५८ में ही इस पर कार्य शुरू करा देने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य को ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए।

*२८-२९—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

टेहरी-गढ़वाल में एक अतिरिक्त मुन्सिफ की नियुक्ति पर विचार

*३०—श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के Subdivisional Magistrate-cum Munsif Tehri Pratapnagar सर्किल की अदालत में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल के दीवानी मुकदमें disposal के लिए Pending हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस जिले के लिए अलग मुन्सिफ देने की समस्या पर विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार को यह विदित है कि जिला टेहरी-गढ़वाल में सब-डिवीजनल-मैजिस्ट्रेट-कम-मुन्सिफ की अदालत में काफी पुराने दीवानी के मुकदमे पड़े हैं। वहां एक अलग मुन्सिफ की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

म्युनिसिपल बोर्डों के सदस्यों एवं अध्यक्षों का निर्वाचन

*३१—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि प्रदेश के म्युनिसिपल बोर्डों के सदस्यों एवं अध्यक्षों का निर्वाचन १९५७ के दिसम्बर तक हो जायगा? यदि नहीं, तो राज्य सरकार उसे कब कराने वाली है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

आजमगढ़ जिले के प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में गल्ले की दुकानें खोलने के लिए प्रार्थना

*३२—श्री तेजबहादुर (अनुपस्थित)—क्या सरकार आजमगढ़ जिले में भीषण अन्न कष्ट को देखते हुए प्रत्येक पंचायती अदालत के क्षेत्र में सस्ते गल्ले की कम से कम एक दूकान खोलने का विचार कर रही है?

नोट—तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। केवल आजमगढ़ में ही नहीं वरन् राज्य के समस्त पूर्वी जिलों में आबादी के अनुपात में आवश्यकतानुसार सस्ते गल्ले की दूकानें बढ़ा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय—प्रश्न में यह पूछा हुआ है कि क्या प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक गल्ले की दुकान खोली जायगी? तो क्या ऐसा कोई विचार सरकार का है?

श्री सैयद अलीजहीर—यह तजवीज तो बार-बार सदन में आयी है। बहरहाल इस पर गौर हो रहा है। यह तो कोई पाबन्दी नहीं की जा सकती कि हर पंचायत के ऊपर एक दुकान खोल दी जाय, लेकिन जैसी जरूरत होगी दुकानें और बढ़ायी जायंगी।

*३३-३५—श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*३६—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

*३७—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

*३८—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया—[२ अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९-४०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१-४३—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*४४-४५—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*४६-४८—श्री केशव पांडेय—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*४९—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

*५०-५२—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)——[१४ अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ४५-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नगरपालिकाओं को स्वतन्त्रता दिवस पर व्यय करने के सम्बन्ध में आदेश

*५३—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार का कोई ऐसा आदेश नगरपालिकाओं को है कि स्वतन्त्रता दिवस पर उन्हें एक सीमित राशि व्यय करनी चाहिए?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हां। नगरपालिकाओं को स्वतन्त्रता दिवस पर केवल १०० रुपये तक व्यय करने का आदेश है।

*५४-५५—श्री गंगाप्रसादसिंह—(जिला बलिया)—[१७ अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५६-५७—श्री गनेशीलाल चौधरी—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*५८—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया ।]

*५९-६१—श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद विकास क्षेत्र में पंचायत कर की वसूली के खिलाफ शिकायत

*६२—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत मोहम्मदाबाद विकास क्षेत्र में पंचायत अधिकारियों ने पुलिस की सहायता लेकर पिछला पंचायत कर वसूल किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदाबाद विकास क्षेत्र से कुछ जनता की ऐसी शिकायत आयी है कि पुलिस द्वारा मारपीट कर पंचायत टैक्स वसूल किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आयी कि पुलिस ने मारपीट कर टैक्स वसूल किया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पंचायत टैक्सों की वसूलयाबी में कुर्की द्वारा भी कार्यवाही की जाती है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप नियम पूछ रहे हैं, आपको नियम खुद देख लेना चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस विकास क्षेत्र में जिले के और क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक टैक्स वसूल हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

*६३—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)—[हटा दिया गया ।]

*६४-६५—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर-जेवर सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*६६—श्री छत्तर सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर से जवर जाने वाली शेष सड़क को वह कब बनाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—बुलन्दशहर से जेवर जाने वाली सड़क का कच्चा भाग जिला बोर्ड, बुलन्दशहर के अधीन है, जिसको पक्का करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*६७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया ।]

सीतापुर जिले में नियुक्त पंचायतराज इन्स्पेक्टरों तथा मंत्रियों के स्थानान्तरण के सम्बंध में आदेश

*६८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में ३० जुलाई, १९५७ को पंचायत राज इन्स्पेक्टरों की संख्या क्या है और उनमें से कितने ऐसे पंचायत इन्स्पेक्टर हैं जिनका निवास स्थान जिले में ही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सीतापुर जिले में ३० जुलाई, १९५७ को पंचायत राज इन्स्पेक्टरों की संख्या ८ थी जिनमें से एक पंचायत राज इन्स्पेक्टर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। इन स्थानापन्न पंचायत राज इन्स्पेक्टर के अतिरिक्त सीतापुर जिले में २ और पंचायत राज इन्स्पेक्टर इसी जिले के निवासी हैं। इन दोनों पंचायत राज इन्स्पेक्टरों के अन्य जिलों को स्थानान्तरण (transfer) के आदेश दिये जा चुके हैं।

*६९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में ३० जुलाई, १९५७ को पंचायत मंत्रियों की संख्या कितनी है और उनमें ऐसे पंचायत मंत्रियों की संख्या क्या है जो अपने निवास स्थान की अदालत पंचायत में ही नियुक्त हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—सीतापुर जिले में ३० जुलाई, १९५७ को पंचायत मंत्रियों की संख्या २१९ थी। इनमें से २२ पंचायत मंत्री अपने निवास स्थान की न्याय पंचायत में ही नियुक्त हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—जिन पंचायत राज इन्स्पेक्टरों के स्थानान्तरण हुए उनके स्थानान्तरण आदेश के पहली मर्तबा कब दिये गये थे?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायत राज इन्स्पेक्टरों का तो तबादला हो चुका है। एक सज्जन का खीरी में और दूसरे जिले में दूसरे का भी हो चुका है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मैंने यह पूछा था कि पहले इनके स्थानान्तरण हुए उनके स्थानान्तरण का आदेश कब दिया गया था?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस वक्त स्थानान्तरण का आदेश हो चुका है।

श्री मदन पांडेय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पंचायत राज इन्स्पेक्टरों का तबादला आम तौर से कब तक हो जाना चाहिए था?

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे तो शासन की नीति है कि तीन चार वर्ष एक जगह रखे जाते हैं, लेकिन सम्भव हो सकता है कि यह कुछ ज्यादा समय रह गये हों।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सीतापुर जिले में नियमानुसार कितनी संख्या पंचायतराज इंस्पेक्टरों की निश्चित है? यदि वहां वह संख्या कम है तो ऐसा क्यों है?

श्री रामस्वरूप यादव—एक पंचायतराज इंस्पेक्टर की वहां कमी है। उनकी जगह वहां के एक लिपिक काम कर रहे हैं। उनके स्थान पर जब दूसरी नियुक्ति हो जायगी तो वह भेज दिये जायेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर के जिन पंचायतराज इंस्पेक्टरों के स्थानान्तरण का अब आदेश हुआ है इसके पहले उन्हीं के सम्बन्ध में कितनी बार स्थानान्तरण का आदेश हो चुका है?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है, हुआ भी या नहीं, यह नहीं मालूम।

*७०—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[२ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आगरा–जलेसर सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*७१––श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा-जलेसर (एटा) कच्ची सड़क को पक्की बनाने की योजना इस पंचवर्षीय योजना में है ?

श्री गिरधारी लाल––जी नहीं ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य––क्या मंत्री जी कृपा करके इस सड़क की उपयोगिता और आवश्यकता को देखते हुये इस पर पुनः विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल––जिस वक्त धन उपलब्ध होगा जरूर विचार किया जायगा ।

*७२––श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)––[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७३–७५––श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)––[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर, हरदोई द्वारा ईंटें पकाने के लिए कोयले का वितरण

*७६––श्री मोहनलाल वर्मा––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि District Engineer P. W. D. हरदोई ने ईंट पकाने के लिये P. W. D. का कोयला भट्ठे वालों को कोई टेन्डर लेकर दिया या अपनी मर्जी से बिला किसी शर्त के दिया और किस भट्ठे वाले को कितना कोयला किस शर्त पर दिया है ?

श्री गिरधारी लाल––जी हां, टेन्डर ले कर दिया । श्री श्रीचन्द्र अग्रवाल को २५,००० प्रथम श्रेणी की ईंटों के लिये ५ टन कोयला तथा श्री लोकमल को २८,५०० घनफुट खंजर रोड़ी और २,०२,००० (दो लाख दो हजार) खंजर ईंट सप्लाई करने के लिये १०० टन कोयला दिया गया ।

श्री मोहनलाल वर्मा––क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि कुल कितने टेन्डर फार्म दिये गये और कितने टेन्डर इस काम के लिये आये ?

श्री गिरधारी लाल––इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री मोहन लाल वर्मा––क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जो टेन्डर दिये गये उनके रेट्स क्या थे ?

श्री अध्यक्ष––वह तो उन्होंने पहले ही टेंडर्स की तादाद बताने के लिये नोटिस मांगा है तो इसका जवाब अभी कैसे बता सकेंगे ?

श्री मोहनलाल वर्मा––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह टेन्डर किस काम के लिये दिये गये, ईंट आदि के लिये या किसके लिये ?

श्री गिरधारी लाल––ईंट की बिल्डिग ऐंड रोड्स के लिये ही जरूरत पड़ेगी, इसके लिये ही वह लिये गये होंगे ।

श्री मोहनलाल वर्मा––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ईंट किस काम के लिये चाहिये थी ?

श्री गिरधारी लाल––बिल्डिग ऐन्ड रोड्स के लिये ही जरूरत पड़ती है उसी के लिये ली गई होंगी ।

हरदोई जिले में पी० डब्लू० डी० (बी० ऐण्ड आर०) के ठेकेदारों के जमानत के रुपये की वापसी

*७७--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में P. W. D. (B & R) में कितने ठेकेदार ऐसे हैं जिनका काम समाप्त हो गया है किन्तु १९५४ से आज तक उन कामों के जमानत - का रुपया नहीं वापस किया गया है ?

श्री गिरधारी लाल--४५ ठेकेदार ।

श्री मोहनलाल वर्मा--इन ४० ठेकेदारों की सिक्योरिटी की रकम कब तक वापस हो जायगी ?

श्री गिरधारी लाल--इसमें से बहुत से ठेकेदार इस प्रकार के हैं कि जिनकी तरफ सरकार का कुछ रुपया बाकी है, कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने प्रार्थना-पत्र ही इस के लिये नहीं दिये हैं और बाकी जो ऐसे हैं उनका रुपया जल्द से जल्द वापस हो जायगा ।

न्याय पंचायतों के कार्य आरम्भ करने में विलम्ब

*७८--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो अदालती पंचायतें बनायी गयी थीं वह अभी तक अपना कार्य नहीं कर रही हैं ? उसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो न्याय पंचायतें बनायी गई हैं उन्होंने सामान्यतः अपना कार्य २ अक्तूबर, १९५६ से आरम्भ कर दिया है । सिर्फ २३६ न्याय पंचायतें अभी तक कार्य शुरू नहीं कर पाई हैं । इनमें कुछ न्याय पंचायतों के सरपंचों के चुनाव के सिलसिले में हाई कोर्ट में रिट दायर हो गयी थीं और इन का निर्वाचन स्थगित कर दिया गया था । शेष न्याय पंचायतों में निर्धारित संख्या में पंचों का नामांकन पूर्ण नहीं हो पाया ।

*७९--श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायती अदालतों को कब तक कार्य करने की आज्ञा दी जायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन २३६ न्याय पंचायतों को जिन्होंने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया है, २ अक्तूबर, १९५७ से कार्य आरम्भ करने के सामान्य आदेश प्रसारित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह २३६ न्याय पंचायतें जो काम नहीं कर रही हैं इनके अतिरिक्त कितनी ऐसी पंचायतें रह गयी हैं जो काम कर रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--कुल पंचायतें ८,५८३ हैं । उनमें से मैंने निवेदन किया २३६ काम नहीं कर रही हैं ।

श्री शिव प्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो पंचायतें बन चुकी हैं उनको कार्य न करने दिया जाने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--कार्य करने से किसी को नहीं रोका गया है । किसी का रिट दायर हो गया है इससे कार्य नहीं हो पाया है । रिट द्वारा चुनाव रुक गया है । कहीं नामांकन नहीं हो सका है इसलिये न्याय पंचायतें पूर्ण नहीं हुई हैं । कहीं-कहीं कोरम न पूरा होने के कारण सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रिट एप्लीकेशंस दायर हुई हैं उनमें केवल चुनाव स्थगित किया गया है या उनके कार्य के सम्बन्ध में स्थगन आर्डर हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--रिटों के द्वारा कहीं-कहीं सरपंचों का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कहीं-कहीं यह हो गया है कि जो सरपंच हो गये हैं वह कार्य नहीं कर सकते, जब तक पूर्ण पंचायत नहीं हो जायगी कार्य नहीं होगा।

श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायतों के नामांकन अभी तक न होने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--हर जिले में कमेटियां हुआ करती हैं। कहीं कमेटियों के मेम्बर्स में मतभेद हो गया हो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामांकन पूरे न कर पाये हों। कहीं-कहीं ग्राम सभाओं के भी पूरे चुनाव न हो सकें। जब तक पंचायतों के पूरे चुनाव नहीं होते तब तक नामांकन भी नहीं हो सकता।

गोरखपुर डिवीजन की सड़कों तथा घाघरा व राप्ती पर बनने वाले पुलों के सम्बन्ध में जानकारी

*८०--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नागपुर फारमूला (ग्रिडस्टार) के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने मील कच्ची और कितने मील पक्की सड़कें बननी चाहिये और कितने मील सड़कें इन जिलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व थीं, कितने मील प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनीं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली हैं ?

*८१--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व कितने मील कच्ची व कितने मील पक्की सड़कें थीं और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने मील और कौन-कौन सी सड़कें बनीं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने मील और कौन-कौन सी बनने वाली हैं ?

*८२--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में घाघरा नदी पर दोहरी, बड़हलगंज घाट और राप्ती नदी पर वर्ड घाट पर बनने वाले पुलों के सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है और ये पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामसूरत प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना किस तिथि से और किन अधिकारियों के द्वारा एकत्रित की जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल--यह सब इस विभाग के जरिये से इकट्ठी की जा रही है।

श्री राम सूरत प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी और क्या एकत्रित हो जाने के बाद सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल--हां, यह तो मैंने बतलाया कि जल्दी से जल्दी सूचना एकत्रित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह सूचना मिलने पर माननीय सदस्य की मेज पर रख दी जायगी।

बुलन्दशहर जिले की नगरपालिकाओं को सहायता

*८३--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले के किस-किस म्युनिसिपल बोर्ड को सन् १९५६-५७ में क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गई और किस-किस कार्य के लिये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस सम्बन्ध में आंकड़े विभिन्न विभागों से एकत्रित किये जा रहे हैं।

सस्ते गल्ले की दूकानों की बिक्री का लेखा-जोखा

*८४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जिससे प्रतिदिन अथवा साप्ताहिक लेखा-जोखा, अनाज बिक्री का जो सस्ते गल्ले की दुकानों का है, सरकार को प्राप्त हो जाया करे ? यदि हां, तो १५ जुलाई, १९५७ को कितनी दूकानें प्रदेश में काम करती रहीं और उनसे उक्त दिन को कितना गल्ला बेचा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां । १५ जुलाई, १९५७ को राज्य में १,६३१ सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही थीं और उन से उक्त दिन को २५,८६३ मन गल्ला बेचा गया था ।

*८५—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछले जून और जुलाई, १९५७ में कितनी दूकानें बढ़ाई गईं और उन्हें कितना अनाज दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पिछले जून और जुलाई, १९५७ में राज्य में कुल ३०७ दूकानें बढ़ाई गईं और उन्हें ७२,४८४ मन गल्ला उन दो मास में दिया गया ।

अन्न तथा गुड़ के भावों में अन्तर

*८६—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी केन्द्र और पूर्व के अनाज तथा गुड़ के भाव में इतना क्यों अन्तर है और चावल, गेहूं तथा गुड़ के भाव हापुड़ तथा कालपी के और गोरखपुर के पिछले दो महीनों में क्या रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्व के केन्द्रों के अनाज तथा गुड़ के भाव में कुछ आवश्यक खर्चों (जिस में रेल का भाड़ा, मजदूरी, बाजारों के खर्चे तथा लाने वालों के लाभ की मात्रा सम्मिलित है) के कारण अन्तर होना अनिवार्य है । इस अन्तर की मात्रा यातायात तथा अन्य कठिनाइयों के कारण घटती-बढ़ती रहती है । हापुड़, कालपी और गोरखपुर के चावल, गेहूं और गुड़ के भावों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९७ पर ।)

निर्माण कार्यों में सीमेंट के प्रयोग के सम्बन्ध में शिकायत

*८७—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार के पास प्रान्त के विभिन्न जिलों से उन विभागों के सम्बन्ध में जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित हैं ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित बालू और सीमेंट के अनुपात के अनुसार सीमेंट निर्माण कार्य में नहीं लगाया गया है ?

*८८—क्या सरकार प्रदेश भर में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये कोई उच्च स्तरीय दक्ष समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना एकत्र करने का आरम्भ कब से हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो जिस वक्त माननीय सदस्य ने यहां पर प्रश्न दिया और यहां से जिस वक्त चीफ इंजीनियर के पास गया, वहीं से सूचना इकट्ठी करने का काम चालू हो गया ।

नोट—तारांकित प्रश्न ८४-८६ श्री सुरथबहादुर शाह ने पूछे ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सूचना एकत्र हो जाने पर सरकार इसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैंने पहले एक दफ़ा फैसला दे दिया है उसके अनुसार जवाब जब आयेगा तो मंत्री जी सदन में रख देंगे। बार-बार इस के पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय---उत्तर में दिया गया है कि आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है। यह तो प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने यह पूछा कि क्या सरकार प्रदेश भर में ऐसी शिकायतों की जांच के लिये कोई उच्च स्तरीय दक्ष समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---(निर्माण मंत्री से)आप खुद अपने दिल को टटोल रहे हैं या अगर कोई आप उत्तर दे सकते हों तो दे दें।

श्री गिरधारी लाल---जी नहीं, जिस वक्त प्रश्न की सूचना इकट्ठी हो जायगी उसकी बुनियाद पर सरकार सोचेगी कि इस समिति के बनाने की जरूरत होगी या नहीं।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सूचना १९ सितम्बर तक एकत्रित हो जायेगी या नहीं ?

श्री गिरधारी लाल---यह उम्मीद है। जल्द से जल्द सूचना मंगायी जायगी। अब यह तो मेरे लिये कहना मुश्किल है कि १९ सितम्बर तक आयेगी कि नहीं।

एटा जिले के ग्राम सेना पुल पर व्यय

*८९---श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक जिला एटा के ग्राम सेना पुल में कितनी बोरी सीमेंट व कितनी हजार ईंट व कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री गिरधारी लाल---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

हापुड़ नगरपालिका के अध्यक्ष के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

*९०---श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि ३-६-१९५७ को सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से हापुड़ म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष श्री ताराचन्द्र मोदी के अध्यक्षपद से अलहदा करने के हुक्म को स्थगित करने के लिए कोई आदेश प्राप्त किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह आदेश सरकार को ४ जून, १९५७ को मिला। श्री ताराचन्द मोदी ने सुप्रीमकोर्ट से यह आदेश ३ जून, १९५७ को ex-parte प्राप्त किया था।

*९१---श्री जगवीरसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश महोदय मेरठ ने किस अधिकार के मातहत १९-२-१९५७ को श्री ताराचन्द मोदी से यह कहा कि वह अध्यक्ष का काम नहीं करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्री ताराचन्द मोदी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव यथाविधि पारित हो चुका था और उन्होंने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४७-ए की उप-धारा १ (ए) में दी गयी अवधि के अन्तर्गत न तो सरकार से आवेदन किया और न अपने पद से इस्तीफा ही दिया। अत : जिलाधीश ने १९-२-१९५७ को बोर्ड के एक्जीक्यूटिव अफसर को सूचित किया कि वह श्री मोदी को इस बात की सूचना दे दें कि, चूंकि वे उक्त धारा की उपधारा १(बी) के अन्तर्गत अयोग्य (in capacitate) हो चुके हैं अतएव अब बोर्ड के कार्य की देख-रेख उपाध्यक्ष करेंगे।

इटावा–भिन्ड सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*९२––श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा से भिन्ड जाने वाली सड़क जो पी० डब्ल्यू० डी० की है, उसको सरकार का विचार सीमेंट या डामर रोड बनाने का है ?

श्री गिरधारीलाल––जी नहीं ।

*९३––श्री भुवनेश भूषण शर्मा (अनुपस्थित)––क्या सरकार को इस सड़क के बनाने के बारे में उस क्षेत्र की जनता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री गिरधारीलाल––जी नहीं ।

मोहम्मदाबाद संकिशा सड़क पर रेलवे क्रासिंग के निर्माण पर विचार

*९४––श्री राजेन्द्रसिंह यादव––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदाबाद–संकिशा रोड को बने हुए कितना समय हो गया और रेलवे क्रास करने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल––मोहम्मदाबाद संकिशा सड़क जो कि इस बरसात में पूर्णरूप से तैयार हो जायगी, पिछले वर्ष लगभग मई के माह में दो कोट बनाकर यातायात के लिए खोल दी गयी थी ।

इस सड़क पर रेलवे क्रासिंग का प्रस्ताव रेलवे विभाग के विचाराधीन है । अतः कितना समय लगेगा यह उक्त विभाग पर निर्भर करता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव––क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब सड़क पिछली मई से यातायात के लिए खोल दी गयी है और रेलवे क्रासिंग नहीं है, तो फिर सड़क के खोलने से क्या फायदा है ?

श्री गिरधारीलाल––वहां तक तो लोग जा ही सकते हैं, उसके बाद भी लोग ऊपर से पास करते हैं । बाकी रेलवे विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है और यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि कब इस क्रासिंग को बनावेंगे ।

न्याय पंचायत परशरामपुर, जिला आजमगढ़ के सरपंच तथा पंचों के विरुद्ध जालसाजी करके दण्ड देने का आरोप

*९५––श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की न्याय पंचायत परशरामपुर के भूतपूर्व सरपंच एवं पंचों के विरुद्ध जालसाजी करके सजा देने के सम्बन्ध में १७–१२–५५ को उनके पास जिलाधीश तथा जिला पंचायत अफसर, आजमगढ़ के यहां आवेदन-पत्र दिये गये थे ? उसके सम्बन्ध में अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव––जी हां, प्रार्थना-पत्र पर जांच की गयी और फिर सब कागजात अधीक्षक, आरक्षा, (superintendent of police) आजमगढ़ को वैधानिक कार्यवाही करने के लिए भेज दिये गये ।

*९६––श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या स्वशासन मन्त्री इस सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव––जिले से सूचना मिली है कि इस सम्बन्ध में सब कागजात पुलिस अधीक्षक के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं । पुलिस की कार्यवाही चल रही है और इस दौरान में विवरण देना ठीक नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किस अफसर द्वारा इस शिकायत की जांच करायी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---पंचायत अधिकारियों द्वारा जांच हुई थी। उन्होंने ठीक ही समझा होगा कि जिसके कारण पुलिस को केस दे दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के पास यह केस कब भेजा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिए सूचना की आवश्यकता है, मेरे पास तारीख तो नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार ऐसा उचित समझती है कि वह सरपंचों की हिदायत के लिए इस मुकदमे का प्रकाशन करा दे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस मुकदमे की जांच हो जाने के बाद में सम्भव है अदालत में मुकदमा भेजा जाय। अभी इसके बारे में कहना ठीक न होगा।

ग्राम ताजपुर माझा, जिला गाजीपुर के निवासियों की मुआफ बीज की वसूली के सम्बन्ध में शिकायत

*९७--श्री पब्बर राम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम ताजपुर माझा, जिला गाजीपुर के निवासियों की ओर से, मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को इस आशय का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि उन लोगों द्वारा १९५१-५२ में लिया गया बीज (जमानिया बीज गोदाम से), जो माफ किया जा चुका था, अब ५ वर्ष बाद मय सूद के वसूल किया जा रहा है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)--जी हां।

*९८---श्री पब्बरराम---यदि हां, तो इस विषय में गांव वालों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---१९५१-५२ के मूल बकाये की वसूली जुलाई, १९५२ में मुलतवी कर दी गयी थी। अतएव मध्यस्थ के निर्णय में संशोधन किया जा रहा है। अब केवल मूल बकाया ही वसूल किया जायगा न कि ब्याज और जुर्माने की रकम।

श्री पब्बरराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मध्यस्थ के निर्णय में संशोधन कब तक हो जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह गलती इसलिए हो गयी कि यह जो फैसला था सन् १९५२ की जुलाई में कि १३ जिलों में बाढ़ की वजह से वसूली रोक दी जाय, वह हुकुम डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर के पास नहीं पहुंचा था और उन लोगों ने जिनको कि यह रकम देनी थी उन्होंने भी आब्जेक्शन नहीं किया। इसलिए जो फैसला हुआ वह यह हुआ कि असल ब्याज और पेनाल्टी तीनों दिया जाय, लेकिन अब यह चीज साफ हो गयी है कि असल की बकाया रकम देनी है, ब्याज और पेनाल्टी की रकम नहीं देनी है। तो यह फैसला एक प्रकार से हो चुका, सिर्फ उनको मूल ही देना पड़ेगा।

श्री पब्बरराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के अन्न संकट को देखते हुए सरकार सर्वदलीय कमेटी जो बन चुकी है उसकी सिफारिश तक इस वसूली को स्थगित करने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह १ रु० ४ आने, १ रु० ४ आने, १ रु० ४ आने, १ रु० १४ आने, ६ रु० ४ आने, ९ रु० ४ आने, इस तरह की रकमें हैं, और एक रकम २६ रुपये ७ आने की है। मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य महोदय का भी यह इरादा नहीं होगा कि १ रु० ४ आने की रकम को इस तरह की कन्ट्रोवर्सी में डाला जाय।

मुरादाबाद के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे

*९९---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में अलग-अलग न्यायालयों में कितने-कितने मुकदमे, १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ ई० के विचाराधीन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---दीवानी और माल के मुकदमों के सम्बन्ध में एक तालिका सदन की मेज पर रखी है।

फौजदारी मुकदमों के विषय में अभी आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९८ पर)।

गोरखपुर कमिश्नरी में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा बेचा गया गल्ला

*१००---**श्री धनुषधारी पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या अन्न मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर कमिश्नरी के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं और अब तक उन जिलों में कितना-कितना गल्ला बेचा जा चुका है ?

श्री सैयद अलीजहीर---गोरखपुर कमिश्नरी के विभिन्न जिलों में सस्ते गल्ले की दुकानों तथा २१ अगस्त, १९५७ ई० तक उनसे बेचे गये गल्ले की मात्रा की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९९ पर)।

जिला झांसी में बेतवा नदी के नोंट घाट पर रपटे का निर्माण

*१०१---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में बेतवा नदी के नोंट घाट पर रपटा कब तक बनेगा और उस पर क्या खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल---इस कार्य का आगणन तैयार किया जा रहा है और सरकार की स्वीकृति के बाद ही कार्य आरम्भ किया जायेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए २.४३ लाख रुपये का प्राविधान है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रपटे का रुपया गत वर्ष स्वीकार किया जा चुका था ? यदि हां, तो इसका कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---यह बात ठीक है कि पिछले वर्ष इसका रुपया मंजूर हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी राय हुई कि इस रपटे को कुछ और अच्छा बनाया जाय जिसके लिए एक दूसरा एस्टिमेट तैयार करने के ऊपर विचार किया गया। इसका एक डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार हो रहा है और इसके साथ-साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। जिस वक्त दोनों प्रश्न सरकार के सामने आ जायेंगे, तब इसका अन्तिम फैसला किया जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पहले एस्टिमेंट क्या था और अब एस्टिमट क्या है ?

श्री गिरधारीलाल---एक अन्दाजा, जैसा कि मैंने बतलाया इसमें २ लाख ४३ हजार रुपया रखा गया था। दूसरा एस्टिमेट जो कि अब एक अच्छा क्रास वे होगा, उसकी लागत करीब ८ लाख रुपये होगी।

मुजफ्फरनगर में जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट और मार्केटिंग फेडरेशन का लेखा-जोखा

*१०२---श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट और मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---दिसम्बर, १९४८ में।

*१०३---श्री अहमद बख्श---क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि उक्त फेडरेशन में गत तीन वर्षों १९५४-५५, १९५५-५६, और १९५६-५७ में अलग-अलग कितन लाभ व हानि हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---१९५४-५५ में ४,४२९ रु० ३ आ० ३ पा० का लाभ। १९५५-५६ में २१,८३० रु० १० आ० ३ पा० का लाभ। १९५६-५७ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*१०४---श्री अहमद बख्श---सन् १९५४ में फेडरेशन का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह किस वित्तीय वर्ष का था और उसमें कब तक के हिसाबात पास किये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--- १९५१-५२ व १९५२-५३ इन्हीं दो वर्षों के हिसाब पास हुए थे।

श्री अहमद बख्श---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् १९५६-५७ के आंकड़े न मिलने की कोई खास वजह है ?

श्री मोहनलाल गौतम---हिसाब हो रहा है। १९५६-५७ के आंकड़े अभी आये नहीं हैं।

श्री अहमद बख्श---क्या सरकार बतलायेगी कि यह हिसाब कब तक आ जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोशिश की जायगी कि जल्द आ जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि सन् १९५२-५३ के बाद आज तक किसी भी साल के हिसाबात फेडरेशन की ऐनुअल जनरल मीटिंग में पास नहीं किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, जो हिसाबात मेरे पास हैं उनसे तो यही जाहिर होता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि कोई मीटिंग नहीं हुई, जब कि बाई लाज के हिसाब से असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी जनरल मीटिंग बुला सकते थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---उसमें कई कारण हुए हैं। जो वहां कोआपरेटर्स हैं, उन्हीं की बहुत काफी जिम्मेदारी मुझे इसमें दिखायी देती है। कभी नोटिस जो दिया गया वह तीस दिन का नहीं था, कभी जिलाधीश ने मीटिंग स्थगित कर दी और हिसाब नहीं आया, इसमें कई कारण हैं। उनकी मैं जांच करा रहा हूं।

मुजफ्फरनगर जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट और मार्केटिंग फेडरेशन के चुनाव में विलम्ब

*१०५---श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट और मार्केटिंग फेडरेशन के वर्तमान बोर्ड का चुनाव कब हुआ था और उसकी अभी तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---मई, १९५४ में और तब से उसकी ५ बैठकें हो चुकी हैं।

*१०६---श्री राजेन्द्रदत्त---क्या यह सही है कि बोर्ड के सभी अर्थात् बारहों संचालको का retirement due है और इसी कारण संघ का वार्षिक अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, सरकार जांच कर रही है।

*१०७---श्री राजेन्द्रदत्त---क्या यह सही है कि जिला सहकारी संघ के एक्जीक्यूटिव कमेटी का एक वर्ष का कार्यकाल नियमानुसार अगस्त, सन् १९५५ में समाप्त हो चुका था, किन्तु वह अभी तक भी कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, क्योंकि पिछले तीन वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुआ है। सरकार जांच कर रही है।

श्री राजेन्द्रदत्त---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ५ बैठकें जो हुईं उनकी तारीखें क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्रदत्त---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक्जीक्यूटिव का चुनाव, बोर्ड के डायरेक्टर्स के होते हुए भी, क्यों नहीं कराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा मैंने अभी जवाब दिया, उसमें कई कारण हुए और उनकी जांच की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने उत्तर दिया है कि ५ मीटिंग्स हुई हैं तो क्या यह सही है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने पिछले ४-५ सालों में अगस्त, १९५४, नवम्बर, १९५५ और जून, १९५७ में केवल तीन मीटिंग्स की हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सूचना के लिए धन्यवाद दे सकता हूं और क्या कहूं।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि इस फेडरेशन के प्रेसीडेंट जिलाधीश हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के होते हुए भी एक्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका हर हालत में एक साल में चुनाव हो जाना चाहिए था, चुनाव नहीं हुआ और क्यों नियम विरुद्ध वे कार्य करते रहे ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने निवेदन किया कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है।

मुजफ्फरनगर जिला कोआपरेटिव डेवेलपमेंट व मार्केटिंग फेडरेशन के डायरेक्टर्स का चुनाव

*१०८---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जिला कोआपरेटिव डेवेलपमेंट व मार्केटिंग फेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन व डायरेक्टरों का चुनाव गत कितने वर्षों से नहीं हुआ है और क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम---३ वर्ष से। सरकार जांच कर रही है।

मुजफ्फरनगर जिला सहकारी संघ के सेक्रेटरी को मनोनीत करना

*१०९—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिला सहकारी संघ के वर्तमान सेक्रेटरी गत कितने वर्षों से मुहकमे में रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत किये जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अप्रैल, १९४९ से।

अवक्रमित सहसवान (बदायूं) नगरपालिका के प्रबन्धक द्वारा सुधार

*११०—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहसवान (जिला बदायूं) की नगरपालिका कब Supersede हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका सहसवान, जिला बदायूं १७-२-१९५७ को भंग (Dissolve) की गयी थी।

*१११—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नगरपालिका में Administrator ने क्या-क्या परिवर्तन किये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रबन्धक (Administrator) ने जो सुधार किये हैं उनकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६०० पर)।

श्री शिवराज बहादुर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ३४,००० रुपये का इजाफा इसकी आमदनी में हुआ है, वह किस मद से हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके विस्तारपूर्वक तो आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जो टैक्स इत्यादि लगाये जाते हैं, उन्हीं से हुआ है।

*११२—श्री शिवराज बहादुर—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*११३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी मील लम्बी सड़कें विभिन्न जिलों में अलग-अलग बनायी जाने वाली हैं ? क्या इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—आवश्यक सूचना माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका में दी हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना नमनशील (Flexible) है तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन किये जा सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०१-६०२ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सड़कें स्टार्गेट फार्मूला के आधार पर बन रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, इसी फार्मूले के अनुसार बन रही हैं।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्मूले के अनुसार बनने वाली सड़कों के आधार पर आजमगढ़ या गोरखपुर जिले की सड़कें कम क्यों बनी ?

श्री गिरधारी लाल—यह फार्मूला हमारा एक लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी वहां सभी सड़कें नहीं बनीं, जब नहीं बनीं तो बहुत सी जगह कम होंगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सरकार के विचाराधीन ऐसी भी कोई योजना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में जहां अधिक पानी बरसता है और बाढ़ आ जाती है, वहां कच्ची मिट्टी का काम उन्हीं सड़कों पर किया जाय जिनको कि सरकार का विचार पक्की कराने का हो?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं, ऐसी कोई स्कीम हमारे सामने नहीं है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सड़क बनाने का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज. पूरा टार्गेट था, क्या उसको कम करना जरूरी पड़ रहा है, इसलिए कि केन्द्र से सहायता कुछ कम मिल रही है?

श्री गिरधारी लाल—हां, जैसी कि पूरे प्लान की इस वक्त हालत है, वही बात पी० डब्ल्यू० डी० के प्लान की भी है। इसमें पहले बहुत काफी लम्बा-चौड़ा प्लान बनाया गया था, उसके बाद २२ करोड़ का प्लान बना। उसको कम कर के १५–१६ करोड़ के करीब का बना इसमें बहुत कुछ हमको केन्द्र के ऊपर निर्भर करना पड़ता है और अब भी उनके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके फार्मूले के मुताबिक प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रान्त की सारी सड़कें पूरी हो गयी थीं?

श्री गिरधारी लाल—नहीं।

वाराणसी तहसील की चुनार तथा पंचक्रोशी सड़कों के निर्माण की प्रार्थना

*११४—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री वाराणसी तहसील की चुनार तथा पंचक्रोशी सड़क जो देहात अमानत से होकर गुजरती है, उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अपने विभाग में लेकर बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारी लाल—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि काशी की पंचक्रोशी यात्रा करने के लिए बाहर के लोग भी आते हैं और वह उस सड़क पर जा के क्या असर ले जाते होंगे?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, बाहर के आदमी आते हैं, बनारस, और पंचक्रोशी में भी परिक्रमा करते हैं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मढ़वारी की सड़क ज कि चुनार रोड कही जाती है, उसकी कितनी बुरी हालत है और वहां केन्द्रीय सरकार कारखाने बनाने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप दूसरी सड़क के बारे में पूछ रही हैं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दोनों सड़कों के लिए था।

श्री गिरधारी लाल—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री केशव पांडेय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग का कोई ऐसा आफिसर छुट्टी पर है जिससे सूचना इकट्ठी करने में विलम्ब हुआ ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप ने सूचना दी है, इसके लिए मन्त्री जी धन्यवाद दे देंगे।

श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, वाराणसी ने इस सड़क को सुधारने के लिए सरकार से सिफारिश की है ?

श्री गिरधारी लाल---जरूर की होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मन्त्री जी इसकी आवश्यकता को देखते हुए जल्दी इसको बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल---मैंने कहा कि इस सड़क के सिलसिले में सूचना इकट्ठी की जा रही है। इसके आने के बाद ही कोई खास जवाब दिया जा सकता है।

गाजीपुर जिले में कासिमाबाद-बहादुरगंज सड़क को पक्की करने की योजना

*११५---श्री रघुबीर राम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कासिमाबाद से बहादुरगंज की सड़क जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उसे वह निकट भविष्य में पक्की कराने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां।

श्री रघुबीरराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कासिमाबाद से बहादुरगंज को जो सड़क जाती है और व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है उसे वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यही आपने मूल प्रश्न पूछा था। यह तो छपा हुआ है जिसका जवाब आप को मिल गया।

श्री रघुबीरराम---यह सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री गिरधारी लाल---इसी वर्ष से काम चालू होगा।

खलीलाबाद, जिला बस्ती की सड़क पर दग्ध तथा मृत मजदूर के आश्रितों को सहायता

*११६---श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)---क्या निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि खलीलाबाद, जिला बस्ती की सड़क पर काम करते हुये एक मजदूर दिनांक २६-६-५७ को जल गया था और फौरन ही खलीलाबाद सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया था ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां।

*११७---श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपरोक्त घटना से पीड़ित मजदूर की मृत्यु उसी दिन खलीलाबाद अस्पताल में हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने उसके आश्रितों को अब तक किस-किस प्रकार की सहायता दी है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां, उसके आश्रितों को वर्कसमैन कम्पेनसेशन ऐक्ट, १९२३ के अनुसार यथोचित सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

इलाहाबाद नगर के दक्षिणी क्षेत्र में मकानों का एलाटमेंट

*११८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर के दक्षिणी क्षेत्र में १९५६-५७ में कितने मकानों का एलाटमेंट किया गया और इन मकानों में से कितने मकानों का एलाटमेंट रद्द किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—इलाहाबाद नगर के दक्षिणी क्षेत्र में सन् १९५६ में ३६० मकानों का एलाटमेंट हुआ, जिनमें से ६७ मकानों का एलाटमेंट रद्द किया गया। १ जनवरी से २० जुलाई, १९५७ तक १९८ मकानों का एलाटमेंट हुआ जिनमें से २३ मकानों का एलाटमेन्ट रद्द किया गया।

इलाहाबाद के राशनिंग विभाग के अधिकारियों की सरकारी मोटर

*११९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद राशनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास सरकारी मोटरें कितनी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इलाहाबाद के खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों के पास केवल एक सरकारी मोटर है।

देहली शाहदरा और जगाधरी, जिला अम्बाला के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण की योजना

*१२०—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि देहली-शाहदरा और जगाधरी जिला अम्बाला के बीच यमुना नदी पर पुल बनाये जाने की योजना जो सरकार के विचाराधीन थी उसकी क्या प्रगति है ?

श्री गिरधारी लाल—अभी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा पंजाब सरकारों से विचार-विनिमय हो रहा है।

*१२१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि उक्त पुल के निर्माण में कुल कितना धन लगेगा ?

श्री गिरधारी लाल—अनुमानित आगणन के अनुसार लगभग ४५ लाख रुपये लगेंगे।

*१२२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को सूचना है कि पंजाब सरकार ने उक्त पुल के निर्माण के लिये अपने भाग (एक-तिहाई) की धनराशि का प्रबन्ध कर यू० पी० सरकार को सूचित कर दिया है ?

श्री गिरधारी लाल—पंजाब सरकार ने तो कोई सूचना नहीं भेजी है, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब सरकार पुल की लागत का एक-तिहाई भाग देने को सहमत है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से इस योजना की स्वीकृति उन्हें प्राप्त हो चुकी है, यदि नहीं, तो सरकार ने रिमाइंडर भेजा है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, भेजा गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—१२२ में उत्तर दिया गया है कि पंजाब सरकार ने १/३ देना स्वीकार कर लिया है तो प्रादेशिक सरकार का पंजाब सरकार से किस आशय के लिये वार्तालाप या विचार-विनिमय हो रहा है ?

श्री गिरधारी लाल---अभी उसमें कई प्रश्न है। अव्वल तो पंजाब सरकार ने सीध तरीके से हमसे अपनी इस मन्शा को नहीं बतलाया। दूसरे अभी यह भी तय नहीं हुआ कि इस पुल को कौन बनायगा और तीसरे यह कि किस स्थान पर बनेगा, मेरठ में बागपत में या मुज़फ़्फ़रनगर में या कैराना में। तो ये प्रश्न जब तय हो जायंगे तब काम शुरू होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के निर्माण की योजना सरकार के सामने सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में है?

श्री गिरधारी लाल---इसमें नहीं है।

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष---माननीय अन्न मंत्री किसी भुखमरी की घटना के बारे में जांच कर रहे थे, तो अगर जांच हो गई हो तो वह सुना दें।

*न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले कामरोको प्रस्ताव को देखें कि जिसमें यह सवाल उठाया गया है। एक आदमी के तड़प-तड़प कर मरने के कारण समूचे जनपद की साढ़े २२ लाख जनता का जीवन संकटापन्न स्थिति में है और सलेमपुर तहसील में एक व्यापक पैमाने पर भुखमरी प्रारम्भ हो गई है।

श्री अध्यक्ष---उस व्यक्ति का नाम भी तो है।

श्री सैयद अली जहीर---वह एक शख्स रामधनी नाम का है। जहां तक उसका ताल्लुक है, वह ६५ वर्ष का था। उसके तीन बच्चे हैं, लड़के---एक ३५ साल का है, दूसरा ३० साल का है और तीसरा २५ साल का है। इनके पास डेढ़ बीघा के करीब जमीन है। समझा यह जाता है कि यह रामधनी अपने ज्वार के खेत में काम करने गया था वहां इसको किसी सांप ने काट लिया और जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। वहां के सभापति से और दूसरे लोगों से जब दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ कि कम से कम ऐसा नहीं था कि यह ऐसा गरीब हो कि जिसके पास खाने के लिये भी कुछ न हो। उसके लड़के वहां मौजूद हैं और काम करते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि यह रामधनी सांप के काटने से मर गया···

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी का स्वयं का यह कहना नहीं, उनके पास यह सूचना आई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---तो यदि इसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है तो उसका पंचायतनामा लिखाया जाना चाहिये था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सूचना गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। वह नदी में फेंक दिया गया।

श्री अध्यक्ष---मैंने बहस के लिये इजाजत नहीं दी। इसके ऊपर आप यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहते हों तो पूछ लीजिए।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---मैं एक सूचना चाहता हूं। मंत्री जी के पास सूचना आई है कि उसको सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या सांप के काटने के बाद उस की दवादारू के लिये कोई ओझा, वैद्य, डाक्टर या हकीम बुलाये गये या नहीं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मेरी तो यह इत्तला है कि वह अपने खेत में काम करने जा रहा था। उसके बाद वह खेत में मरा हुआ पाया गया। खयाल यह है कि गालिबन उसको सांप ने काटा और उसकी वजह से वह मर गया। इसमें इलाज का कोई सवाल नहीं उठता। उसके लड़के जिन्दा मोजूद हैं। इसकी मौत से सारे जनपद के साढ़े २२ लाख आदमियों की भुखमरी का सवाल नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—मैंने उसके साथ उसको मिलाया नहीं है। मैं एक सूचना चाहता था कि एक आदमी मरा तो क्यों मरा?

सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं आप के द्वारा यह सूचना चाहता हूं कि मंत्रियों द्वारा बहुत से उत्तर 'होंगे' यानी भविष्य काल के रूप में दिये जाते हैं। क्या यह उत्तर उनके लिये कमिटिंग हैं और जिम्मेदारी के हैं अथवा यह ऐश्योरेंश कमेटी की सीमा के अन्तर्गत आते हैं।

श्री अध्यक्ष—जो आश्वासन यहां पर दिये जाते हैं उनको आश्वासन कमेटी देखती है कि वह सरकार पूरे करती है या नहीं और किन-किन कथनों को आश्वासन मानना चाहिये इसको भी वह कमेटी ही तय करती है। वह कमेटी आप लोगों की है, वही इस बात को तय करेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह जानना चाहता था कि भविष्यकाल के रूप में जो उत्तर दिये जाते हैं...

श्री अध्यक्ष—आप कोई उदाहरण दीजिये, केवल संकेत से समझ में नहीं आता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अभी हमारे निर्माण मंत्री जी ने कहा कि संभव है वहां ऐसी चीज हो गई होगी।

श्री अध्यक्ष—यह बात निश्चित उन्होंने नहीं कही। वह तो नानकमिटल रहे। आप कृपा कर बैठ जायं और इसे मेरे कमरे में पूछ लें।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—माननीय माल मन्त्री का वृहत् जोत कर विधेयक अभी सदन में छपकर नहीं आया है और अभी तक माननीय सदस्यों को दिया नहीं जा सका। माननीय माल मन्त्री इसको पहले पुरःस्थापित कर दें और बाद में छपी हुई प्रतियां बांट दी जायंगी।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६०३-६१६ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न यह है कि जब तक सदन की मेज पर बिल न रखा जाय तब तक कोई बिल पुरःस्थापित इसलिये नहीं किया जा सकता कि इससे नियम का उल्लंघन होता है। सदस्यों को नियम के अनुसार यह अधिकार मिला हुआ है कि वह पुरःस्थापन के समय विरोध भी कर सकते हैं। अगर उनको कोई विधेयक देखने को नहीं मिलता है तो उनका जो यह अधिकार है, इससे वह वंचित हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप जो कह रहे हैं वह उस परिस्थिति पर लागू होगा जिसमें पुरःस्थापित करने की इजाजत विधेयक के लिए मांगी जाती है। ऐसा अगर कोई विधेयक हो तो उसके लिये आप यह कह सकते हैं कि हम विरोध करना चाहते हैं। बाकी जितने विधेयक हैं जब वह विचार के लिये आयेंगे तब आप उनका विरोध कर सकते हैं। अभी सिर्फ यह विधेयक पुरःस्थापित हो रहा है। अभी उसकी प्रतियां सदस्यों में बंटी नहीं है। चूंकि विचार अभी होना नहीं है और विचार के लिये मैं इजाजत भी नहीं दे रहा हूं—विचार शायद २, ३ रोज के बाद हो, तब तक और बिल चलेंगे—इसलिए सहूलियत के लिये मैंने उनको इजाजत दे दी कि वह इसे पुरःस्थापित कर दें। अब इस बीच में एक घंटे की लंच की छुट्टी में विधेयक की प्रतियां बांट दी जायंगी। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या यह विधेयक गजट में छप गया है ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, छप गया है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, इस बृहत् जोत का क्या मतलब है ? अगर इसको बतला दिया जाय तो हमको समझने में आसानी हो जाय।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब बड़ी जोत है। इसका फैसला तो आप करेंगे कि किसको बड़ी जोत तय किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह टैक्स का विधेयक है ?

श्री अध्यक्ष—यह अभी आपके पास आयेगा।

*राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७—(क्रमागत)

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो यह सैनिक शिक्षा विधेयक सदन के सामने आया तो उसके सम्बन्ध में कुछ हमने भी अपने विचार कहना आरम्भ किये थे। फिर २ मिनट में ही स्थगित करना पड़ा। आज उस सम्बन्ध में फिर बोलने का अवसर दिया गया है। हमको केवल यह कहना था कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति सैनिक होता है और पैदायश से ही वह सैनिक होता है।

(इस समय १२ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

यह बात नहीं है कि वह सैनिक नहीं है। यह संदेह करना ही एक प्रकार से अपने ऊपर संदेह करना है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अवस्था में सैनिक होता ही है। कभी वह सैनिक होता है, कभी सेनापति होता है और कभी वह सेवक होता है. लेकिन इन स्कूलों में जो सैनिक शिक्षा का रूप देखा जा रहा है वह यही है कि वहां पर जरा कवायद की गयी, लाइन में खड़े किया गया, लाइन में चले गये, इधर हाथ मटकाये, उधर हाथ मटकाये और थोड़ा नृत्य दिखा दिया। वह सैनिकता नहीं है वह तो नृत्य कला है। इस प्रकार की सैनिक शिक्षा का मैं विरोध करता हूं। मैं वह सैनिक-शिक्षा चाहता हूं जिसके द्वारा लोग सेनापति बनें, संसार में विजय प्राप्त कर सकें, देश की रक्षा कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें, इस प्रकार की सैनिक शिक्षा दी जाय जिसके द्वारा हम नौकरी करने की ओर न जाय वरन् अपनी और अपने देश की रक्षा करें और स्वावलम्ब से रह सकें।

इसमें यह भी नहीं बताया गया कि हवाई सैनिक बनेंगे, ग्राम सैनिक बनेंगे या सत्याग्रह सैनिक बनेंगे। जैसे आपने पहले स्कूलों में ढोल बजाना शुरू कर दिया था। लाखों रुपये की ढोल खरीद लिये गये और नतीजा कुछ नहीं हुआ। कभी आपने बेसिक तालीम शुरू की, कभी आपने भाषा को बिगाड़ दिया, जिस प्रकार आपने और बहुत से खेल किये उसी

---

*१९ जुलाई, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

प्रकार यह भी मैं एक खेल समझता हूं। कभी आपने इंटरमिडयेट का दर्जा तोड़ दिया और कभी उसको फिर से चालू कर दिया। आप यह क्या जुल्म कर रहे हैं और किसानों के ऊपर विपत्ति बढ़ा रहे हैं। कभी आप भुखमरी बढ़ाते हैं और फिर ऊपर से मलहम लगाते हैं, कभी आप फांसी पर चढ़ाते हैं और कहते हैं कि अमर शहीद हो गये। जो चीज करते हैं, ऐसी ही गलत करते हैं। अगर करने की तमीज नहीं है तो न कीजिये। दस कामों के बजाय एक काम कीजिये, लेकिन उसको ढंग से कीजिये, ऐसा कीजिये कि वह मुस्तकिल हो। १० वर्ष स्वतंत्रता को मिले हो गये, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख कर बता दीजिये कि तिल भर भी देश में कोई आगे बढ़े हों ?[***]मैं जो बात कहता हूं, वह प्रमाण से कहता हूं। एक नहीं १०-२० लोग इस ढंग के हैं जो आज कांग्रेस का बिल्ला लगाकर, खद्दर पहन कर हम लोगों से कहते हैं कि तुम कांग्रेसमैन नहीं हो, हम कांग्रेसमैन हैं। इस प्रकार के एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण हैं। अगर मंत्री जी चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप शिक्षा के विषय पर आ जाइए।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं शिक्षा के विषय में ही बात कह रहा हूं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, वैधानिक प्रश्न है। आप शिक्षा विधेयक पर बोल रहे हैं या कांग्रेसमैन पर बोल रहे हैं ?

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं जो कुछ कह रहा हूं, सुनते जाइए।

जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा तो मनुष्य को सिखाने की वस्तु है, लेकिन जो शिक्षा आप हम लोगों को आज दे रहे हैं, उस शिक्षा से हमारे देश का क्या लाभ हुआ है ? जिस तरह से आज स्कूलों में शिक्षा या सैनिक शिक्षा दी जा रही है—यह तो जैसा आदर्श आप सामने रखते हैं, उसी के पीछे-पीछे सभी चलते हैं। "महाजनो येन गतः स पंथा."—जैसी शिक्षा आप देते हैं वही लोगों के लिये एक उदाहरण होता है। लोग कहते हैं कि हमारे मंत्री जी इस तरह से रहते हैं, या हमारे एम० एल० ए० साहब इस तरह से रहते हैं, इस तरह का वेश बनाते हैं तो हम भी ऐसा ही वेश बनायेंगे। श्रीमन्, यह भी एक शिक्षा ही है, बड़े-बड़े आदमियों के पीछे-पीछे ही छोटे-छोटे चला करते हैं। "महाजनो येन गतः स पंथाः" यह कोई मेरे कहने की बात नहीं है बल्कि यह हमारे शास्त्रों की पुरानी बात है। इसलिये जिस कदम पर आप चलते हैं वही शिक्षा है। तो मेरा कहना यह है कि आप शिक्षा ऐसी दीजिये जिससे हमारा देश आगे बढ़े, जिससे हम जमाने को आगे बढ़ावें और जिससे हमको भी जरा सर उठाने का मौका मिले, किसान भी आगे बढ़ें और साथ ही साथ आपको भी कहने का अवसर मिले कि हमने कांग्रेसी राज्य में ऐसी शिक्षा दी, जिससे हमारा देश इतना आगे बढ़ा।

श्रीमन्, कहने के लिये जितने भी आंकड़े दिये जायं, लेकिन इस सांख्य शास्त्र से कुछ बनने वाला नहीं है। अगर आप खेती की शिक्षा देना चाहते हैं तो आप उसे खेतिहर के पास छोड़ दीजिये, कि वह साल भर वहां रहे, फिर वह बड़ा भारी खेतिहर हो जायगा और उसको वही किसान सर्टिफिकेट भी दे सकेगा। साथ ही साथ लड़ाई के लिये जो आप सैनिक तैयार कर रहे हैं, तो इनको लड़ाई की विशुद्ध शिक्षा दी जाय जिससे वे संसार को सिखा सकें। इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि स्कूलों में कवायद करायी जाय, इससे वे सैनिक नहीं हो सकते हैं। आजकल ऐटम बम के जमाने में एक विशुद्ध सैनिक शिक्षा देने की जरूरत है, इसके लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। ऐसी शिक्षा जिससे देश आगे नहीं बढ़ता, मनुष्य का चरित्र नहीं बनता, मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, वह सब खत्म हो जानी चाहिये। इस समय संसार में कोई लड़ाई की बात भी नहीं मालूम होती

[***] श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री वंशीधर शुक्ल]

जहां बहुत बड़ी सेना की जरूरत हो । सैनिक शिक्षा के नाम पर जो यह शिक्षा दी जा रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक यह नहीं बतलाया गया है कि आप कौन-सी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां की भाषा हिन्दी है, यानी प्रान्तीय भाषा और पैतृक पेशे को सिखलाने की जरूरत नहीं होती है, वह तो सीखी-सिखायी चीज होती है । एक ज्योति से ही दूसरी ज्योति चला करती है, यह हमारे यहां जाहिर है, इसके लिये सिखलाने की जरूरत नहीं है । हमारे यहां की यह बहुत पुरानी बात है "बाज बाघ के पुत्र को दांव सिखावत कौन" अर्थात् बाघ और बाज के पुत्र को कोई सिखलाता नहीं है, वे तो सीखे-सिखाये होते हैं । इसी प्रकार से सैनिक शिक्षा में समय नष्ट करना ठीक नहीं है । शिक्षा ऐसी दी जाय जिससे वे देश के ऊपर भार न बनें । आज तो जो शिक्षा पाते हैं वे बाद में किसान के पास ही दौड़ कर जाते हैं कि हमें रोटी दीजिये, आखिर किसान कहां तक पैदा कर करके उनको देता जाय । आप नौकरी भी बांटते जाते हैं । साथ ही साथ जो शिक्षा आप देते हैं वह इसीलिये देते हैं कि इससे लोगों को नौकरी मिले । मेरा कहना यह है कि "संगच्छध्वम् संवदध्वम्" दोनों को साथ-साथ मिलना तथा बोलना चाहिये । लेकिन इसके लिये भी ऐसा ढंग बनावें जिससे आप आगे बढ़ सकें । स्कूलों में केवल कदम मिलाने से सैनिक शिक्षा नहीं हो सकती है । लड़ाई के मैदानों में वही लड़ता है और वही मरता है जिसके अन्दर एक ठोस संस्कार होता है । हम तो देखते हैं कि आज एक सैनिक की भर्ती हुई और दूसरे ही दिन उसे लड़ाई के मैदान में भेज दिया जाता है । तो लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिये "संगच्छध्वम् संवदध्वम्" इन दोनों बातों की आवश्यकता है । यही हमें आप से कहना है और साथ ही यह भी कहना है कि आज का नौजवान जब स्कूल से पढ़कर निकलता है तो सिवा नौकरी के उसके सामने कुछ नहीं रहता और वह पढ़ाई के भार से, मास्टरों के भार से या किताबों के भार से इतना दब जाता है कि वह सिवा नौकरी के और कुछ सोच ही नहीं पाता और दूसरा रास्ता अपने लिये तय नहीं कर पाता । मैं चाहता हूं कि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि वह स्कूल से निकल कर अपने स्वावलम्बन पर चल सकें या कोई दूसरा उपाय जीविका का निकाल सकें । यह बेसिक तालीम, रात्रि पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, चल शिक्षा, अचल शिक्षा, सैनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि जो अनेक शिक्षाएं दी जाती हैं वह कुछ दिन चलती हैं और बाद में समाप्त हो जाती हैं । छः मास से अधिक आप की कोई शिक्षा या प्रोग्राम नहीं चल पाता, इस प्रकार की शिक्षा या प्रोग्राम से आप कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । आपको उसके लिये एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा । अब बहुत से साथी लोग कहा करते हैं कि कुछ थोड़ी सी कविता भी होनी चाहिये । यह एक छोटी-सी रचना है--

"शिक्षा ऐसी दीजिये मानव रहे स्वतन्त्र,
खुद जीवन यापन करे, रहे नहीं परतन्त्र ।
रहे नहीं परन्तत्र करै एकत्र न सिक्का,
बनै श्रमिक का भार न होवै धूर्त उच्चका ।
फैशन के अधीन, न दुखिया देश दबावै ।
फिरै नौकरी हेतु, गलिन में सनद दिखावै ।
मुफतखोर, गृहचोर, न ठग बटमार कहावै,
कृषकों के लूटने हेतु, कंपा न लगावै,
श्रीमंत्री यदि देश में ऐसी शिक्षा दे सकें,
जिससे शिक्षक देश के, विजय विश्व में कर सकें ।।

शासन शिक्षा सूचना, तीनों कार्य महान,
तीनों को चौपट कियो, कमलापति भगवान।

हुये देश स्वातंत्र, आज दस वर्षें बीतीं,
तिलभर बढ़ा न देश, दीनता पशुतर जीती।

चले गये अंग्रेज, किन्तु अंग्रेजी छाई,
फैशन खर्चा बढ़ा, अफसरों की प्रभुताई।

यह ही क्रम श्रीमान, यदपि कुछ और बढ़ेगा,
बुभुक्षिता श्रमकार, क्रोध से उभड़ पड़ेगा।

एक मिनट में उधर की, पलटि कुर्सिया जायंगी,
भारत की कौंसिलों पर, लाल ध्वजा फहरायेंगी।

सैनिक जड़ चैतन्य, मनुज प्राकृत सेनापति,...

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं इस कविता का सैनिक शिक्षा से कोई सम्बध नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल---मेरा कहना यह है कि यह कविता सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में ही है। मैं अभी पढ़ रहा था कि

"सैनिक जड़ चैतन्य, मनुज प्राकृत सेनापति,
इसका शासन मानि, चलै जीवन विधि गति मति।

ऐटम बम के समय यहां नाचना सिखाते,
देश विदेश की कला, गुलामी प्रथा बढ़ाते।

यह अन्याय महान नहीं देखा जा सकता,
जाग पड़ा कृषिकार युद्ध से रुक नहीं सकता।

शिक्षा के इस ढोंग से धूर्त न पाला जायेगा,
भारत आगे बढ़ेगा, यह शासन ढह जायगा।"

मेरा अब सदन से यही कहना है कि सैनिक शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिये कि जिस से.....

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)---यह कवि सम्मेलन का कोई भवन है या सदन है? यह मैं जानना चाहती हूं, यहां पर इस तरह की कविता पढ़ना कहां तक उचित है?

श्री बंशीधर शुक्ल---यह कवि सम्मेलन नहीं है लेकिन यह कविता ऐसी नहीं है जिसके लिये हमें कोई परिश्रम करना पड़े, यहीं पर बैठकर हमने यह लिख ली, हमसे कहिए हम अपनी बात गद्य में कहें या पद्य में कहें, इस सेवा के लिये हमें वरदान मिला है। अब कविता की बात छोड़कर मैं यही कहता हूं कि आप सैनिक शिक्षा दीजिये, लेकिन वह सैनिक एक ढंग के बने और उनसे देश का कल्याण हो। इस तरह की सैनिक शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसी कि आज चल रही है।

†डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि कल मैं सदन म हाजिर नहीं था, लेकिन इस विषय पर जो बहस हुई उसकी रिपोर्ट को मैंने देखा। कुछ बातें सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसी हैं जिनको मुझे खासतौर से निजी जानकारी है और मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सदन के सामने उनको रखूं। इसमें राजनीतिक प्रश्नों का कोई

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा० सम्पूर्णानन्द]

सवाल नहीं है, सामान्य रूप से शिक्षा का क्या रूप हो, उसका भी कोई सवाल यहां नहीं है। न उन बातों पर कुछ कहने की जरूरत है।

जहां तक सैनिक शिक्षा की बात है इस देश में उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान रहा है। उसकी एक विशेष जिम्मेदारी रही है। १९२७ से लेकर १९३० तक जो कौंसिल थी, उस कौंसिल में जो विरोधी दल था, उस वक्त मैं कांग्रेस और लिबरल पार्टी दोनों विरोधी दल में थे। बाकी गवर्नमेंट का पक्ष था। उस विरोधी दल की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया था। उस प्रस्ताव को उपस्थित करने का गौरव मुझको ही प्राप्त हुआ था। उसमें यह था कि जितने इंटरमिडियेट कालेजेज हैं उनमें सैनिक शिक्षा जरूर दी जाय और विरोधी पक्ष का पूरा-पूरा उसको समर्थन प्राप्त था। उस वक्त की जो सरकार थी, सरकारी मेम्बरों में डाइरेक्टर आफ एजूकेशन भी हुआ करते थे। उन्होंने यह कहा कि सैनिक शिक्षा सेंट्रल सब्जेक्ट है, इस वास्ते हम इस पर यहां फैसला नहीं कर सकते और हमारे पास इसका कोई खास जबाव नहीं था। इसलिए उस प्रस्ताव पर यद्यपि विरोधी पक्ष के ४५ आदमियों में प्रत्येक मेम्बर का उसको समर्थन प्राप्त था, तथापि उस पर अमल नहीं हो सका।

इसके बाद केन्द्रीय कौंसिल में डाक्टर मुंजे ने एक प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने कहा कि सैनिक शिक्षा स्कूलों में जरूर दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बन्दूक ऐसी होनी चाहिए। कहीं गवर्नमेंट लकड़ी की बन्दूक न दे दे या एयरगन देकर खिलवाड़ कर दे। उन्होंने बतलाया कि किस तरह से शिक्षा होनी चाहिए। तो वहां जवाब दिया गया कि चूंकि एजूकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, एजूकेशन के साथ कोई विशेषण जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए हर प्रकार की एजूकेशन उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है।

फिर, १९२९ में वह प्रस्ताव लेजिस्लेटिव कौंसिल में पेश किया गया और उसे पेश करने का काम मुझे ही दिया गया। उस प्रस्ताव पर कहा गया कि वहां यह व्यवस्था हो चुकी है कि हर प्रकार की एजूकेशन, जिसमें मिलिटरी एजूकेशन भी है, स्टेट के अन्दर है। इसलिए इसको मन्जूर करना चाहिए। बहरहाल, विरोधी पक्ष की बात थी ही, सरकारी पक्ष के जो सदस्य थे वह भी इसका कोई खास जबाव नहीं दे सके। उस समय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय राय राजेश्व बली थे। उन्होंने कहा कि कांस्टीट्यूनली यह बात ठीक है। बहर-हाल, उस गवर्नमेंट ने कोई एतराज नहीं किया और वह प्रस्ताव निर्विरोध पास हो गया। उसके बाद १९३० में जब हमारा स्वाधीनता का आन्दोलन शुरू हुआ, वह चीज खत्म हो गयी। उसके बाद फिर मौका नहीं आया।

१९४६ में जब फिर यहां गवर्नमेंट बनी तो हमने फिर इस सवाल को उठाया और हमने उत्तर प्रदेश में एक कमेटी मुकर्रर की। उस कमेटी में कई लोग थे। इंडियन नेशनल आर्मी के भी उसमें सदस्य थे। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने बतलाया कि किस तरह से सैनिक शिक्षा देनी चाहिए। सारा का सारा आयोजन बन गया, लेकिन उसके बाद एक दिक्कत यह हो गयी कि हमको यह सलाह दी गयी कि—उस वक्त भारत एक ही था, कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि यह समझा गया कि कुछ ऐसी प्रादेशिक सरकारें जिनके जिम्मे वह हिस्से हैं जो आज पाकिस्तान में चले गये हैं—अगर आपने अपने प्रदेश में शुरू की तो वह अपने यहां भी इस तरह की सैनिक शिक्षा देकर देश भर में गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेटली हमको यह सलाह दी गयी कि इस मामले में आगे न बढ़ें तो अच्छा है। केन्द्रीय सरकार के सैनिक अफसरों ने जो सलाह दी इस मामले में वह लम्बी चौड़ी सलाह थी लेकिन उसमें सिवा इसके कि फिजिकल ट्रेनिंग, जो डम्बिल वगैरह की कसरत होती है, और कुछ नहीं था। वह बात वह खत्म हुई।

जब देश का बटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, अपना देश अलग बन गया तो हम लोगों ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के जो सलाहकार थे आप इस मामले में हमको सलाह दें, अब इस काम को चलाना है। हमने उस काम को शुरू कर दिया और

१९४७ से १९५७ तक, दस वर्ष से सैनिक शिक्षा दी जा रही है। ऐसा नहीं है जिसको श्री गणेश करना कहते हैं, वह पहले से उत्तर प्रदेश में हो रही है।

किसी और प्रदेश में इस तरह की चीज नहीं है। हमारे बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया की कई स्कीमें बनीं जो आज चल रही हैं, लेकिन यह जो स्कीम उत्तर प्रदेश में चल रही है उससे गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम में फर्क है। उनकी स्कीम में खासतौर से फौज के लिए वह लड़कों को तैयार करते हैं। उनके खास फौजी अफसर रहते हैं जो शिक्षा देते हैं और वहां से पास होने के बाद लड़के सीधे फौज में जा सकते हैं, लेकिन बहुत से नौजवान हैं जो उनकी स्कीम में नहीं हैं। उनके यहां नियम यह है कि पहले हर कालेज में सैनिक शिक्षा नहीं होती। जो कालेज सैनिक शिक्षा देना चाहे उसको अपना नाम देना पड़ता है। अगर वह मन्जूर कर लें तो उस पर वालेन्टरी बेसिस पर जो लड़के खास तौर से जाना चाहें उनको ही शिक्षा दी जाती है, बाकी को नहीं, लेकिन हमारी स्कीम ऐसी रही कि सिवा उन लड़कों के जो फिजिकली अनफिट हों उनके अलावा हर लड़के को शिक्षा देनी चाहिए। यह हमारे यहां की स्कीम है और कोई पालिटिक्स की बात नहीं है।

मैं समझता हूं सब इसको मानेंगे कि डेफेंस माइन्डेड बनाना लोगों को जरूरी है। अब वह चाहे नाचना हो या गाना हो, आजकल दुनिया की फौजों में सभी ऐटम बम नहीं चलाते, वही मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहां जो फौज में दी जाती है। फौज के ही सीखे हुए अफसर होते हैं, बन्दूकें उसी किस्म की हैं जैसी फौज में इस्तेमाल की जाती हैं। यह सही बात है कि जो फर्स्ट क्लास की बन्दूकें फौज के पास होती हैं तो सेकेन्ड क्लास की पुलिस के पास। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको मानने की जरूरत है। १० वर्षों का हमारा तजुर्बा है, इस तरह की ट्रेनिंग देते चले आ रहे हैं, एक अच्छा काम तो है ही, लेकिन उसमें डिसिप्लिन इत्यादि के प्वाइंट आफ व्यू से क्या-क्या करने की जरूरत है, वही चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं ताकि हमारी स्कीम अच्छी तरह से चले। अगर हमारे पास रुपया हो तो इस स्कीम को सारे प्रदेश में एकदम बढ़ा देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमको एन० सी० सी० के लिये भी रुपया निकालना पड़ता है, उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट पर पड़ता है, इसलिये उसका खर्चा भी देते ही हैं। उसके अलावा १० वर्षों से हम इस बात को चला रहे हैं। सब लोग मानते हैं कि यह अच्छी चीज है।

एक और चीज है आज से पहले जिस वक्त कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास फौज के लिये और भी कई हिस्से थे जहां से आदमी आ सकते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अपने नौजवानों में यह भावना पैदा करनी है कि अगर जरूरत हो तो फौज की तरफ जायं। तो उसकी जिम्मेदारी जितनी उत्तर प्रदेश के ऊपर है और इतनी किसी प्रदेश पर नहीं है। हो सकता है कि हमारे यहां गरीबी हो, हो सकता है और दिक्कतें हों, लेकिन जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति होती है इन बातों को नहीं देखा करती है। आज दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई है। हमारे पड़ोस के देशों में कई देश ऐसे हैं जिनसे हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्री के नहीं हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता। ईश्वर न करे कभी हमारे उनके सम्बन्धों में किसी प्रकार का तनाव हो, लेकिन फिर भी इससे जरूरत इस बात की है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो यहां पर एक अच्छा खासा नम्बर ऐसे नौजवानों का हो जो कुछ न कुछ इस किस्म की शिक्षा पाया हुआ हो ताकि और उच्च शिक्षा जल्दी पा सके। इस बात की उत्तर प्रदेश पर खासतौर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सन् १९४७ में जब विभाजन हुआ था तो हिन्दू मुस्लिम झगड़े कई जगह हुए। आज सारा देश जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश उस वक्त बहक गया होता तो देश में कहीं भी स्थिति नहीं संभल सकती थी, उत्तर प्रदेश ने उसको संभाला। एक कम्यूनल नशा लोगों के दिमाग में चढ़ गया था, लेकिन हमारा प्रदेश उससे दूर रहा। उसी तरह से अगर कभी देश की रक्षा की बात हो तो उसके लिये हम भूखे रहते हुए भी तैयार हैं, क्योंकि कोई दुश्मन यह तो कह नहीं सकता कि तुम तो भूखे हो तुम हमसे

[डा० सम्पूर्णानन्द]

क्यों लड़ रहे हो। हमें उस काम को करना होगा। इसलिये यह चीज सर्वोपरि है और मैं सदन से अपील करता हूं कि इसमें किसी किस्म की कोई पोलिटिकल बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हमारा जो १९२७ से इस वक्त तक का इतिहास है इस मामले में उसका सदन समर्थन करेगा और जो विधेयक सदन में पेश है सिद्धान्ततः उससे सहमत होगा और उसे पास करेगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, सैनिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक जो शिक्षा मन्त्री ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये उनको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही उपयुक्त, आवश्यक सही और प्रगतिशील विधेयक इस भवन में पेश किया है। इसके साथ-साथ जो संशोधन आया है कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय उसका भी मैं समर्थन करता हूं यद्यपि मेरा अपना तो यह विचार था कि इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोई बहुत लम्बा चौड़ा विधेयक नहीं है और इसमें कोई बहुत बड़ी बहस की बात भी नहीं है। जिन माननीय साथी ने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बात कही थी उन्होंने कोई ऐसे आर्गूमेंट्स भी नहीं दिये जिनके आधार पर इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। फिर भी चूंकि और भी कई साथी बोले और सबकी राय है कि अगर इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो आशा है कि इसमें कुछ सुधार और हो जाय, इसलिये मान्यवर, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

माननीय अवस्थी जी ने जिस समय अपना यह संशोधन पेश किया उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जहां तक सैनिक शिक्षा का सम्बन्ध है, वह इसके विरोध में नहीं हैं। इसके माने यह हैं कि उन्होंने इसका समर्थन किया। मगर इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसी बातें अपनी बहस में इंट्रोड्यूस कीं जिनका कोई डाइरेक्ट सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं था। उन्होंने शिक्षा पद्धति की बात कही, उन्होंने गरीब अध्यापकों की बात कही, उन्होंने विद्यार्थियों की गरीबी की बात कही, उनकी निर्धनता की बात कही और न जाने क्या-क्या बात कह डाली, जाने कितनी बातें शिक्षा के सम्बन्ध की उन्होंने कहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बहुत सी व्यायामशालायें हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह भी हम जानते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी बातें उन्होंने कहीं वह यदि शिक्षा के सम्बन्ध में, जनरल एजुकेशन के सम्बन्ध में कोई विधेयक यदि आया होता और उस समय यह बातें कही गई होतीं तो वह ज्यादा उपयुक्त समय होता। लिहाजा उन बातों का जवाब न देकर मैं अब अपने विषय के ऊपर आता हूं।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---तो आप भी विषय के बाहर हैं?

श्री नवल किशोर---जी नहीं, वह तो आप का जवाब था।

कुछ साथियों ने इस बात के लिये भी चेयर का ध्यान आकर्षित किया कि यह विधेयक बजाय इसके कि स्टेट गवर्नमेंट लाती, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे लाना चाहिए था। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता क्योंकि चेयर ने उसके ऊपर निर्णय दे दिया है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और मुझे कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो हमारे समाजवादी भाई इस बात की आवाज उठाते हैं कि हर स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तो यदि उनके दिमाग में कोई इस बात की शंका भी हो कि अमुक विषय प्रदेशीय सरकार के अधिकार के अन्तर्गत आता है या नहीं आता है या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है, तो यदि प्रदेशीय सरकार इस बात की चेष्टा करती है कि वह कोई उस विषय में नियम बनाये या कोई बिल इसके लिये लाये तब तो मैं इस बात की आशा करता हूं कि इस भवन की सत्ता को बढ़ाने के लिये, इसकी शान को बढ़ाने के लिये उनको इसका स्वागत करना चाहिए। हर समय इस बात की दलील देना कि इस सदन के अधिकार की बात नहीं है, केन्द्र के अधिकार की बात है, मैं समझता हूं कि इससे आप इस सदन की सत्ता को, इसकी शक्ति को कम करने की चेष्टा करते हैं।

अवस्थी जी ने यह भी एक शिकायत की कि हम एक जमाने से यह उम्मीद करते थे कि कोई माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विधेयक पेश होगा। वर्षों बीत गये और विधेयक पेश नहीं हुआ। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के पहले हायर सेकेन्डरी एजूकेशन के सम्बन्ध में एक विधेयक यहां पेश किया गया था। मगर जैसी कि विरोधी दल की एक आदत है हर विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव वह कर दिया करते हैं, वह भी एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। उसके बाद चुनाव शुरू हो गया और फिर पिछला सदन समाप्त हो गया। उसके साथ-साथ वह विधेयक भी समाप्त हो गया। शिक्षा मंत्री जी अब फिर एक नहीं कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वह माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक विधेयक लाना चाहते हैं। तो उनकी यह शिकायत भी कोई ठीक नहीं है।

कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि इस विधेयक से उनको कुछ ऐसा लगा कि यह सरकार विद्यार्थियों के माइंड को कंट्रोल करना चाहती है और कुछ भाई तो यहां तक कह गये कि उनको इसमें कुछ टोटलिटेरियनिज्म की बू आती है। मैं समझता हूं कि यह टोटलिटेरियनिज्म भी एक टेक्निकल शब्द है। उसका भी राजनीति में एक माना होता है और वह भी किस सम्बन्ध में कहा? शायद माननीय रामायण राय ने उदाहरण यह दिया कि जो विद्यार्थी हड़ताल करेंगे उनको सरकार रोकना चाहती है। उनके दिमाग में जो बात आयी वह हड़ताल की आयी जब कि एक तरफ यह भी कहा जाता है कि विद्यार्थियों में कोई पोलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में यह बात आयी कि अगर कभी उन्होंने विद्यार्थियों से हड़ताल करने को कहा तो कहीं इस विधेयक का इस्तेमाल न हो जाय, इस बात का डर उन्हें पैदा हुआ। इस खंड में केवल यह लिखा है कि "जब विद्यार्थी परेड पर हो या किसी सामाजिक कार्य में लगा हो या यूनीफार्म पहने हो उस वक्त यदि वह स्ट्राइक करेगा तो वह आफेन्स माना जायगा।" तो एक तरफ आप यह भी चाहते हैं कि सैनिक शिक्षा दी जाय और फिर ढील भी चाहते हैं। अगर सैनिक शिक्षा उसे दी जाय तो मैं समझता हूं कि जो कुछ सैनिक कवायद के कानून हैं वे उसको मानने होंगे। यह कतई गलत होगा कि जब वह परेड के अन्दर हो तो वह स्ट्राइक की बात करे। यहां पर केवल यह बात लिखी गई है। अगर विरोधी दल के कोई माननीय सदस्य इस पर यह इल्जाम लगाते हैं कि सरकार टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है तो मेरा चार्ज यह है कि वे विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और एनकरेजमेंट देते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने कहां से टोटलिटेरियनिज्म की बात निकाल ली, जो कतई बेबुनियाद और गलत बात है।

यह भी कहा गया कि इस विधेयक से मिलिटरिज्म पैदा होगा। मान्यवर, मैंने जो इसके एम्स एंड आब्जेक्ट्स हैं, उनको देखा। उसमें लिखा हुआ है कि मिलीटरी ट्रेनिंग के साथ-साथ और बातें भी हैं जैसे सोशल एक्टिविटीज, कम्युनिटी आर्गनाइजेशन, खेती की बात, आबपाशी की बात——इन बातों पर भी इसमें काफी एम्फेसिस है। मैं नहीं समझ पाया कि उनको इसके अन्दर कैसे मिलिटरिज्म की बात दिखाई दी। यह तो सही माने में मानसिक तथा शारीरिक विकास का समन्वय है।

एक साहब ने कहा कि इसमें स्त्रियों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। क्लाज ४ जो है इसमें लिखा हुआ है कि जितने मेल स्टूडेन्ट्स होंगे उनमें अगर फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होगी तो उनको कम्पलसरिली सैनिक शिक्षा के लिये भर्ती किया जायगा। एतराज किया गया कि कम्पलसरिली भर्ती नहीं किया जाना चाहिए और साथ ही यह भी कह दिया कि औरतों को इस शिक्षा के लिये डिस्क्रिमिनेट किया गया है। मैं इस पक्ष में जरूर हूं कि जो औरतें और बहिनें सैनिक शिक्षा लेना चाहे उनके लिये इन्तजाम होना चाहिये। मगर मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि स्त्रियों के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। जहां तक मेल स्टूडेंट्स का सम्बन्ध है मैं उन लोगों में हूं जो यह समझते हैं कि यह नितान्त आवश्यक है कि उनको कम्पलसरी मिलिटरी एजूकेशन दी जानी चाहिये। मैं इस प्रश्न को और भी

[श्री नवलकिशोर]

पहलुओं से देखता हूं। सामाजिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं जैसे जाति, भेदभाव और छुआछूत। मान्यवर, आप भी इस बात को मानेंगे और सभी साथी मानेंगे कि फौज में जो लोग काम करते हैं उनका सामाजिक जीवन कुछ ऐसा बन जाता है कि हर जाति के आदमी के साथ मिलने तथा खाने-पीने से उनमें छुआछूत की भावना बहुत कम हो जाती है। फिर इसमें जो सामाजिक शिक्षण की व्यवस्था है उससे तो सामाजिक बुराइयां और भी दूर होंगी, यह बहुत ही अच्छा है।

एक बात की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकेत किया कि यह शिक्षा किसी न किसी रूप से हमारे प्रदेश में पहले से ही चल रही है, कोई नया सिद्धान्त नहीं निकाला गया है, केवल उसको कानून की शक्ल हम देना चाहते हैं। इसमें मैं अधिक कुछ और कहना नहीं चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में हूं जो यह मानते हैं कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं---केवल विद्यार्थी ही नहीं यदि संभव हो सके तो जितने भी देश के नौनिहाल और नौजवान कालेजेज में नहीं जाते हैं---उन सब के लिये भी सैनिक शिक्षा का प्रतिबन्ध होना चाहिये, खास कर ऐसे जमाने में जिसकी तरफ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी संकेत किया, जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी गड़बड़ हो और राज्य सभा में विदेशी नीति पर चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया हो और अखबारों में भी इस बात की चर्चा चल रही हो कि गोआ में इस बात की साजिश हो रही है है कि उसको मिलीटरी बेस बनाया जाय। कई बिग पावर्स तथा बड़े-बड़े राष्ट्र जब कि उसको सियासी शतरंज बनाना चाहते हों। उसके साथ-साथ कश्मीर की जो स्थिति है वह भी छिपी नहीं है। उसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, केवल इतना ही कि हर तरह की धमकियां दी जाती हैं जैसे कि आज यह फौज भेज दी गयी, करोड़ों रुपये की इमदाद पाकिस्तान को अमेरिका से मिल रही है। ऐसी स्थिति में बावजूद हिन्दुस्तान की इस नीति के कि हम किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहते हैं, किसी के ऊपर ऐग्रेशन करने का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ सकती है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे साइबेरिया के कारण कहीं भी ऐसा कोई एक्सप्लोजन हो जाय, जिससे खतरा पैदा हो जाये। ऐसी दशा में देश को तैयार रहना चाहिये। उसके साथ-साथ एक दूसरा पहलू भी है कि शिक्षण के बाद हमारे नौजवान फौज में जा सकें और दूसरे यह है कि कोई भी राष्ट्र हमेशा के लिये एक बड़ी सेना मेनटेन नहीं कर सकता, लिहाजा ऐसे सैनिक शिक्षा प्राप्त नौजवान वहां होने चाहिए जो समय आने पर देश के डिफेंस के लिये अपने को अर्पण कर सकें। इसलिये यह आवश्यक है कि हमारे सामने जो विधेयक आया है, हम इसका एक मत से, बिना ज्यादा बहस-मुबाहसे के, स्वागत करें और इस बात की चेष्टा करें कि अधिक से अधिक पैसा मिल सके। हमारे सामने कठिनाई जो है, वह आर्थिक कठिनाई है। हम अधिक से अधिक पैसा निकालें और हमारी जो सैनिक शिक्षा है, इसको आगे बढ़ायें।

एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की बात कही गयी, जिसके सम्बन्ध में हमारे शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोई कम्पेटीशन नहीं है हमारी ए० सी० सी० और एन० सी० सी० के साथ। ए० सी० सी० हमारे आठवें दर्जे तक चलती है, फिर नाइंथ और टेन्थ क्लास में जूनियर एन० सी० सी० चलती है और इंटरमीडिएट के लिए हमारी सीनियर एन० सी० सी० है और यूनिवर्सिटी स्टेज के लिये पी० ई० सी० है। तो इससे इस तमाम प्रोसेस को एक तरह से सप्लीमेन्ट कोआर्डिनेट कर दिया है और जो गैप था उसको फिल-अप कर दिया है।

श्री बंशीधर शुक्ल जी ने क्या कहा, उसमें तो ज्यादा जाना नहीं चाहता, उसका कोई संबंध इस विधेयक से नहीं था। एक बात पर उन्हें संदेह है कि यह ट्रेनिंग हमें किसी युद्ध के लिये दी जा रही है या किसी और चीज के लिये? सो यह ट्रेनिंग न किसी युद्ध के लिये और न किसी और बात के लिये दी जा रही है, बल्कि यह केवल विद्यार्थियों में अनुशासन के लिए और एलीमेंटरी ट्रेनिंग हथियारों के इस्तेमाल करने की हो जाय इस मंशा से दी जा रही है और

यही ध्येय हमारे विधेयक का है। क्या आपत्ति देश के ऊपर आयेगी, या कहां इसका इस्तेमाल होगा, इसके लिये पहले से स्टिपुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि हमारे बजट में यूथ वेलफ़ेयर के लिये बहुत से आइटम्स हैं---बहुत से उनमें से स्कूल गोइंग सेक्शन के लिए हैं और बहुत से नान-स्कूल गोइंग सेक्शन के लिये हैं। जो नान-स्कूल-गोइंग सेक्शन के लिए आइटम्स हैं उनमें से अधिकतर तो पी० आर० डी० में कवर कर लिये जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि स्कूल गोइंग सेक्शन के सम्बन्ध में जो यूथ वेल्फ़ेयर के आइटम्स हैं उनको अगर हम कोआर्डिनेट कर सकें तो ज्यादा अच्छा इस्तेमाल उसका होगा और एफिसियेंसी भी बढ़ेगी, साथ ही अपव्यय का अन्देशा भी कम रहेगा।

हमको कुछ विद्यार्थी कैम्प्स का भी अनुभव है और हम यह देखते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को कैम्प्स में आकर्षण कम होता है। जहां तक मिलिटरी ट्रेनिंग का सम्बन्ध है, इसमें ज्यादा विद्यार्थियों को आकर्षण होगा। तो हमारे जो इंसट्रक्टर्स कालिजों में जायं मिलिटरी ट्रेनिंग के लिए, उनको इस बात का खयाल होना चाहिये कि हमारा जो सामाजिक जीवन है, देश के प्रति कर्त्तव्य तथा और जो सोशल ऐक्टिविटीज़ हैं उनके सम्बन्ध में ज्यादा एम्फ़ैसिस दिया जाय और ध्यान दिया जाय। मैं इस स्तर पर, जब कि हमारे हाउस की जनरल ओपीनियन है कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये भेजा जाय, अधिक समय न लेकर अपने साथियों से अपील करूंगा कि वह सभी एक मत से इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करें और जो हमारे सामने प्रस्ताव है उसको पास करें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय शिक्षा मंत्री, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संशोधन के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं?

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---अभी इसका स्टेज ही क्या है?

श्री अधिष्ठाता---मैं केवल उनसे जानना चाहता हूं कि वह स्वीकार करते हैं या अस्वीकार क्योंकि उस पर भाषण बहुत हो रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, यह तो कल ही एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि अगर इसको शिक्षा मंत्री स्वीकार कर लें तो क्या बहस समाप्त होगी? तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कदाचित् आपने कहा कि नहीं, बहस चलती रहेगी, इसलिये मैं बैठा रहा। अन्यथा यह एक ऐसा विधेयक है जिसे यदि सदन प्रवर समिति में भेजना चाहता है तो बैठकर आवश्यकता नहीं है कि इसे पास ही कर लें। यदि सबकी राय इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की है तो मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जो बातें कही गई हैं इसके प्रिंसिपिल्स के लिये, उनके लिये मुझे मौका मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---वह तो आपको मिलेगा ही। जैसा मैंने कल कहा था कि अगर आप इसको स्वीकार कर लें तो भी हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि कोई न बोले। विरोधी पक्ष का जो अधिकार है उसको हम रोक नहीं सकते हैं और किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, ...

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी से यह निवेदन करूंगा कि वह अपनी दृष्टि में इस तर्क को रखें कि शिक्षा मंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब बात सिर्फ यह रह गई है कि १५ अक्तूबर तक रिपोर्ट आ जाय।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मुझे थोड़ी सी आपत्ति भविष्य में चल कर जरूर होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप को शिकायत का मौका न मिले, लेकिन बहुत सी मजबूरियां हैं जिनके लिये मुझे माफ करेंगे।

मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री मोतीलाल अवस्थी के संशोधन में जहां पर अंक "३१" अंकित है उस स्थान पर अंक "१५" रख दिया जाय।

मान्यवर, मैंने संशोधन अवस्थी जी की इच्छानुसार रखा है। मैं अवस्थी जी के संशोधन पर संशोधन लाया हूं और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अवस्थी जी इसके विरुद्ध बोलते रहे और सिद्धान्त की बात से एक मिनट के लिये भी वह सहमत नहीं हुए। लेकिन मेरी विवशता है औ मैं मजबूरी के आलम में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसके लिये आप सदैव मुझसे ही नहीं बल्कि हमारी संतानों से बधाई पाते रहेंगे और आपका यश फैलता रहेगा।

मान्यवर, जो चीज हमारे सामने आई है उसकी महत्ता को हमारे पूर्वजों ने देखा और हमने भी देखा और हमारा सौभाग्य है कि यह विधेयक जो सदन में आया है इसको हम सेलेक्ट कमेटी में इसलिये भेजना चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में जितना उम्दा काम हो जाता है वह सदन में नहीं हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं जो वह मुनासिब समझते थे और राजनीतिक दृष्टि से कुछ चीजों पर आवरण भी डालना चाहते थे। सम्भवतः शिक्षा मंत्री जी भी वही रूप धारण करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुकूल यह आवश्यक है कि हमारी संतान इस योग्य बने कि भारतभूमि पर यदि कोई कदम रखे तो मैदाने जंग में, सड़कों में, देहातों में अंग प्रत्यंगों से उसका सामना कर सकें। आज हमने यह सोचा था, हमने समझा था कि भारतीय सरकार जो नीति अपना रही है उसके कारण ऐसा अवसर नहीं आयेगा जब हमें अपनी रक्षार्थ अस्त्र उठाने पड़ें। लेकिन परिस्थिति बदल रही है और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि बावजूद इसके कि वह चीजें नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह होकर रहेंगी, अवश्यभावी हैं। इसके लिये हमारा कसूर नहीं है। दोनों हाथों से ताली बजती है। श्रीमन्, मैं उनमें से हूं जिन्हें शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार, जितना डिफेंस पर खर्च करना चाहिये, नहीं करना चाहती है। हम आप से सड़कें नहीं चाहते हैं, बिजली नहीं चाहते हैं, खाना एक ही वक्त खाकर रह जायंगे, मगर यह जरूर चाहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की रक्षा हमारी भावी सन्तान सैनिक बन कर करे। मंत्री महोदय उस स्थान से आते हैं जहां पापनाशिनी गंगा बहती है, जहां पर शिव भगवान विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त वाराणसी में और भी बहुत सी चीजें हैं। वह सौभाग्य हमको नहीं प्राप्त है। माननीय मंत्री महोदय अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य को भली-भांति समझ रहे होंगे।

कल मैंने एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था। दुर्भाग्यवश चेयर की रूलिंग मेरे विरुद्ध हुई। मुझे वह शिरोधार्य है, मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहता। परन्तु प्वाइंट आफ आर्डर में उतना अवसर नहीं मिलता कि सब बातों पर पूर्णरूपेण प्रकाश डाला जा सके। मैं इस बिल के सिद्धान्तों से सहमत हूं, परन्तु दुःख है और उसमें मंत्री महोदय का कसूर नहीं है कि यह विधेयक बहुत ही दोषपूर्ण है। ड्राफ्टिंग एक कला है जो कि हर वकील नहीं समझ सकता, हर जज, यह जरूरी नहीं है कि जाने। यह जरूरी नहीं है कि ड्राफ्ट करना कोई विधायक अवश्य ही जाने। लेकिन जिस रूप में यह विधेयक आया है उससे भविष्य में आप की आशाओं की पूर्ति नहीं हो पायेगी।

इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं। किसी ने कहा कि आपने लड़कियों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया लिहाजा आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है। मैं उनसे कहूंगा कि कृपया संविधान का आर्टिकिल १५ देखें जिसमें हमको अधिकार है कि औरतों और बच्चों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामले में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वर्दी से उनको परेशानी है। तो क्या वे चाहते हैं कि हमारी भावी सन्तान जब ड्रिल करे तो धोती, कुर्ता, जवाहर जैकेट और गांधी टोपी पहन कर करे? अरे, वह ड्रेस भी अपनी जगह महत्व रखती है। आप ड्रिल में धोती, लंगोटी और चौड़ी मोहरी का पैजामा अगर पहनने लगें तो दुनिया आप को हंसेगी। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों को दूध और चना दिलवाया जाय। अगर वे मैथेमेटिकल कैलकुलेशन समझ सकते हैं, फ़िजिक्स और केमेस्ट्री समझ सकते हैं तो आध घंटे की सनिक शिक्षा में क्या आपत्ति हो जायगी। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो पवित्र है और उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता। अब भी आप संविधान के आर्टिकिल १३ (२) और आर्टिकिल १४ को देखिये और इस विधेयक का खंड १० को देखिये। उसमें लिखा है :—

"Provided that the punishment referred to in sub-clauses (*a*), (*b*) or (*c*) shall not be awarded until the officer against whom the action is proposed has been given a reasonable opportunity to show cause against it."

यानी जिस अफसर को सजा दी गयी हो वह उसे तब तक नहीं दी जायगी जब तक उसको उसके विरुद्ध कहने का मौका न दिया जा चुका हो।

मान्यवर, जहां कैंडेट का सवाल है आपने लिखा है कि जहां पर दंड दिया जाय वह लिख दिया जाय। अब इसके माने क्या हैं? आपके कानूनी सलाहकार चाहे लखनऊ में रहें अथवा त्रिवेणी पर, उनसे मैं यह कहूंगा कि जब आप उसको मौका देते हैं काज दिखाने के लिये तो वह प्रोसीडिंग्स कम से कम क्वासी-जुडिशियल हो जाती हैं और जब क्वासी-जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं तो उसमें अपील के प्राविजन में आपने केवल सरकार के पास अपील करने का अधिकार दे रखा है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि संविधान के आर्टिकल २२६ के अन्तर्गत वह हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकता है और उसके लिये आपके पास कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो इस विधेयक की यह चीज कि "नो अपील शुड लाई एक्सेप्ट गवर्नमेंट (no appeal should lie except government)" एक बेमानी चीज हो जाती है। मैं चाहूंगा और समझता हूं उचित होगा कि यदि आप अटार्नी जनरल को बुला कर इस सदन में भाषण करा कर इन सब शंकाओं का समाधान करा दें। आपके ड्राफ्टमैन क्या इस विधेयक से चाहते हैं यह मैं समझ नहीं पाता। जिस उद्देश्य की पूर्ति आप करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति आप इससे नहीं कर पायेंगे। मैं किसी बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं, श्रीमन्। मुझे समय का पूरा खयाल है।

श्री अधिष्ठाता—जो बातें आप कह रहे हैं वह सेलेक्ट कमेटी में देखी जा सकती हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—किन्तु यह कहां निश्चित है कि मैं ही सेलेक्ट कमेटी में रहूंगा।

श्री अधिष्ठात—आपने संशोधन दिया है इसलिये आशा की जाती है कि उसमें आप अवश्य रहेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—उसमें अवस्थी जी रहेंगे, मैं नहीं। मेरी तो मजबूरी है। श्रीमन्, मैंने कल यह सुना कि यह आपत्ति की गई कि यह चीज तो सेन्ट्रल के ज्यूरिस्डिक्शन में है। हम तो केवल मिलिटरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई आर्मी नहीं रेज कर रहे हैं। माननीय सदस्यों की बात में कुछ कटुता भी थी। किन्तु मैं यह बात माननीय मंत्री जी का भार हलका करने की नीयत से ही कह रहा हूं, अब वह आभारी हों या न हों, यह दूसरी बात है। कुछ न कुछ भार तो उनका हलका हो ही जायगा।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण से स्पष्ट है कि आप एक रैंक देने के लिये इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि "अनिवार्य उपस्थिति, अनुशासन बनाये रखने और पदों (ranks) के प्रदान करने से सम्बन्धित कार्यों को सुनिश्चित करने के निमित्त यह आवश्यक

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

हो गया है कि एतदर्थ उपयुक्त विधायन की व्यवस्था की जाय।" किन्तु इस विधेयक में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा आपने रैंक देने का कोई स्पेसिफिक प्राविजन किया हो। श्रीमन्, माननीय मन्त्री महोदय मेरे बोलने के उपरान्त यह कहेंगे कि नियमों में इसका प्रबन्ध कर दिया गया है। उसमें यह है कि:

"The dress, uniforms with such badges of rank, as may be necessary, for the students and officers."

इसका मतलब यह है कि वर्दी और बैजेज जो पदों के लिये जरूरी होंगी वह दी जायंगी। यह ठीक है। आपने इसको रूल में रख दिया है, लेकिन जिस वक्त आप किसी पावर को डेलिगेट करते हैं तो उसको साफ तरीके से रखना चाहिये। बिल में स्पेसिफिक प्राविजन इस बात का होना चाहिये। तब आप किसी अधिकार को डेलिगेट कर सकते हैं।

मुझे कहना यह है कि इस सदन में यह महान् भ्रम हो रहा है और यह एक परम्परा भी बनती जा रही है जिसको सरकार ने अपना लिया है। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन को हमारी सरकार कभी सही तरीके से समझने के लिये चेष्टा नहीं करती। मैं आज मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप इतने सुयोग्य मन्त्री होते हुये भी सब कुछ समझने से पीछे हटते मालूम होते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करें। आपने अपने को भुला दिया है। आप यह देखें कि डेलिगेटेड लेजिस्लेशन में सरकार का विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह एक भयानक स्थिति है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब तक आप इस तरह का प्राविजन इस ऐक्ट के अन्दर नहीं रखेंगे तब तक इन नियमों में रखने से वैधानिक आपत्ति हो सकती है।

दूसरी आपत्ति यह है कि यह डेलिगेटेड लेजिस्लेशन का सिद्धान्त दोषपूर्ण है। इसको शीघ्र से शीघ्र छोड़ देना चाहिये। यह अधिकार उसी सीमा तक देना चाहिये जिस सीमा तक आवश्यक हो। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, कलर्टन कैप एलन की एक किताब जिसमें कांस्टीट्यूशन के विषय में, ला एन्ड आर्डर के सम्बन्ध में, जितने पुराने रूल्स हैं वह लिखे हुये हैं। वह मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि:

"Such extensive delegation of legislative powers would not be tolerated in England. Every Anglo Saxon feels that a power so indefinite (as that of making regulations) is in its nature arbitrary, and ought not to be extended any further than is absolutely necessary. Englishmen have a deep-seated distrust of official discretion, a deep-seated scepticism about bureaucratic wisdom."

श्रीमन्, उनका कहना यह है कि इस सीमा तक अधिकार को प्रदान करना अनुचित तरीके पर सहन नहीं किया जा सकता है। हर ऐंग्लो सैक्शन यह महसूस करता है कि यह अधिकार जो इतना अस्पष्ट है और जो कि स्वाभाविक ही तानाशाही है जो कि अपनी जगह पर आदर्शयुक्त है, उस हद के बाहर न दिया जाय जहां तक देना परमावश्यक है। उनका कहना है कि अंग्रेजों को इस नौकरशाही की डिस्क्रीशन पर और उनकी बौद्धिक शक्ति पर विश्वास नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि उन अफसरों के ऊपर जो कल क्या थे और आज क्या हैं, उन पर भरोसा करना कहां तक न्यायसंगत या उचित होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार सदैव के लिये इस बारे में अपनी नीति साफ कर दे।

यह ला ऐंड आर्डर्स पुस्तक है बाई सी० के० ऐलन। इसमें लिखा है:—

"For administrative action generally meant something one by a man whose name they did not know, sitting at a desk in a Government office, very apt to be a despot if free from the interference of the Courts of Justice. It had been, and he hoped it always would be, their duty to secure as far as

possible that the powers entrusted to the departments of the Government and the Executive generally should be exercised reasonably and free from political motives".

वह कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता हूं कि कौन लोग या महानुभाव हैं जो दफ्तरों में बैठे हुये हमारे लिये कानून बना रहे हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह किताब कहां से लाये हैं ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह---आपकी ही लाइब्रेरी की है । मैं आपके पास भेज दूंगा और आप अपनी शंका का समाधान कर लें ।

श्री अधिष्ठाता---अवधेशप्रताप सिंह जी, आप बिल के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं । आपकी केवल इतनी ही बात है कि ३१ अक्तूबर के बजाय १५ अक्तूबर कर दिया जाय । इतने ही के लिये इतनी लम्बी-चौड़ी तकरीर कुछ मेरी समझ में नहीं आई ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, यह मेरी बदकिस्मती है और मैं क्या कहूं ! इस हाउस की कनवेंशन रही है कि बिलों पर संशोधन साधारण नहीं है और हम विधेयक के दूसरे अंगों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं । आप मुझसे भी अधिक पुराने मेम्बर हैं और मुझसे भी अधिक जानते होंगे ।

श्री अधिष्ठाता---फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भ्रम में हैं । जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सेलेक्ट कमेटी को स्वीकार कर लिया है तो एक-एक क्लाज पर बहस करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---जिस डिप्लोमैटिक ढंग से उन्होंने कहा मैं उसको मानता ही नहीं । वह कहते हैं कि पहले अपोजीशन के सभी लोग इसे मान लें और वह मुनासिब समझेंगे तो मानेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---वह संशोधन को साफ शब्दों में स्वीकार करते हैं । खाली समय के बारे में उनकी कुछ बात होगी ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---उनका कमिटल कुछ साफ नहीं है । वह बहुत पोलिटिकल और डिप्लोमैटिक हैं ।

मैं सदन को और ज्यादा अधिक नहीं बैठाऊंगा और चाहूंगा कि आप भी मुझसे इस संबंध में अधिक नाराज न हों ।

दो बातें मैं सरसरी तौर से कहना चाहता हूं । फाइन का प्रावीजन आपने जो अफसरों और कैडेट्स के लिये रखा है, तो कैडेट्स का फाइन उनके गार्जियन्स पर पड़ेगा, इसलिये उसका सेलेक्ट कमेटी में कुछ उपाय होना चाहिये ।

दूसरी बात, जैसा माननीय नवलकिशोर जी ने कहा, यह है कि अपनी बहनों के लिये भी हमें भविष्य के लिये कुछ सोचना होगा । उनमें से जो इसमें रुचि रखें उनके लिये भी माननीय मंत्री जी कोई रास्ता निकाल दें जो कि कम्पलसरी न होते हुये अवैधानिक न हो, क्योंकि आर्टिकिल १५ के अनुसार आप डिसक्रिमिनेशन कर सकते हैं । इसलिये ऐसी कोई बात रखनी चाहिये जिससे हमारी बहनें भी इसका लाभ उठा सकें ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय चेयरमैन साहब, कल से जो स्टेट एजूकेशन कोर बिल इस सदन के सामने चल रहा है, उसे माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इस सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, न सिर्फ स्वागत करता हूं बल्कि इसके लिये उनको बधाई देता हूं कि वे एक ऐसा बिल सदन के सामने लाये जिसके जरिये से न सिर्फ नौजवानों का बल्कि तमाम हमारे सूबे का कल्याण होगा ।

जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो ऐसा लगता था कि शायद हम १०-२० बरस पीछे चले गये हैं । मुझे वह जमाना याद है जब सन् १९३७ ई० में मैं अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तालीमी कमेटी का चेयरमैन था । मैंने कोशिश करके वहां लड़कों का एक इस तरह का एसोसियेशन बनाया था जिसमें बंदूकों से तालीम दी जाय । हम सचमुच की बंदूकें नहीं चाहते थे, लेकिन प्राइमरी एजूकेशन के लिये सिर्फ आर्टिफिशियल लकड़ी की बंदूकें चाहते थे जिससे वे लोग मिलिटरी एजूकेशन के तौर पर सीख सकते । लेकिन उस वक्त जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी बावजूद इसके कि उनको बारहा लिखा गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से बहुत जोर लगाया गया, मैं खुद भी मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि वह उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे लड़कों में बगावत की स्पिरिट पैदा होगी । आखिर तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन वह चीज मंजूर नहीं हुई । जब इस बिल पर तकरीर हो रही थी तो मुझे ताज्जुब हो रहा था, मैं यह सोचता था और हर शख्स यही सोचता होगा कि यह बिल जो बहुत ही जरूरी बिल है, जो बहुत छोटा सा बिल है, उसके सिलसिले में डिसक्रिमिनेशन की बात कही गयी, कांस्टीट्यूशनल आबजेक्शन्स किये गये तो मैंने अपना माथा ताज्जुब से मला ।

कांस्टीट्यूशनल बात पर तो पहले चेयरमैन साहब रूलिंग दे चुके हैं, मुझे उसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी चीज अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा कांस्टीट्यूशन फ्लेक्जिबिल है, रिजिड नहीं है । उसमें गुंजायश है, हर तरह की सहूलियत आगे बढ़ने की वह हमें देता है । क्या यह सही नहीं है कि हमारे मुल्क में हिन्दू यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स कालेज हैं, ब्वायेज कालेज हैं और सब अलाहिदा-अलाहिदा हैं । अगर इनमें डिसक्रिमिनेशन का सवाल हो तो ये सब चीजें गलत हो जायं । लेकिन बावजूद इसके सब अपनी जगह हैं, लेकिन उनको स्पिरिट बदलनी पड़ी । आज बनारस यूनिवर्सिटी या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वह कांस्टीट्यूशन नहीं है जो हमारे कांस्टीट्यूशन के आने के पहले था । तो कहने का मतलब यह है कि कांस्टीट्यूशन सिर्फ स्पिरिट देखता है, वह लेटर नहीं देखता, वह यह नहीं देखता कि इसका क्या नाम रखना चाहिये । अगर यह चीज होती कि लड़कियों के और लड़कों के बीच कानून के जरिये कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है तो गर्ल्स स्कूल आज अलग नहीं होते । लेकिन हमारे यहां कुछ सोशल सिस्टम ऐसा है, जिसकी वजह से लोग लड़के और लड़कियों को एक साथ मिक्स होने की इजाजत नहीं देते, वे इसको पसन्द नहीं करते । तो हमारा कांस्टीट्यूशन इसके लिये किसी को फोर्स नहीं करता कि वह अपने सोशल प्रैक्टिस को छोड़ दे । एक वक्त आयेगा और जरूर आयेगा और बहुत लोगों की तवक्को से पहले आयेगा कि हमारे सामने इस किस्म का कोई मतभेद नहीं होगा कि कौन गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है और कौन ब्वायज इंस्टीट्यूशन है ।

अगर संविधान के आर्टिकिल १५ और १६ को गौर से देखा जाय तो उसका हरगिज यह मंशा नहीं है कि अगर इस तरह का कोई बिल लाया जाय तो उस बिल को रोका जा सकता है । फिर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बहुत उम्दा और बड़ी सुन्दर तकरीर के जरिये इसका इतिहास भी बतलाया कि इस सूबे के अन्दर यह तहरीक कैसे उठी और किस तरीके से आगे बढ़ी । यह एक या दो साल की चीज नहीं है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सन् ४८ में सोशल सर्विस की ट्रेनिंग की स्कीम चालू की गयी, उसके बाद कम्पलसरी मिलिटरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ट्रेनिंग की स्कीम चालू की गयी और सन् ५३ से यह चीज चल रही है, लेकिन कभी किसी ने इस सम्बन्ध में कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस असेम्बली में किसी ने इस तरह का कोई सवाल उठाया हो, मुझे यह भी नहीं याद पड़ता कि इस असेम्बली में इस तरह का कोई ऐडजर्नमेंट मोशन ही आया हो, मुझे यह भी याद नहीं पड़ता कि कभी किसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन ही इस तरह का यहां पेश किया हो कि यह बहुत बुरी चीज है और इसकी तरफ तवज्जह नहीं करनी चाहिये। जनाबवाला, मैं नहीं समझता कि आज कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसके मातहत यह बिल जो आपके सामने आया है, उसको मंजूर करने में कोई कठिनाई की बात हो। इस बिल के जरिये सिर्फ एक चीज की गयी है कि अब तक यह जो एक स्कीम के तरीके पर होता रहा है उसको इस बिल के जरिये स्टेट्यूट बुक में लाना चाहते हैं और उसके जरिये इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

जनाबवाला, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब यह कहा गया कि इस बिल के लाने से किसानों को कोई नुकसान पहुंचेगा। मैं नहीं समझ सका कि इस बिल से किसानों का क्या ताल्लुक है? यूनिवर्सिटी में, कालेज व स्कूलों में तो सबके बच्चे पढ़ते हैं, काश्तकार के बच्चे भी पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे भी पढ़ते हैं, कारीगर के बच्चे भी पढ़ते हैं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। यह बिल तो सबके लिये ऐप्लाई करता है और यह बिल उनको इस बात का मौका देता है कि वे अपनी सेहत को बेहतर करके अपने को बेहतर सिटीजन बना सकें। जनाबवाला, आज इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि हमारे नौजवान तन्दुरुस्त हों, हमारे नौजवान ट्रेंड हों, हमारे नौजवान डिसिप्लिन्ड हों? मैं समझता हूं कि अगर हम अपने मुल्क के बाहर नजर निकाल कर देखें तो जितने मुमालिक हैं, उन सब मुमालिक में इस किस्म की ट्रेनिंग होती है जिससे वे आइन्दा चल कर अपनी जिन्दगी में मुल्क की खिदमत करने के काबिल हो सकें। आज हमारे सामने बहुत से सवाल हैं, हमारी तरफ काले बादल मंडरा रहे हैं, आज गोआ, कश्मीर के तथा और बहुत से इंटरनेशनल प्रोबलम्स हैं, जिनके हल करने के लिये हम अपने नौजवानों को आमादा नहीं करते कि वे अपनी सेहत को बेहतर बना सकें और इस तरह की ट्रेनिंग लेकर अपने को इस काबिल बना सकें कि आइन्दा चल कर वे बेहतर सिटीजन साबित होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। आज हमें तो उनको इस काबिल बनाना है कि वे आइन्दा आने वाली जिम्मेदारियों को उठा सकें।

जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि बाज दोस्तों ने इस बिल के एम्स ऐण्ड आबजेक्ट्स और प्रिएम्बिल को गौर से नहीं पढ़ा है जिसको पढ़ने के वे मुस्तहक थे। उसमें अगर देखा जाय तो न सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया है कि उनको मिलिटरी किस्म की ट्रेनिंग दी जाय, बल्कि उनकी शिक्षा ऐसी हो जिससे वे अपने करेक्टर को डेवलप कर सकें, सोशल सर्विस का आइडिया को लेकर, लीडरशिप का आइडिया से मुल्क की खिदमत कर सकें। और यह भी सही है कि हमारे नौजवान, हिन्दुस्तान के नौजवान किसी मुल्क के नवजवानों से पीछे नहीं हैं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे नौजवान गलत हैं या इनडिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर हम अपने यहां नौजवानों को तरक्की का मौका नहीं देंगे और उनके जीवन को सही सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम उनसे यह तवक्को नहीं कर सकते कि वह इस देश के अच्छे सिटीजन निकलें, इस देश की वह रक्षा कर सकें और इस मुल्क को आगे बढ़ा सकें।

जब इस बिल पर सेक्स का सवाल उठाया गया तो मैं यह सोच रहा था कि यह बिल जैसा कि अपनी जगह पर है उसके मुताल्लिक किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं और यह इसी सूरत में सदन में आना चाहिये था कि जिस सूरत में इसे लाया गया है। मैं इस हाउस की इस राय की इज्जत करता हूं कि हमारे यहां की औरतों को और बच्चियों को भी इस बात का मौका मिले कि वे भी इस तरह की ट्रेनिंग हासिल कर सकें और मैं माननीय मंत्री जी से भी अर्ज करूंगा कि वे इस बात पर गौर करें कि आया वे गर्ल्स के लिये भी कोई ऐसा कोर बना सकते हैं जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया और अगर बना सकते हैं तो उसको बनाने

[श्री सुल्तान आलम खां]

में क्या-क्या दुश्वारियां और दिक्कतें पेश आयेंगी और वह किस तरह से दूर की जा सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उनमें ऐसी कौन सी कमी है कि जिससे वह इसकी मुस्तहक नहीं हो सकतीं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो इस सूबे में हर शख्स पर पाबन्दी कर देता कि वह मिलीटरी ट्रेनिंग लाजमी तौर पर ले और जनता के जो प्रतिनिधि यहां बैठे हैं वे हमारे भाई हैं या बहिनें हैं उन सबसे मैं तो तवक्को करता कि वह मिलीटरी ट्रेनिंग लेकर एक नमूना पेश करें, हम लोग जो अपने-अपने क्षेत्र से आये हैं और जो जनता के नुमाइन्दे की हैसियत रखते हैं अगर वे खुद दिलचस्पी लें तो यकीनन हमारे आने वाले दूसरे भाई भी दिलचस्पी से काम करेंगे।

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि अगर सदन चाहता है तो इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो उन्हें कोई एतराज न होगा। यह एक ऐसा बिल है कि जिसके बुनियादी उसूलों को तो हम पहले से ही मान चुके हैं और उन पर अमल भी कर रहे हैं, यह बिल तो सिर्फ एक स्टैट्युरी हैसियत देने के लिये लाया गया है वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हाउस इसको प्रवर समिति में भेजना चाहता है और मंत्री जी भी रजामन्द हैं तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। इसको वापस करने का सवाल नहीं है, जब प्रवर समिति में जा रहा है तो वहां इस पर विचार हो जायगा। इन अल्फाज के साथ मैं एक मर्तबा इसकी फिर ताईद करता हूं और अपने दोस्तों से और सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यह एक ऐसा बिल है कि इसे बगैर किसी देर के या वक्फे के पास हो जाना चाहिये ताकि इसके जरिये से हमारे देश और सूबे की खिदमत हो सके।

*श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, यह जो राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस पर उधर से माननीय सदस्य ने जो अपने विचार प्रकट किये और करीब-करीब ४० मिनट तक एक भाषण दिया उसमें दो चार मिनट को छोड़कर उन्होंने विधेयक के क्लाजेज पर एक शब्द भी नहीं कहा। उनका प्रवर समिति में ले जाने का मकसद यह था कि शिक्षा का सुधार कैसे हो। अब शिक्षा के सुधार से और सैनिक शिक्षा विधेयक से क्या मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर माननीय सदस्य इसको ध्यान से पढ़ते तो उनको आसानी से मालूम हो जाता कि इस बिल के क्लाजेज में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके प्रवर समिति में जाने की जरूरत हो। जहां तक मैं समझता हूं यह बिल एक साधारण सा बिल है जिसकी आवश्यकता इस देश और प्रदेश के लिए बहुत दिनों से थी। इस बिल का जो मकसद है वह साफ दिया हुआ है। "विद्यार्थियों में चरित्र, अनुशासन, सौहार्द्र, समाज सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक कवायद (Military drill) और आयुध-प्रयोग (use of arms) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।'

यह इसका मकसद है। इस मकसद में प्रवर समिति में जाने के बाद कौन सी बात लायी जायगी यह मेरी समझ में नहीं आता। फिर इसके साथ बिल का प्रसार कैसे हो यह भी साफ-साफ दिया हुआ है। मैं नहीं समझता कि इसके लिए भी प्रवर समिति में जाने की कौन-सी आवश्यकता है? राज्य शिक्षा सैनिक संघटन यह जो क्रिया कर्म दिया है इसमें साफ दिया है कि किस तरह से संघटन हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके लिए भी प्रवर समिति में जाने की क्या आवश्यकता है? तीसरे एनरोलमेंट में साफ तौर से दिया हुआ है कि कैसे वह प्रविष्ट किया जाय, उसकी क्या उम्र हो। यह साफ तौर से दिया हुआ है। अगर यह प्रवर समिति में भेजा जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी नयी बात इसमें शामिल कर दी जायगी? फंक्शंस---क्या कार्य हैं विद्यार्थियों के जो सैनिक शिक्षा ले रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं यह भी साफ तौर से दिया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो कौन सी नयी बात रखी जायगी। अधिकारियों की नियुक्ति, कैसे अधिकारी होने चाहिए यह साफ-साफ दिया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर प्रवर समिति में भेजा जाय तो कौन सी नयी बात जोड़ दी जायगी। अधिकार और कर्त्तव्य यह भी दिया हुआ है कि क्या उनके अधिकार हैं—और क्या उनके कर्तव्य हैं। यह भी साफ तौर से दिया हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर प्रवर समिति में भेजा जाय तो कौन सी नयी बात जोड़ दी जायगी। इसके साथ-साथ अपराध और दंड यह भी साफ तौर से दिया हुआ है कि अगर कोई इन सबार्डिनेट हो और आज्ञाओं का पालन न करे तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए। यह साफ तौर से दिया हुआ है। इसके साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है कि अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो उसको अपील करने का भी अधिकार है।

यह छोटा-सा बिल है। इस विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती है कि इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता हो।

एक साहब ने कहा कि इंटरमीडियेट बोर्ड में—एक नयी बात माननीय सदस्य ने कही वहां इस बिल के मकसद के सम्बन्ध में कुछ मतभेद आपस में था। शिक्षा से मेरा चालीस वर्ष से सम्बन्ध है। कई संस्थाओं से सम्बन्ध है। मैं यह जानता हूं कि इस तरह की शिक्षा की कितनी आवश्यकता है और कितने विद्यार्थियों में सैनिक शिक्षा के प्रति रुचि है। आज बड़ी खुशी की बात है कि, १९२७ से लेकर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया और मैं भी अखबारों के जरिये बराबर पढ़ता रहा और देखता रहा, बराबर इसकी बातें होती रहीं, यह बिल की शक्ल में आया है। हम इस बात के लिये माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने इस बिल को एक कांक्रीट शेप में लाकर प्रदेश की और देश की सेवा के लिए विद्यार्थियों को मौका दिया है।

जहां तक प्रवर समिति का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि संशोधन पर संशोधन तो हैं। कोई कहता है कि ३१ अक्तूबर तक रिपोर्ट दे दे, कोई कहता है कि १५ अक्तूबर तक रिपोर्ट दे दे, कोई कहता है कि नवम्बर तक रिपोर्ट दे दे। किसी माननीय सदस्य ने, न इधर के और न उधर के यह नहीं बताया कि इसको क्यों प्रवर समिति में भेजा जाय? यह जरूर कहते हैं कि शिक्षा में दोष है, बुराई है। इसका सैनिक शिक्षा से क्या सम्बन्ध है? एक विरोधी दल के साहब ने कहा कि ४२ प्रतिशत रिजल्ट होता है। इससे क्या मतलब है? क्या शिक्षा में परीक्षा प्रणाली रखी जाय या न रखी जाय? जैसे कि बहुत से देशों में परीक्षा प्रणाली नहीं है। वहां लड़के की प्रोग्रेस देख कर आगे बढ़ा दिया जाता है। अमेरिका में यह प्रथा है। इंग्लैंड में यह प्रथा है। हिन्दुस्तान में यह प्रथा नहीं है। जब शिक्षा पर विवाद हो तो यह बात कहना ठीक होगा कि यह शिक्षा में नयी बात लायी जाय। लेकिन इस सैनिक शिक्षा में प्रवर समिति में कौन सी नयी बात लायी जायगी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं प्रवर समिति की कोई आवश्यकता नहीं समझता और मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि माननीय सदस्य इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दें। यह बिल हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों का संघटन, उनमें अनुशासन रखना इस आवश्यक शिक्षा से होता है और सैनिक शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसके जरिये से यहां के नौजवानों को एक अच्छे नागरिक के रूप में आप ढाल सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि अभी हमें चलना फिरना भी नहीं आता। और मुल्कों में जाकर देखिये, मैं सिनेमा वगैरह में देखता हूं कि लन्दन में कैसे लोग अनुशासित रूप से जाया करते हैं जबकि हमारे यहां हर आदमी आगे आने की चेष्टा करता है। यह सब चीजें हमें सिखानी हैं। अगर एक अच्छा नागरिक बनाना है तो इस बात की आवश्यकता है कि इन बातों को सीखें कि कैसे हम रहें, समाज में हमारा क्या स्थान है, इसको जानें तथा वैसे ही कार्य करें।

[श्री अनन्तराम वर्मा]

इसके साथ-साथ समाज सेवा की भावना पैदा होती है। जैसा मंत्री जी ने कहा पहले पहल इस बिल का नाम समाजसेवा प्रशिक्षण था। इसके बाद १९४८ में अनिवार्य सैनिक शिक्षा हो गया। तो मतलब यह है कि समाज सेवा ही इसका उद्देश्य है। नागरिकता का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक नागरिक यह समझे और कर्तव्य करे कि उसका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, तभी देश की उन्नति हो सकती है और इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ-साथ माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इसको सर्व सम्मति से पारित करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, इस विधेयक के समर्थन में सिद्धान्ततः जिन प्रश्नों का उल्लेख किया गया और जिन मौलिक विचारों का प्रतिपादन किया गया उनसे मैं सहमत हूं।

कदाचित् कल मेरे एक वैधानिक प्रश्न उठाने से एक मिथ्या धारणा सदन के कुछ माननीय सदस्यों को यह हुई कि सम्भवतः किसी प्रकार की भी सैनिक शिक्षा विद्यालयों में दिये जाने का मैं, विरोधी हूं। मैं श्रीमन्, प्राथमिक रूप से यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि मेरा ऐसा विचार नहीं है। अगर मैंने कल वैधानिक आपत्ति उठायी तो केवल इसलिये कि मैं वास्तव में चाहता था कि हम अगर अपने विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में किसी प्रकार का भी कोई प्रशिक्षण दें तो उस विधान की मर्यादा के अनुसार दें जिसके अनुपालन और अनुशीलन करने की हम सबने शपथ ली है और हम उसके लिये कटिबद्ध भी हैं और प्रतिज्ञाबद्ध भी। तो उसी वैधानिक मर्यादा की सुरक्षा के लिये मैंने वैधानिक प्रश्न रखा था और, श्रीमन्, जहां मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है वहां मेरा व्यक्तिगत विचार अब भी यही है कि सैनिक शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व केन्द्र के हाथ में होना चाहिये। सैनिक शिक्षा आजकल के अर्वाचीन युग में कोई ऐसा विषय नहीं रह गया है जिसे स्थानीय संस्थायें या राज्य सरकारें सही मानों में दे सकें और उसके लिये वे सभी साधन शिक्षण संस्थाओं को या सैनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दे सकें कि जो वांछनीय हैं। इसीलिये संविधान में भी लिखा हुआ है कि सुरक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय केन्द्र के अधीन होंगे।

इस सम्बन्ध में, श्रीमन्, मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस तथ्य का वर्णन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने विषद् व्याख्यान में कल भी किया था। उन्होंने हमें बतलाया था कि नेशनल कैडेट कोर और आग्जीलरी कैडेट कोर यह दो सैनिक दल पहले से हमारे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। यह प्रदेशीय विधान के परिणाम नहीं हैं। नेशनल कैडेट कोर ऐक्ट यह केन्द्रीय पार्लियामेंट के द्वारा विधि के रूप में पारित किया गया है। इसी प्रकार आग्जीलरी कैडेट कोर का निर्माण भी केन्द्रीय ऐक्ट के द्वारा हुआ है। तो यही प्रश्न उठता है, श्रीमन्, कि जब प्राइमरी स्टेज में जो कोर कार्य करते हैं, जो सैनिक दल कार्य करते हैं, उनका प्रशासन तो केन्द्र के द्वारा हो, यूनिवर्सिटी में जो नेशनल कैडेट कोर होता है उसका प्रशासन केन्द्र के द्वारा हो, केवल एक हायर सेकेंडरी स्कूल के जो कोर हैं उनका प्रशासन प्रान्त के द्वारा हो, यह कहां तक उचित है। यह प्रश्न है जो विचारणीय है। सिद्धान्त के रूप में भी विचारणीय है कि आग्जलरी कैडेट कोर यह हायर सेकेंड्री स्टेज के नीचे के स्तर की बात है, प्राथमिक स्तर की बात है और फिर जो एक हाइयेस्ट स्टेज है वह यूनिवर्सिटी स्टेज आती है, वहां नेशनल कैडेट कोर है। तो आग्जीलरी कैडेट कोर केन्द्र संचालित करे, हायर सेकेंड्री स्कूल में कैडेट कोर प्रान्त संचालित करे और नेशनल कैडेट कोर केन्द्र संचालित करे इसमें अवश्य कुछ विरोधाभास है और मैं चाहता हूं कि इस विरोधाभास की ओर हम लोग विचार करें और अगर इसको दूर कर सकते हों तो दूर करने की चेष्टा करें। यानी एक व्यवस्था हो। या तो केन्द्र हमें इस बात की आज्ञा दे कि जो भी इस प्रकार के सैनिक दल होंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे सब प्रान्तीय सरकार के द्वारा, प्रान्तीय सरकार के नियन्त्रण में, प्रान्तीय ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के नियन्त्रण में चलेंगे या फिर सब केन्द्रीय ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के नियन्त्रण में चलें। मेरा तो यह भी विचार है कि एन० सी० सी०, नेशनल कैडेट कोर, प्रांविशियल एजुकेशनल कोर, और आग्जीलरी कैडेट कोर यह तीनों एक डाइरेक्शन के अन्दर चलने चाहिए। इन तीनों का प्रशिक्षण एक अथारिटी के द्वारा होना चाहिए जो कि आग्जीलरी कैडेट कोर का भी, प्रांविशियल कैडेट कोर का भी जिसकी बात हो रही है और नेशनल कैडेट कोर का भी संचालन करे। मैंने माननीय मन्त्री जी से पुराने नियमों की कापी मांगी थी कि उनकी एक प्रति मुझे मिल जाय। वह अभी मुझे मिल नहीं पायी है। तो मुझे पुराने नियमों का तो ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि तीनों प्रकार के सैनिक दल एक डाइरेक्टर या एक कमांडेंट के नियन्त्रण में होने चाहिए चाहे उनके कार्यकर्त्ता अलग-अलग हों।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक तथ्य की ओर आप का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग शिक्षालयों में सन् ४८ से हमारे यहां लागू है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक इस विवाद में हिस्सा लिया और उन्होंने यह भी शायद हमको बतलाया कि सन् २७ में विरोधी दल जो यहां था उस विरोधी दल ने यह प्रस्ताव किया था कि सैनिक शिक्षा विद्यालयों में होनी चाहिए। हम इस सूचना के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं। विरोधी दल आज भी सही माने में अनुशासन बढ़ाने के लिये, सांस्कृतिक अभ्युत्थान के लिए, सामाजिक पुनरुत्थान के लिए, और सामाजिक अनुशासन की चेतना बढ़ाने के लिए, अगर कोई प्रशिक्षण होता है तो आज भी विरोधी दल जो इधर बैठा हुआ है इस प्रकार के सही प्रशिक्षण का स्वागत करने को तैयार है। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या ऐसी प्रशिक्षण योजना यह है अथवा नहीं? जहां तक राष्ट्र की सेवा का प्रश्न है, मैं समझता हूं, श्रीमन्, कि कल जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस विवाद का स्तर बनाया था उससे हम आज कुछ बहक गए। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत कूटनीतिक रूप से सैनिक शिक्षा पर कम जोर दिया और रचनात्मक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया था। लेकिन आज यह हमारी कुछ बदकिस्मती रही कि कुछ कश्मीर और गोवा का जिक्र ज्यादा आ गया और ऐसा मालूम पड़ने लग गया कि जैसे यह जितनी सैनिक शिक्षा हो रही है यह कश्मीर और गोवा के बचाव के लिये हो रही है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो नेतृत्व हमें कल प्रदान किया था उससे हम आज वंचित रहे। मैं नहीं समझता कि यह सैनिक शिक्षण बिल कोई कश्मीर और गोवा की वजह से आज लाया गया है। यह तो जैसा उन्होंने कहा सन् ४८ से यह प्रशिक्षण चल रहा है। उसको एक वैधानिक रूप देने की बात है। मैं इसको ऐसा ही मानता हूं। वरना अगर हम ऐसी बात कहेंगे तो इसका अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रेस में जाकर जिस प्रकार पब्लिश होगा उसका गलत इम्प्रेशन पड़ सकता है। तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार अगर हमने कहना शुरू किया कि बच्चा-बच्चा कट मरेगा, गांव-गांव में लड़ेंगे, इस तरह की बात की जायगी आज यहां तो इंटरनेशनल प्रेस में भी इसका बिल्कुल गलत इम्प्रेशन पड़ सकता है। तो मैं इसको नहीं मानता कि कोई सैनिक तैयारी हम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि सन् ४८ में आपने कोई रूल्स बनाये थे, उसमें कोई कांस्टीट्यूशनल दिक्कत न उठे, इसलिये उसको आप ला रहे हैं। इसके लिये आप ले रहे हैं और उसी दृष्टि से मैं भी कह रहा हूं। मेरी शिकायत यह है कि कोई कम्पलसरी मिलिटरी एजूकेशन आज तक हुई नहीं। यह कहना गलत है कि इस राज्य के विद्यालयों में अब तक कम्पलसरी मिलिटरी एजूकेशन दी जाती है। गवर्नमेंट ने कोई आर्डर निकाला होगा लेकिन आर्डर लागू नहीं हुआ।

इसी बजट में आप देखेंगे कि पी० ई० सी० के लिये कुछ रुपया वर्दियों के रख-रखाव के लिये और कुछ राइफिलों की खरीद के लिये स्वीकृत किया गया है। मैं सरकार का ध्यान बजट के पृष्ठ १०६–१०७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उससे स्पष्ट हो जायगा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि सन् ५३ में जब समाज-शिक्षण और मिलिटरी ट्रेनिंग दोनों स्कीमें चालू की गई हैं तो प्रदेश के केवल २० नगरों में इन्हें अनिवार्य किया गया था। उसके बाद इस साल इस बात का निश्चय किया गया कि और जिलों में भी यह लागू कर दी जाय। तो पहली बात जो है वह यह कि हमारी यह मिथ्या धारणा होगी अगर हम यह समझें कि कम्पलसरी मिलिटरी एजूकेशन या समाज-शिक्षण हम आज दे रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि सरकार अपने सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए अनिवार्य मिलिटरी एजूकेशन दे ही नहीं सकती, जिसको कि देना चाहिये।

अब आप, श्रीमन्, देखेंगे कि ५५ हजार केडेट्स हैं जो पी० ई० सी० में भर्ती हैं लेकिन उनके लिये वर्दियां कुल ३० हजार ही हैं और उनकी मरम्मत के लिये १ रु० प्रति वर्ष का इन्तजाम किया गया है। ५५ हजार केडेट्स के लिये वर्दियां भी नहीं हैं और १ रुपये में क्या वर्दी मेन्टेन होगी, यह आप समझ सकते हैं। तो एक ऐसपेक्ट यह है कि राज्य सरकार के पास धन की इतनी कमी है कि वर्दी भी वह पूरी नहीं दे सकती।

दूसरी बात यह है कि ३,५०० राइफिलें पी० ई० सी० के पास हैं। ५५ हजार केडेट्स और ३,५०० राइफिलें, पता नहीं वहां कोई रोटेशनल सिस्टम है जिसमें हर चौथे दिन ट्रेनिंग दी जाती है? फिर जब २० नगरों में यह योजना चल रही थी तब तो ३,५०० राइफिलें थीं और जब ५१ जिलों में यह योजना लागू हो गई है और बाकी ३१ जिलों में भी यह पी० ई० सी० की योजना लागू की जा रही है तो उनके लिये कुल १,५०० राइफिलें नई खरीदी जा रही हैं और उन १,५००राइफिलों में भी केवल ७५० राइफिलें इस वर्ष खरीदी जा रही हैं और वे भी डी० पी० राइफिल्स यानी डमी राइफिलें जिनकी कीमत ६० रु० प्रति राइफिल है। २० जिलों में जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तब तो सर्विस राइफिलों के जरिये से ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब डी० पी० राइफिलों के जरिये ट्रेनिंग दी जायगी। तो इस प्रकार पी० ई० सी० की योजना राज्य सरकार चलाना चाहती है और इन्हीं डी० पी० राइफिल्स के जरिये ट्रेनिंग दे कर हमारे सैनिक गोआ और कश्मीर में लड़ेंगे। यह देख कर मुझे खेद होता है और यह प्रस्ताव जरा किंचित मात्र हास्यास्पद प्रतीत होता है।

मेरा निवेदन यह है कि हम वास्तविक रूप से ५ लाख विद्यार्थी, जो इन कालेजेज में पढ़ते हैं, उनको सामाजिक और सैनिक शिक्षण देना चाहते हैं तो हमको सही मानों में फंड्स प्रोवाइड करने होंगे, वर्दियां बनानी होंगी। लेकिन राज्य सरकार फंड के नाम से घबराती है कि साधन नहीं है, पैसा नहीं है, प्रत्येक रुपया पैसा हमारा योजना के लिये प्लेज्ड है, यह हमसे कहा जाता है और यह फाइव ईयर प्लान के बाहर की चीज है, प्लान के अन्दर नहीं है। माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि प्रांविंशियल एजूकेशनल कोर के लिये सेकेंड फाइव ईयर प्लान में एक पैसा नहीं है, इसलिये आने वाले ५ सालों में इतना रुपया नहीं लगाया जा सकता जितना कि लगना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह हमारे कमिटेड आइटम्स में है कि जो स्कीम्स हमारी बदलती हैं और चल रही हैं उन पर जो खर्चा होता रहता है, उससे प्लान से कोई मतलब नहीं है, वे तो चलती ही रहेंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभारी हूं कि जो मैंने दलील दी थी उसकी उन्होंने सम्पुष्टि कर दी। लेकिन मेरा तात्पर्य यह था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५१ जिलों में प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को मिलिटरी एजूकेशन देने का प्रावीजन नहीं है। चूंकि पहले वह केवल २० नगरों में दी जाती थी, वह तो कमिटेड है कि इसका और जगह लागू होना कमिटेड नहीं है। इससे मेरे तर्क की पुष्टि हो जाती है।

अब, श्रीमन्, हमें इस सम्बन्ध में यह भी विचार करना है कि आया हमें कम्पलसरी फार्म इसको देना चाहिये या नहीं, आया एलिमेंट आफ कम्पल्शन इस मिलिटरी ट्रेनिंग या सामाजिक शिक्षण कहिये, इसको देना चाहिये या नहीं? मुझे भय है कि यह कम्पलसरी शब्द ठीक नहीं मालूम होता। अगर इसका प्रयोग न करते तो ज्यादा अच्छा होता और इस सम्बन्ध में यह केवल मेरा ही अकेले विचार नहीं है, श्रीमन्, यह प्रश्न राधाकृष्णन कमीशन के सामने भी उठा था और राधाकृष्णन कमीशन ने इस सम्बन्ध में जो राय व्यक्त की है वह आप के सामने व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उसकी रिपोर्ट के पेज ३६७ की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं —

"Enrolment of the National Cadet Corps is not voluntary. This is preferable to compulsory service. Voluntary service will enjoy the better esprit de corps than compulsory training".

नेशनल केडेट कोर में जो भर्ती होते हैं वे स्वयं भर्ती होते हैं। कम्पलसरी, यानी आवश्यक प्रतीत होने की तुलना में इस प्रकार का स्वयं भर्ती होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वयं भर्ती होने से आपस में सामुदायिक चेतना ज्यादा आती है। बजाय इसके कि अनिवार्य भर्ती करने का कोई प्रावीजन रखें। यह उन्होंने एन० सी० सी० के बारे में कहा है।

आगे चल कर राधाकृष्णन कमीशन ने, जहां पर सामाजिक शिक्षा की बात कही है वहां पर भी कहा है कि कम्पल्शन नहीं होना चाहिये। मैं पेज ३७२ की ओर ध्यान दिलाता हूं और उसमें यू० पी० सरकार का भी इनडाइरेक्टली जिक्र आ गया है। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यू० पी० सरकार एक मात्र राज्य है जहां ऐसा हो रहा है। अच्छा यह हो रहा है, इसकी ओर भी स्पष्ट हिन्ट दिया है। इसमें ३७१ पेज के ५१वें पैराग्राफ में लिखा है:—

"We believe that all this work should remain on a voluntary basis".

हमारा विश्वास है कि यह सारा काम स्वयं सेवकाई के आधार पर होना चाहिये। आगे चलकर कहते हैं —

"We note that atleast in one province the Government issued a communique to the effect that no male graduate, who had not earned a diploma in social service awarded by the Government would be eligible for recruitment to service under Government or local bodies, or training institutions recognized by the Government, for which the Bachelor's degree or the equivalent is a requirement".

यानी हमने नोट किया कि एक राज्य में गवर्नमेंट ने यह आज्ञा प्रसारित की कि किसी भी ग्रेजुएट को नौकरी नहीं दी जायगी जब तक वह सोशल सर्विस का सर्टिफिकेट न प्रस्तुत करे।

"This Government later saw fit to modify this communique and stated merely that other qualifications being equal preference would be given to candidates with social service training".

यू० पी० सरकार ने बाद को इसे मोडीफाई कर लिया है कि दूसरी क्वालिफिकेशन्स के साथ-साथ अगर सोशल सर्विस को भी क्वालिफिकेशन होगा तो उसको प्रिफरेंस दिया जायगा। इसके बाद कहा है कि :—

"We think that compulsion should not be applied to youngmen and women, which is really a contradiction in terms, or undue indirect influence brought upon them by making social service pre-requisite to gaining employment or other desirable privileges".

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि हमारा विचार है कि इस प्रकार की अनिवार्यता अगर हम अपने यहां के युवक और युवतियों के लिये लायेंगे तो ठीक नहीं होगा क्योंकि एक तरफ तो सामाजिक शिक्षण और दूसरी तरफ उसमें दबाव डाला जाय, इस प्रकार के नियम हमारी भावनाओं को समाप्त कर देते हैं। यह उनकी राय है।

अब प्लानिंग कमीशन की राय, श्रीमन्, मैं बतला देना चाहता हूं। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो चेप्टर अदर प्राब्लम्स का है उसके पैरा १२० में लिखा हुआ है कि :-

"Doubts have been raised regarding the desirability of introducing compulsion in this matter. They relate only to short-term difficulties and do not seriously touch any question of principle. A period of preparation and experimentation will be needed before the service can be put on a compulsion footing. Meanwhile the scheme should be introduced on a voluntary basis with certain inducements".

प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में यह कहा है और दूसरी के बारे में मैं केवल संकेत मात्र कह रहा हूं कि बहस करते हुये कहा है कि इस मामले में अनिवार्यता लाना आवश्यक नहीं है। अभी और अनुभवों और प्रयोगों की आवश्यकता है। इंडयूप्मेंट दे दिया जाय तो अच्छा हो। लेकिन यह स्कीम वालंटरी बेसिस पर चलनी चाहिये और मेरा विचार भी है कि हम चाहे सिद्धान्त की दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक आधार से देखें, चाहे प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर देखें और चाहे हम राधाकृष्णन की सिफारिशों के आधार पर देखें, लेकिन अभी वह स्टेज नहीं आया है कि हम कम्पलसरी रूप में सामाजिक शिक्षण और सैनिक शिक्षण को रखें। यदि माननीय मंत्री जी आज्ञा दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कटु सत्य है कि हमने अनिवार्य शिक्षण १९४८ से किया, लेकिन अभी तक नहीं कर पाये। जब कटु सत्य यह है कि हमने दस साल से नियम बना रखे हैं और हम उनको लागू नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से ऐक्ट में नाम देना ठीक नहीं होगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने गेंदासिंह जी के जिक्र में कहा कि हम फाल्स होप्स नहीं देना चाहते हैं, उसी तरह से आपको आशाओं का हिमालय नहीं खड़ा करना चाहिये। अगर इस प्रकार की आशाओं का बांध बांधा जायगा तो सब समझेंगे कि अनिवार्य शिक्षण मिल रहा है लेकिन तथ्य कुछ भी नहीं होगा और यह ठीक नहीं है। इसलिये कम्पलसरी ट्रेनिंग की बात इस विधेयक से निकालने की कृपा करें क्योंकि आज की व्यवस्था हमें इसकी इजाजत नहीं देती है।

दूसरी बात यह है, श्रीमन्, कि यह जो विधेयक है, मौलिक रूप से जो केन्द्र का नेशनल कैडेट कोर ऐक्ट बना है, उसके विरोध में जाता है क्योंकि इसकी जो परिभाषा है उसमें यह शब्द इस्तेमाल किये गये हैं कि— "स्कूल का तात्पर्य है हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञात (recognised) इंटरमीडियेट कालेज भी है।"

एन० सी० सी० ऐक्ट जो है उसमें यूनिवर्सिटी की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं।

"University" means a University established by law in India and includes affiliated colleges, Intermediate Colleges and Techinical Institutes recognised by the Central or Provincial Governments."

तो नेशनल कैडेट कोर केवल यूनिवर्सिटीज के लिये नहीं है बल्कि उसके अन्दर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा रेकगनाइज्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल और इंटरमीडियेट

कालेजेज भी आ जाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि या तो हम यह मानें कि एक ही विद्यार्थी को जो हायर सेकेंडरी स्कूल--इंटरमीडियेट कालेज में पढ़ता हो--पी० ई० सी० की भी कम्पलसरी ट्रेनिंग करनी होगी और एन० सी० सी० की भी ट्रेनिंग करनी होगी। मिसाल के लिये मान लीजिये मैं लखनऊ में डी० ए० वी० कालेज में पढ़ता हूं। यहां पर हम अनिवार्य मिलिटरी शिक्षा लागू करते हैं। तो या तो मैं एन० सी० सी० और पी० ई० सी० दोनों में शिक्षा प्राप्त करूं या एन० सी० सी० में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाऊं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--एन० सी० सी० की ट्रेनिंग हमारे यहां ११ वें और १२ वें दर्जे में नहीं है। वह ९ वें और १० वें दर्जों में है और फिर बी० ए० में थर्ड और फ़ोर्थ ईयर में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमारे यहां ९ वें, १० वें और यूनिवर्सिटी में एन० सी० सी० है। तो ११ वें और १२ वें में क्यों नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आपके सारे तर्कों से तो यह मालूम होता है कि जो उद्देश्य है इस बिल का कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा एजूकेशनल कोर कायम हो जिसमें इस प्रकार की सैनिक शिक्षा दी जाय उस सिद्धान्त के ही विरुद्ध हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री जी मेरे भाषण की समाप्ति तक प्रतीक्षा करें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैं सोशल और मिलिटरी ट्रेनिंग को एक में मिलाने के खिलाफ हूं। श्रीमन्, आप को याद होगा कि जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या एन० सी० सी० और पी० ई० सी० का स्टैंडर्ड एक है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि चूंकि हम उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं इसलिये दोनों का स्टैंडर्ड एक नहीं है, एन० सी० सी० का स्टैंडर्ड ऊंचा है। तो ९वें और १०वें दर्जे में तो एक विद्यार्थी सुपीरियर प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करे और ११वें और १२वें में इनफीरियर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे और फिर यूनिवर्सिटी में जाकर सुपीरियर ट्रेनिंग प्राप्त करे। इससे जो एक क्रमशीलता होनी चाहिये वह नहीं रहती। तो मेरा निवेदन यह है कि एजूकेशनल कोर अवश्य रहे, लेकिन जहां तक मिलिटरी एजूकेशन का सवाल है वह एक नेशनल कैडेट कोर के मातहत होनी चाहिये। तभी एक तारतम्य आ सकेगा।

इसी प्रकार हमने एक युवक प्रशिक्षण योजना का सिद्धान्त और उसके लिये कुछ धन इस वर्ष के बजट में स्वीकार किया था। श्रीमन्, मैं आप का ध्यान बजट के नये आइटम्स के बारे में जो वाल्यूम था, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें इसके उद्देश्यों में लिखा है--"गत वर्ष आयोजना से भिन्न बजट में युवक कल्याण योजना के लिये २०,००० रुपया अनावर्तक की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। यह योजना अब १९५७-५८ की संशोधित वार्षिक आयोजना में सम्मिलित कर ली गई है। नियोजन विभाग तथा शिक्षा विभाग की युवक कल्याण योजना का उद्देश्य युवकों के लिये ऐसे उपयुक्त कार्यों की व्यवस्था करना है जिससे वे सामुदायिक कार्य में अपनी शक्ति लगा सकें। शिक्षा विभाग की दृष्टि से इस योजना का और भी अधिक महत्व है क्योंकि यह अनुशासनहीनता की समस्या को हल करने में सहायता देती है।" तो इस प्रकार की योजना को भी अलग चलने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी स्टेट एजूकेशनल कोर के अन्तर्गत और इन्हीं में शामिल कर के अगर चलाया जाय तो हमको अधिक सफलता मिल सकती है। मेरा निवेदन यह है कि हम एन० सी० सी० के द्वारा तो मिलिटरी ट्रेनिंग दें और फिजिकल और सोशल एजूकेशन राज्य शिक्षण दल चलायें। ऐसा करने से मेरा मंतव्य भी पूरा हो सकेगा और वास्तव में हम सैनिक भी बना सकेंगे क्योंकि एन० सी० सी० में तीन विंग हैं। सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन और गर्ल्स डिवीजन।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रामायणराय जी ने जो सुझाव दिया है उसकी पूर्ति इसके गर्ल्स डिवीजन से हो जाती है। जूनियर डिवीजन के लिये लिखा है कि:—

"The Junior Division which is recruited from amongst the male sex of any school."

तो जूनियर डिवीजन में १४ साल के बच्चे भी आ सकते हैं, लड़के भी आ सकते हैं। एक तारतम्य बना रहता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी, जो मैंने एक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने की चेष्टा की है उसे मानेंगे और मैं चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी में भी इस बात पर विचार हो।

श्रीमन्, मेरा विश्वास है कि जिन लड़कों को हम सैनिक शिक्षा देते हैं उनसे यह अपेक्षा करना कि वह फावड़ा लेकर खो देंगे, एक दिन के लिये भले ही ऐसा वे श्रमदान के नाम पर कर लें, किन्तु यह अपेक्षा करना उचित नहीं होगा, हम कर नहीं सकते। यदि हम सोचें कि वह अपना समय श्रमदान में लगावेंगे तो वह श्रमदान का उपहास ही होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। यह ठीक है और हो सकता है कि हम उनसे स्कूल के मैदान में परेड करायें, लेकिन खेतों में उनसे काम कराना उचित नहीं होगा। किसानों के लड़के खेती तो पहले से ही जानते हैं। इसलिये एक आर्गनाइज्ड सिलेबस को लेकर, सुनिश्चित सिलेबस को लेकर, हमको चलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस सम्बन्ध में समष्टि रूप से विचार करेगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं प्रार्थना करता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि अभी एक आध स्पीच और हो जानी चाहिये। विषय महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता—एक भाषण हो जाय उसके उपरान्त यह प्रश्न उपस्थित किया जायगा।

आचार्य दीपंकर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से हम लोग इस बिल पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं, उसकी गम्भीरता और आवश्यकता को देखते हुये सदन ने उस पर सही ध्यान दिया है और इसकी बहस में हिस्सा लिया है, वह सर्वथा उचित है। जब मैं इस विधेयक के शरीर, शब्दावली और उद्देश्यों की तरफ देखता हूं और साथ ही माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य पर विचार करता हूं तो इस विधेयक की गम्भीरता और भी सामने आती है। मैं समझता हूं कि बहुत से सवाल जो इस विधेयक को देखने से मेरे दिमाग में पैदा हो गये थे और एक तरह से समस्या के रूप में बन गये थे—उनका समाधान मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं है कि इस बिल के आकार, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कल से अब तक अपने भाषणों में प्रकट किया है, वह बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यह भी स्वाभाविक है कि यदि यह सदन एक सैनिक प्रशिक्षण के बिल को पास करके कानून बनाकर अनिवार्य शिक्षा की तरफ प्रयाण करता है तो उसका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में, खास कर आज की पेचीदा समस्याओं में कम महत्व नहीं है। यह एक गम्भीर प्रश्न है। इसलिये मैं समझता हूं कि कूटनीतिज्ञता के आधार पर माननीय शिक्षा मन्त्री ने कल के अपने भाषण में जो बातें कहीं मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन यदि इस विधेयक में जो शब्दावली है उसमें सामाजिक और सद्भावना की बात को वह कूटनीतिज्ञता के उद्देश्य से लेकर चलते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं इसका जरूर समर्थन करता हूं। यदि इसका मकसद वास्तविक रूप से यह है कि इनसे सैनिक शिक्षा का भी काम लेना है और इसके अलावा उनसे सफाई का कार्य भी लेना है तो मैं इसका समर्थन करने में बिलकुल मजबूर हूं। यदि सैनिक प्रशिक्षण

की आवश्यकता को देखूं तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस देश में जहां परम्परागत बहुत सी गौरवपूर्ण चीजें प्राप्त हैं वहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण विरासत यह है कि हमारे बड़े २ सामाजिक कार्यों में अधिकांश समाज ने बहुत कम सक्रिय भाग लिया है। कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों ने ही उसमें विशेष पार्ट अदा किया है। लेकिन आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में यदि सुरक्षा का प्रश्न कुछ संस्थाओं तक ही महदूद रहा तो यह बात साधारण रूप से असहनीय हो सकती है और हानिप्रद है। इसलिये सिद्धान्त रूप से न केवल इसके समर्थन करने की आवश्यकता है बल्कि मैं समझता हूं कि यह जल्द से जल्द और बगैर किसी विलम्ब के इस विधेयक को पारित किया जाय और इस चीज को सदन की तरफ से स्वीकृत किया जाय।

अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें जो चीजें जोड़ी गयी हैं वे आवश्यक हैं? माननीय शिक्षा मन्त्री के भाषण से यह मालूम हुआ कि वह सचमुच इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इस पूरे विधेयक का समर्थन करते हुये जो दलील उन्होंने दी है उससे जाहिर होता है कि इस सामाजिक सेवा के कार्य को इस विधेयक में पारित करने के लिये अत्यन्त अनिवार्य समझते हैं। यदि इस विधेयक के पारित होने के बाद वह इसको जरूरी समझते हैं तो उस हालत में यह अंश बहुत आपत्तिजनक है। उस चीज को उसमें से निकल जाना चाहिये।

रही यह बात कि सैनिक शिक्षा अनिवार्य हो, इस बारे में मेरी राय है कि अगर हम यह विधेयक पारित भी कर दें और इस चीज को सदन आज मन्जूर भी कर ले तो भी जो भौतिक साधन आज इस राज्य के पास हैं उन साधनों को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि ११ और १२ कक्षा के विद्यार्थियों को अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। इसकी व्यवहारिकता में मुझे सन्देह है। प्रदेशीय सरकार यदि व्यावहारिक रूप से यह आश्वासन दे सके कि जो साधन हमारे सामने हैं, उनसे यह काम हो जायगा तो इस चीज का हम लोग सबसे पहले समर्थन करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह हमारा एक राष्ट्रीय सवाल है। जो सामाजिक उत्थान के कार्य हैं उनमें हमारे बच्चे सक्रिय भाग ले सकें।

अब प्रश्न यह है कि इस शिक्षा को भी अनिवार्य होना आवश्यक है या नहीं? मेरा विचार है कि जल्दी से जल्दी इसमें जितने भी साधन जोड़े जा सकते हों उतना ही अच्छा है। अलबत्ता इस प्रकार का प्रेशर डाला जाना संभव नहीं मालूम होता है कि बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जा सकेगी और माननीय नारायणदत्त जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये कि यह अनिवार्यता केवल इस विधेयक में रखने के लिये है, व्यवहार में जाकर खरी उतरने वाली नहीं है।

इसी तरह से मैं यह समझता हूं कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति जैसी है वह किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो अपनी जीवन रक्षा के लिये कठोर संघर्ष से गुजरता है। कठोर संघर्ष से जीवन को गुजारने वाले उन व्यक्तियों के बच्चों के लिये आप क्या सोचते हैं? वे ड्रिल करेंगे, इस प्रकार की सैनिक शिक्षा लेंगे, बौद्धिक परिश्रम के साथ-साथ शारीरिक परिश्रम क्या वे कर सकेंगे? जब वे इस प्रकार की सैनिक कवायद करते हैं तो उसके साथ-साथ कुछ न कुछ आहार उनके लिये अवश्य होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इस विधेयक में इस तरह की चीज भी शरीक हो कि जो बच्चे इस तरह से सैनिक शिक्षा में भाग लेंगे, उनको उत्साहित करने के लिये, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको सरकार की तरफ से कुछ न कुछ अल्पाहार अवश्य दिया जायगा तो अच्छा हो।

माननीय रामायण राय जी ने कल जो प्रश्न वर्दी के बारे में उठाया था, उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय रामायण राय जी का यह विचार नहीं था कि हमारे बच्चे किसी प्रकार की वर्दी धारण न करें। सैनिक वर्दी वे धारण न करें, उनका ऐसा विचार नहीं था। उनका कहना यह था कि इस सैनिक प्रशिक्षण के साथ साथ जो समाज सेवा का कार्य है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे देश की जो परम्परा या समाज सेवकों की जो परम्परा रही है वह यह है कि उन्होंने

[आचार्य दीपंकर]

अपने आपको समाज की वेशभूषा में ही रक्खा है और वही समाज सेवक अधिक लोकप्रिय हुए हैं जिन्होंने ताम-झाम के साथ आकर काम करने की कोशिश नहीं की। उनके कहने का मतलब यह है कि प्रशिक्षण के समय इस प्रकार की वर्दी के धारण करने की आवश्यकता है लकिन उसको उनके जीवन का अनिवार्य अंग न बन जाना चाहिये। धोती पहन कर क्या वे शिक्षा लेंगे, ऐसा कहा गया। वह न तो मुमकिन ही है और न मैं उसको वांछनीय ही समझता हूं और न इस प्रकार की इच्छा माननीय रामायण राय जी की है। इसलिये इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

इस प्रदेश के लिये जहां तक जल्दी से जल्दी संभव हो सके इसको पास किया जाय। प्रवर समिति को इसको सौंपे, वहां लंबा टाइम लगे और वहां भी इसके ऊपर बाधा खड़ी हो, मैं इस विलम्ब के लिये भी तैयार नहीं हूं।

एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के सिलसिले में कन्या सैनिक प्रशिक्षण की धारा भी होनी चाहिए और उस पक्ष के लोगों ने भी कन्या प्रशिक्षण की बात कही। यह उन्हीं तमाम आर्गूमेंट्स के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि कन्याओं का भी सैनिक प्रशिक्षण हो। सामाजिक जीवन में से, खास तौर से सैनिक प्रशिक्षण के लिये हम अपनी आबादी के ५० प्रतिशत महत्वपूर्ण अंग को न्यूटरल बना कर नहीं रख सकते। हम उसमें से अपनी आबादी के इतने महत्वपूर्ण ५० प्रतिशत भाग को निस्पृह नहीं रख सकते कि इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता यह स्वेच्छित कर दिया जाय कि जो लड़कियां इस प्रशिक्षण को लें उनको दूसरे प्रकार की सुविधायें दी जायं, कुछ इस प्रकार के प्रलोभन रखे जायं जिनसे कन्यायें इस प्रकार की शिक्षा लेने में दिलचस्पी रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं सिद्धान्ततः भी और व्यवहारतः भी और मैं समझता हूं कि इसको जल्द से जल्द अविलम्ब अमल में आना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल---अधिष्ठाता महोदय, आपने निश्चय किया था कि सिर्फ दीपंकर जी बोलेंगे, लेकिन मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार कर लें और माननीय मंत्री जी से भी मशविरा कर लें और फिर मेरी राय में एकाध व्याख्यान और हो जायं तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता---इस भाषण के बाद अब मैं क्लोजर का मोशन लूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुछ लोगों की इच्छा है कि वे इस पर बोलें और जैसा कि आप स्वयं देख भी रहे हैं। ऐसी हालत में अगर एक दो आदमी बोल लें तो अच्छा है ताकि उनके मन में कोई बात न रह जाय।

श्री अधिष्ठाता---सदन की इच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सहमत हैं कि थोड़ा विवाद और हो जाय तो कोई हानि नहीं है और माननीय सदस्य इच्छुक हैं, जैसा कि श्रीमन् स्वयं देख रहे हैं कि बहुत से लोग उत्सुक हैं कि इस पर अभी विवाद हो। तो मैं समझता हूं कि इस पर आप पुनः विचार करके थोड़े टाइम तक और लोगों को बोलने दें तो अच्छा है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---अधिष्ठाता जी, मैं यह समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है कि इसको जल्दी पास करना चाहिये, इसलिये इस पर ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी---५ मिनट मुझको भी देना चाहिये, यह भी बहुत पुराना सैनिक है।

श्री अधिष्ठाता--कुछ सदस्यों की राय है कि इस पर बहस जारी रहे और कुछ सदस्य चाहते हैं कि अब बहस नहीं होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं सदन के सामने प्रश्न उपस्थित कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि अभी प्रस्तुत विषय पर बहस जारी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। इस बीच में निम्न कार्यवाही हुई--)

श्री टीकाराम पुजारी--मैं कुछ अपनी बात भी कहना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहस अब कहीं हनुमान जी की पूंछ की तरह लम्बी न हो जाय। इसकी कोई सीमा होनी चाहिये। कल दिन भर यह चला, आज भी इस वक्त तक चला। अब अगर एकाध आदमी और बोलना चाहें तो बोल लें, उसके बाद फिर इसको समाप्त करना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी--अब मुझे भी कुछ कहने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--डिवीजन की घंटी बज रही है आप बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी--हनुमान जी की लम्बी पूंछ बिना...

श्री अधिष्ठाता--आप अपना स्थान ग्रहण करें।

कुंवर श्रीपालसिंह--श्रीमन्, जब आपकी आज्ञा हो चुकी है तो फिर डिवीजन कैसे हो सकता है?

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य ने डिवीजन मांगा है।

(घंटी बन्द होने के बाद)

प्रश्न यह है कि अभी प्रस्तुत विषय पर बहस जारी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:

पक्ष में--२६,

विपक्ष में --८३।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मुझे जवाब देने का एक मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--अब तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बुला चुका उसके बाद आप जवाब दे लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, अगर अवस्थी जी पहले बोल लें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--आप अपना जवाब दें। यह आवश्यक नहीं है कि वह इस वक्त बोलें, यह कोई मोशन नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, इस विधेयक पर, कल और आज, दो दिन से बराबर बहस हो रही है और मैं बराबर बड़े ध्यान से इस आदरणीय सदन के सदस्यों की बातों को सुनता रहा। मुझे खेद है कि ऐसे विधेयक पर, जिसे मैं बिलकुल निर्दोष और एक ऐसा विधेयक मानता हूं जिसमें मतभेद को बहुत गुंजायश नहीं होना चाहिये थी,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लेकिन कुछ बहस का ढर्रा ऐसा हो गया जिससे मुझे खेद हुआ। विरोधी दल का यह कोई धर्म नहीं है कि जब कोई बिल पेश किया जाय तो उसका वह विरोध ही करे। कभी ऐसे विधेयक भी हो सकते हैं कि जिनका विरोध करने की आवश्यकता न हो। यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि जब कोई बात सदन के सामने एक विधेयक या प्रस्ताव के रूप में रखी जाय तो विरोधी दल के लिये यह सर्वथा अनिवार्य हो जाय और वह यह समझे कि जब तक वह उसका विरोध न करे तब तक उसके अस्तित्व का औचित्य सिद्ध नहीं होता और इस कारण से वह विरोध करे। यह कोई ऐसा विषय नहीं था कि जिसके लिये विरोधीदल के सदस्यों को इसका विरोध करने की आवश्यकता ही पड़ती। माननीय अवस्थी जी ने इस पर संशोधन पेश किया, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और उन्हें बहुत दिनों से जानता भी हूं। मुझे तो उनसे एक दूसरे प्रकार के विचार के व्यक्तीकरण की आशा थी। जिस प्रकार संशोधन उपस्थित करके उन्होंने अपना भाषण किया उससे मैं आप के सम्मुख यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कष्ट पहुंचा, क्योंकि उन्होंने, इस बिल पर जिस विवाद का सूत्रपात किया, उसे एक ऐसा ढर्रा पकड़ा दिया, ऐसे मार्ग पर मोड़ दिया जिधर उसे नहीं ले जाना चाहिये था। उन्हें सन्देह होने लगा, सरकार की नीति पर बड़ी शंका उनके मन में उत्पन्न हुई। इसमें उन्होंने राजनीतिक चाल भी देखी। इसके बाद जो ढर्रा उन्होंने पकड़ा उस ढर्रे के उच्चतम विन्दु पर तो हमारे पंडित वंशीधर शुक्ल जी पहुंच गये। दिखायी नहीं दे रहे हैं। उन्हें यह ढकोसला मालूम होने लगा, धोखा दिखायी देने लगा, सैनिक शिक्षा को उन्होंने नाच बनाना शुरू किया। उन्हें यह नाच ही दिखायी देने लगा और न जाने क्या-क्या बातें कह डालीं। एक ऐसा विषय जो काफी गम्भीर है और जिसे मैंने यह सोचकर उपस्थित किया कि यह एक ऐसा विधेयक है जिससे इस प्रदेश के युवकों का, और इस प्रदेश का आज तो आज भविष्य के लिये, कल्याण होगा, उसके लिये इस प्रकार के तर्क देना यह थोड़ी दुख की बात थी। इसमें कोई राजनीतिक चाल न थी। इस प्रकार के तर्कों को उपस्थित करने की आज आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार का तर्क माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे आज प्रातःकाल कहा कि विरोधी दल की ओर से उस जमाने में उपस्थित किये जाते थे जब अंग्रेज सरकार थी, एक ऐसी सरकार जो निरंकुश थी, जिसके ऊपर जनता और जनता के प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं था और एक ऐसी अनुत्तरदायी और स्थायी सरकार थी जिसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता था, जब तक उसको बलपूर्वक उखाड़कर फेंक न दें। उस पर कोई राजनीतिक चाल है कोई षड्यंत्र सोचा जा रहा है, इस प्रकार की एक शंका प्रकट की जाय, मान्यवर, यह उचित बात नहीं थी। न इसमें कोई राजनीतिक चाल थी, न कोई इसमें सन्देह और शंका की गुंजायश थी। हम लोग जो इस तरफ बैठे हुये हैं उन्हीं के बच्चे स्कूलों और कालेजों में पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग उधर बैठे हैं सिर्फ उन्हीं के पढ़ते हैं, हमारे बच्चे न पढ़ते हों। हमारे बच्चे भी स्कूलों और कालेजों में पढ़ते हैं। उनके चरित्र, उनके जीवन के विकास, उनके व्यक्तित्व की उन्नति और उनके आत्मविश्वास को जागृत करने की चेष्टा है, उन्हें वीर बनाने की इच्छा, उन्हें भारत के गौरव के अनुकूल सुदृढ़ और सुन्दर नागरिक बनाने की कामना जितनी आप में हो सकती है उतनी हम में भी है। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं।

भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। हमारे युवक एक ऐसे लोकतन्त्रात्मक भारतीय सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था में एक सुन्दर सदस्य बन सकें इसकी कामना मैं समझता हूं हम सब में समान रूप में वर्तमान है। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई है तो जो नागरिक विकसित हो, वह लोकतन्त्र के ऊंचे आदर्शों के अनुकूल विकसित हो। उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के जो अवसर मिलने हों उनके अनुकूल अपने को उन्नत करने की, अपने पढ़ने लिखने की पूरी स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्राप्त हो जिस से

लोकतन्त्र हमारा सफल हो। यही हमारी कामना हो सकती है। आज सरकार में हम हैं। इसका यह मतलब नहीं हो सकता, इतना हमारे उधर बैठे हुये भाइयों को मालूम होना चाहिये, कम से कम इतना स्वीकार करना हो चाहिये कि इधर बैठे हुये लोग इतने कल्पनाहीन नहीं हैं कि वह यह न जानते हों कि आज जिन परम्पराओं की स्थापना हम कर देंगे वही भविष्य में चल करके हमारे लिये हितकर और हानिकर दोनों हो सकती हैं। सरकारों के हाथ में कोई इतनी शक्ति दे देना जिसे हमारे युवकों के जीवन और भावनाओं को कुंठित करने के लिये किसी अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्यवाही कर सकें केवल इसलिये कि आज हम सरकार में हैं और यह मान करके किसी हमारे विचार और विधेयक का विरोध करें, यह हमारे साथ भी अन्याय करना है और अपने साथ भी। हम जानते हैं कि लोकतन्त्रात्मक पद्धति है, इसमें सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी किसी दल की सरकार रहेगी, कभी किसी दल की और कभी बहुत से दलों की मिल करके बन सकती है। सरकारें लोकतन्त्र में इसी प्रकार बनती हैं और आती जाती हैं। तो लोकतन्त्र में जिन अधिकारों को आप प्रदान करते हैं जिन समाज को और जिन अधिकारों की बुनियाद पर लोकतन्त्र की अट्टालिका खड़ी होती हैं उन पर अप्रत्यक्ष रूप से कोई एक आवरण डाल करके, कोई बिल उपस्थित करके, कुठाराघात करने की हम चेष्टा करें और यह सन्देह आपको हमारी नीयत पर हो तो इसे हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जो भाषण किये गये उनमें कुछ इस प्रकार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी, इसका मुझे खेद है और मैं कहना चाहता हूं अपने देश में इस प्रकार लोकतन्त्रात्मक पद्धति को चलाते हुये जो सरकारें बनें उनकी नीयत पर यदि इस प्रकार संदेह करते रहें तो फिर हमारे लोकतन्त्र की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की भावना अपने मन से निकाल दी जाय। यह बिल जिन कारणों से लाया गया है उन्हें मैंने कल आपके सम्मुख निवेदन किया। आज प्रस्ताव यह है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं स्वयं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता था, और अब भी ऐसा मानता हूं कि ऐसा बिल है जिसे प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहां, वहां, इधर, उधर, कहीं, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो संशोधनों के द्वारा इसी सदन में कर लेते और शीघ्र से शीघ्र इसे एक कानून का रूप प्रदान कर देते। परन्तु देखता ऐसा हूं कि आज जो उधर बैठे हुये हैं उनका भी कुछ विशेष आग्रह है कि यह बिल प्रवर समिति में जाय।

एक सदस्य---सब की नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---सब के माने तो यह हैं कि आप की जो राय है उस राय को हम सब स्वीकार कर लें। इसके माने यह नहीं कि हम सब की राय है। अगर राय लेना चाहें तो प्रवर समिति में यह बिल नहीं जायगा। लेकिन हम तो चाहते थे आपका सहयोग प्राप्त हो और आप सब की राय थी तो हमने समझा इसको स्वीकार कर लें। इस वास्ते इधर भी वही राय दिखने लगी। तो ऐसा प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न नहीं था, जिस पर कोई सिद्धान्त का प्रश्न था, जिस पर कोई हठ करने की बात थी। वह तो चूंकि आप सब की राय है उसे माना। यद्यपि मैं मानता हूं कि प्रवर समिति में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत साधारण बिल है। संशय यदि आप अपने मन में रखेंगे "नायं लोकोस्ति न परो न च सुखं संशयात्मनः" अर्थात् न इस लोक में और न पर लोक में कभी कोई सुख प्राप्त होने वाला है, यदि आप बहुत संशय करते रहेंगे आप विश्वास करें इसमें कोई इस प्रकार की धारणा नहीं है।

अब इस बिल के सिद्धान्त के विषय में तो अधिक हमें समर्थन प्राप्त हुआ, और मैं समझता हूं कि हम सबके हृदय में, जिनके हृदय में प्रदेश के प्रति स्नेह और प्रेम है वे सिद्धान्ततः इस बिल का समर्थन करेंगे। आपकी ओर से समर्थन मिला। इसके

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उसूल और तफ़सील में जितनी बातें हैं उनमें मैं इस समय जाना नहीं चाहता क्योंकि जब प्रवर समिति में भेजा जा रहा है तो वहां इन विषयों पर आप सब का सहयोग और सुझाव और परामर्श हमें प्राप्त होगा। और यदि बिल के बनाने में ड्राफ्टिंग में किसी तरह से कहीं कोई कमी रह गयी है तो जब आपने उसूल उसका स्वीकार कर लिया तो आप उसे सुधार देंगे और एक सर्वांगीण, समुचित और सुन्दर बिल के रूप में वह हमारे सम्मुख प्रस्तुत होगा। ऐसी आशा हम करते हैं। इसलिये उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता।

हमारे भाई अवधेशप्रतापसिंह जी ने मान्यवर, बहुत सी बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह कह दिया कि मालूम नहीं कि सेलेक्ट कमेटी में मैं रहूं या न रहूं इसलिये यहीं कह दूं, तो वह ठीक ही बात थी। उन्होंने कहा कि जो सेलेक्ट कमेटी बैठेगी वह उन बातों पर बिचार कर लेगी और वह तो एक कानूनी बहस की बात है। जहां तक हो अपना बिल ऐसा बने जिस में कोई कानूनी अड़चन न रहे, यह हमको और आपको सबको स्वीकार ही होगा।

अवस्थी जी ने इस बिल के मूलभूत सिद्धान्तों को तो स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय लेकिन कहने लगे कि मुट्ठी भर चना ज्यादा जरूरी है हमारे विद्यार्थियों को बनिस्बत इसके कि आप उनको सैनिक शिक्षा दें। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है और न इसमें कोई दो राय हो सकती हैं कि हमारा प्रदेश गरीब है, हमारे बहुत से विद्यार्थी, ८० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत गरीब घरों से आते हैं, वह अत्यन्त मध्यम वित्त के या निम्न मध्यम वित्त के या और उस से भी नीचे की श्रेणी के बच्चे आते हैं। शिक्षा में व्यय होता है, आर्थिक संकट में लोग रहते हैं। हमारा प्रदेश गरीब है। हमारे विद्यार्थी गरीब हैं, हमारे परिवार और हमारा प्रदेश गरीब है। परन्तु हर सवाल को लाकर मुट्ठी भर चने पर डाल देना, तुलसीदास जी ने तो कहा था कि "कर्म प्रधान विश्व करि राखा", मुझे ऐसा लगता है कि अवस्थी जी की समझ में यह आता है कि "पेट प्रधान विश्व करि राखा"। हर चीज को उसी में लाकर डाल देना। मुट्ठी भर चने की फिक्र आप जरूर करें, जिन परिवारों से हमारे बच्चे आते हैं उनकी आर्थिक उन्नति करने की चेष्टा अवश्य करें, वह दिन जल्दी से जल्दी आये। हम में से बहुत से लोगों को यह कभी भी आशा नहीं थी कि हम अपने जीवन में इस देश की स्वतंत्रता देखेंगे। सन् २० में या सन् २१ में जो नौजवान या छोटे-छोटे बच्चे गान्धी जी की पुकार पर देश की स्वतंत्रता के युद्ध में सम्मिलित होने के लिये आये वह भी और जो बड़े-बड़े नेता उसका नेतृत्व कर रहे थे वह भी कदाचित किसी को भी यह कोई बहुत अधिक आशा नहीं थी कि हम अपने देश को स्वाधीन देखेंगे। यह सौभाग्य हम लोगों का है कि हमने अपनी आंखों से अपने देश को स्वाधीन होते देखा। आज देश हमारा गरीब है। कभी-कभी हमारी भी और आपकी भी तबियत घबराती है कि मालूम नहीं देश की दरिद्रता, दुख और दैन्य का निराकरण किस दिन होगा, किस दिन हमारी अशिक्षा, हमारे अस्वास्थ्य, हमारी दुर्दशा और कष्टों का परिहार होगा और कौन सा वह शुभ क्षण उपस्थित होगा जब हम और आप एक सुखी प्रदेश को अपने यहां देख सकेंगे? यह हम सबकी इच्छा है। आज हम दुख में हो सकते हैं पर यह कामना और इस का प्रयास आपकी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से और हम सबकी ओर से हो ही रहा है कि हम अपनी इस दुर्दशा का अन्त करें और सुन्दर साफ स्वरूप प्रदेश का निखरे, और उसे हम अपनी आंखों से देख सकें। यह हम सब अपने हृदय से चाहते हैं। पर हर बात में हम बड़े दरिद्र हैं, हम बड़े दुखी हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमको एक मुट्ठी चना चाहिये, और सारा काम बन्द करके एक मुट्ठी चने की फिक्र करो यह मैं समझता हूं एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे अपनाना इस विजय का भी अतिरेक कर देना है। हर जगह किसी एक बात का अतिरेक नहीं

होना चाहिये । गरीबी हमारी मिटे, उसको मिटाने के लिये बहुत सा प्रयास करना है और उसके साथ-साथ अशिक्षा और दुर्बलता मिटाने के लिये प्रयास करना है और ये सब एक दूसरे से मिले जुले प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न को पकड़कर सारी चीजों का विरोध करना, यह कह देना कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यह दृष्टिकोण मेरी समझ में उचित नहीं है ।

नारायणदत्त जी ने कल कुछ प्रश्न उठाये थे और आज भी उन्होंने अपने तर्कों से कुछ सिद्ध करने की चेष्टा की । तर्क बड़ा खतरनाक हुआ करता है, दुधारू तलवार है, दोनों तरफ चलती है । जो लोग अधिक तार्किक होने की चेष्टा करते हैं कभी-कभी अपने ही तर्क में बुरी तरह फंस जाते हैं । मेरी ऐसी धारणा है इस विषय पर नारायणदत्त जी अपने ही तर्क में फंस जाते हैं । उनका तर्क है कि वे इसके मौलिक सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं और प्रवर समिति में भी इसके भेजे जाने को स्वीकार करते हैं, पर जिन सिद्धान्तों पर इस बिल की रचना हुई है उन सारे सिद्धान्तों का उन्होंने खंडन करने की चेष्टा की । मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करता हूं कि जिस दृष्टिकोण को उन्होंने यहां उपस्थित किया है वह इस प्रदेश के लिये शुद्ध और विशुद्ध रूप से अहितकर है । मैं आज फिर कह सकता हूं कि कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम इन प्रश्नों को उठायें जिन प्रश्नों को कल भी उन्होंने उठाया और आज भी उन्होंने उठाने की चेष्टा की ।

आप अनिवार्य के विरोधी हैं । कहते हैं न तुम कर सकते हो और न वह उचित ही है । उसके लिये आज कल जो शिक्षा सम्बन्धी बाइबिल तैयार है उसको उन्होंने कोट किया । राधाकृष्णन् कमीशन और प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट्स का उन्होंने जिक्र किया और अनिवार्यता को कोट आप ही करते रहते हैं और मेरे ऊपर छोड़ देते हैं । यह भी तर्क में फंसना है कि कोट आप करेंगे और कहेंगे यह कि तुम्हारा है । अगर हमारा है तो हम कोट कर लेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं ? उस कोट के लिये आप का यह कहना कि अनिवार्य होना नहीं चाहिये यह सिद्ध करता है कि सिद्धान्ततः आप उसके विरोधी हैं ।

जहां तक उन्होंने यह कहा कि अनिवार्य आप कर नहीं सकते, यह तो मैंने स्वीकार किया । यह एक बात हो सकती है कि जब अनिवार्य नहीं कर सकते तो क्यों अनिवार्य की बात करते हो ? लेकिन आप अनिवार्य करने के सिद्धान्ततः विरोधी हैं । फिर सैनिक शिक्षा आरम्भ हुई तो उसके आप विरोधी हैं कि प्रदेश को सैनिक शिक्षा देने की जरूरत नहीं है । आप सैनिक शिक्षा दे नहीं सकते । यह आपने राय जाहिर की कि सैनिक शिक्षा आप दे नहीं सकते, यह सिद्ध करता है कि आप उसके भी विरोधी हैं । तो फिर कौन से मूलभूत सिद्धान्त हैं जिनके आप विरोधी नहीं हैं । यही तो दो मूलभूत सिद्धान्त इस बिल के हैं जिनका कि उन्होंने विरोध किया है ।

मान्यवर, इस माननीय सदन पर इस प्रदेश के शासन के संचालन का भार यहां की जनता ने छोड़ा है और यह सरकार आज इधर के लोगों और उधर के लोगों की सहायता से भी अपने कार्यों का संचालन कर रही है । वह सिद्धांततः इस बात को स्वीकार करती है और पिछले १०,१२ वर्ष से बराबर इस बात पर संघर्ष करती आई है कि जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, चाहे शिक्षा का कोई अंग क्यों न हो, वह सब प्रादेशिक सरकार की सीमा और अधिकार के भीतर है और कहां हमारा विधान इसमें बाधक नहीं है । आप आर्मी खड़ी करने की बात करते हैं, सुरक्षा की बात कहते हैं, डिफेन्स के आर्गनाइजेशन को खड़ा करने की बात कहते हैं, यह अधिकार प्रादेशिक सरकारों को नहीं है, न होना चाहिये । वह सिद्धान्ततः गलत है । वह पूर्ण अधिकार केन्द्रीय सरकार का है और उसी को प्रबन्ध करना चाहिये, किसी प्रदेश को यह अधिकार कदापि नहीं होना चाहिये कि कोई एक महान सैनिक संगठन वह अपने प्रदेश में तैयार करे, एक आर्मी रणवाहिनी, ऊपर से नीचे तक सशस्त्र खड़ी करदें । हमारी शिक्षा के फलस्वरूप प्रादेशिक सेना इस प्रकार की खड़ी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हो, अवश्य ही वह हमारे विधान के भी विपरित है, अनुचित भी है, अधिकार की सीमा के भी ऊपर है । वह परिधि उसी की है ।

पर जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, जीवन के किसी भी क्षेत्र की शिक्षा का सम्बन्ध है, वह सर्वाधिकार सुरक्षित है स्टेट सरकार के पास, मैं ऐसा मानता हूं । अच्छा हो कि नारायणदत्त जी भी इसे स्वीकार करें, नहीं फिर मैं यह आरोप करूंगा कि यह आप देश हित के विरुद्ध बात कह रहे हैं । चाहे वह औद्योगिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, शारीरिक शिक्षा हो, या नैतिक शिक्षा हो या साहित्यिक और कलात्मक शिक्षा हो, चाहे वह साधारण शिक्षा हो, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, वह सारी परिधि इस प्रदेश की है । यहां हम कोई सेना नहीं तैयार कर रहे हैं, लड़कों को सैनिक शिक्षा दे रहे हैं और यदि इस प्रकार का प्रश्न केन्द्रीय सरकार अथवा किसी सरकार द्वारा उठाया जाय तो आज भी हमारा मत यही है कि हमें यह अधिकार है कि हम अपने विद्यार्थियों को साधारण शिक्षा के साथ शारीरिक तथा सैनिक शिक्षा दें जिससे उनमें वीरता का भाव जाग्रत हो, जिससे उनमें आत्मविश्वास का भाव जागृत हो, जिससे उनमें एक खतरे की बात उपस्थित होने पर सामना करने की इच्छा जागृत हो, जिससे उनमें अनुशासन की भावना जागृत हो, जिससे उनमें एक साथ कदम से कदम मिला कर चलने की वृत्ति पैदा हो, वह सर्वथा हमारा अधिकार है और उसी के आधार पर यह बिल बना हुआ है और उसे हमने बनाया है और आज वह आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सन्मुख उपस्थित किया है, इस विचार से कि हमें इस क्षेत्र में काम करने का अवसर अब तक मिला है, हमने किया है, हमें करना चाहिये और कोई भी जो कार्य हम कर रहे हैं वह सिद्धान्ततः भी, विधानतः भी विधान की अथवा सिद्धान्त की परिधि के बाहर नहीं जा सकता । अपने आप अपने अधिकारों को संकुचित और कुंठित न करें । हमें जो अधिकार प्राप्त हैं उनका उपयोग करना चाहिये ।

नारायणदत्त जी ने यह कहा कि तुम अनिवार्य तो कर नहीं पा रहे हो । सही बात है, बिलकुल सही है कि हम अनिवार्य नहीं कर पा रहे हैं । साधारण प्राइमरी शिक्षा भी नहीं कर पाये । अभी हमने बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में खाली प्राइमरी एजूकेशन अनिवार्य की है, जिसमें २४–२५ म्युनिसिपैलिटीज बाकी हैं । १२५ म्युनिसिपैलिटीज में शायद १००, ९५ या ९० में अनिवार्य हो चुकी है प्राइमरी शिक्षा, यूनिवर्सल एजूकेशन के नाम पर बाकी २०–२५ में होना बाकी है । साथ ही साथ प्रदेश के दूसरे देहाती क्षेत्रों में हम अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा नहीं कर सके । हमारी आर्थिक सीमाएं हैं और हमारे साधनों की कमी की बात तो स्वयं नारायणदत्त जी ने स्वीकार की, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने सिद्धान्ततः उन्हें स्वीकार नहीं किया है और न उसका अर्थ यह है कि हम धीरे-धीरे उसका विस्तार करते नहीं जा रहे हैं । बराबर हम विस्तार करते जा रहे हैं । जैसे-जैसे आपके साधन उसका अवसर आपको प्रदान करते हैं आप उसका विस्तार करते हो । १९५३ में ६ जिले में यह थी, फिर ११ जिलों में हुई, फिर २० जिलों में और फिर इन ४–५ वर्षों के बाद आज इक्यावनों जिलों के हेडक्वार्टर पर इसको लिया जा रहा है । जहां–जहां लेते हैं, वहां इसको अनिवार्य कर दिया जाता है । जैसे–जैसे उसका प्रसार करते चलेंगे, वैसे ही अनिवार्य होती जायगी । मैंने कल निवेदन किया था कि अभी यह चीज उठ सकती है कि हम इसको तहसीलों के हेडक्वार्टर पर भी लें जायं और वहां जो इस प्रकार की शिक्षा हो वह अनिवार्य हम करें । तो अनिवार्य इस प्रकार से करते चले आ रहे हैं । अब सिद्धान्ततः सैनिक शिक्षण अनिवार्य नहीं होनी चाहिये । सामाजिक शिक्षण भी नहीं होना चाहिये क्यों ? इसलिये जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा अनुभव होना चाहिये, तब यह देखा जायगा । हमारे यहां तो दस वर्ष का अनुभव मौजूद है । जहां-जहां हमने लागू किया है वहां कार्य हो रहा है और सर्वत्र इसका स्वागत होता है और आवश्यकता समझी जाती है और नौजवानों के व्यक्तित्व के विकास करने में यह सहायक हो रहा है । जहां–जहां हम ले जायेंगे, उसका प्रसार करते जायेंगे और

अनिवार्य करते जायेंगे। यह एक दृष्टि है, यह एक नीति है, जिसके आधार पर आप का यह बिल बना हुआ है।

अब मैं जरा समझने में असमर्थ रहा कि सही माने में यह शिक्षा नहीं दी जा रही है और फिर कहते हैं कि तुम शिक्षा न दो। वह कहते हैं कि सही माने में शिक्षा नहीं दी जा रही है और हम जो टूटे माने में देते हैं, उस का वह विरोध करते हैं और कहते हैं कि उसको देने का अधिकार तुम्हें नहीं होना चाहिये, यह तो केन्द्रीय सरकार के हाथ में होना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि एन० सी० सी० की शिक्षा केन्द्रीय सरकार ने लागू की है, उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं, जितना उन्होंने उसका प्रसार किया है, वह हमारा हित कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं और हम उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वह सारे देश में व्यापक योजना चला रहे हैं और उसको अनिवार्य नहीं कर सकते हैं, आवश्यक समझते हों तब भी क्योंकि इतने साधन नहीं हैं। और सारे प्रदेशों में उन्हें लागू करना है और प्रदेश भी जैसा कि आप को कदाचित ज्ञात ही होगा कि इसमें प्रदेशों का भी हिस्सा पचास-पचास प्रतिशत् है और सब स्टेटस् नहीं दे सकती हैं। जितना उनका व्यय होता है उसके अनुसार आधा हम देते हैं। उनका बोर्ड बना हुआ है। मैं भी उसका सदस्य हूं। चार हजार या छः हजार लड़के सीनियर सैक्शन में हैं और उसके विस्तार की हमें बहुत ही प्रसन्नता है और जितना उन्होंने इस का विस्तार किया है उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

अब यह देखना है कि हम सम्पूर्ण शिक्षण नहीं दे सकते हैं। तीस हजार बर्छी हमारे पास हैं। साढ़े तीन हजार राइफल्स हमारे पास हैं और १,५०० हम खरीदने जा रहे हैं। इस प्रकार से यह ५ हजार हो जायंगी। इस तरह से हम इस का विस्तार करते हैं। आधे से ऊपर को हम बर्छी दे दें और धीरे-धीरे इसका प्रसार करते चलें और शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाते चलें जिस से उनमें विश्वास जम सके और उनका शिक्षण भी हो सके तो मैं समझता हूं कि एन० सी० सी० की ट्रेनिंग यूनीवर्सिटी में हो रही है उसका यह एक पूरक होगा, एक सप्लीमेन्ट होगा। हम अपने क्षेत्र को विस्तृत करते जांय अपनी सहायता से या एन० सी० सी० की सहायता से तो क्या हानि हो रही है, ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आयी? आप केवल इस बात पर कि सैनिक शिक्षण का विषय केन्द्रीय सरकार का है इसलिये आप बन्द करदें और अपने अधिकार का उन्मूलन करना चाहें तो अवश्य करें अन्यथा मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपके इलाके में पी० ई० सी० के कैम्प्स हुये हैं, परेड हुई है, उनका शिक्षण हुआ है और जो सैनिक शिक्षा वाले हैं, वह उनकी तारीफ करते हैं तो किस माने में आपने सही नहीं माना, यह हमारी समझ में बात आई नहीं है।

अब रामायण राय जी की एक बात मुझे याद आती है। कुछ उनका ऐसा ख्याल है कि सांस्कृतिक विकास में यह शिक्षा बाधक हो जायगी। छोटा-मोटा संस्कृति का पुजारी मैं भी हूं और जो संस्कृति के स्रोत हैं हमारे इस देश के वेद उनकी रचनायें यह बार-बार मांग करती हैं कि यह धरती वीर प्रसू हो, हमारी मातायें वीर प्रसू हों। ऐसी सन्तान उत्पन्न हो जो काल से भी न घबराये और न डरे। मैं कहता हूं कि अगर आज शारीरिक शिक्षा और शस्त्र के प्रयोग की शिक्षा किसी व्यक्ति को दे दें तो उसके सांस्कृतिक अभ्युत्थान या अभियान में किस जगह कमी आजाती है, यह जरा मेरे लिये समझना कठिन है। संस्कृति का मूल है कि व्यक्ति निर्भय हो, उसमें एक सहानुभूति हो और जो अपने से दुर्बल हो उसकी रक्षा करने की सामर्थ्य हो।

श्री वंशीधर शुक्ल---वीर नारियां या वीर पुत्र शुद्ध संस्कारों से हो सकते हैं, इस विदेशी शिक्षा से नहीं हो सकते जो लायी जा रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---'लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यसि।' जब आंख ही नहीं है तो दर्पण बेचारा क्या करे?

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता था कि सांस्कृतिक विकास में यह शिक्षा किसी प्रकार बाधक होने वाली नहीं है क्योंकि संस्कृति का मूल है निर्भय बनो और जो अपने से दुर्बल हैं उनकी रक्षा कर सको। इतना स्वयं आपको विश्वास हो कि हम अपनी और अपने समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। जहां यह भाव और विश्वास अपनी आत्मा में न हो वहां संस्कृति का कोई विकास हो नहीं सकता। इस प्रकार की शिक्षा ऐसी धृति के पैदा करने में और उसकी पुष्टि करने में सहायक होती है। यह वीरत्व का भाव जगाती है, किसी को पीड़न का भाव नहीं जगाती !

और मैं समझा नहीं कि वर्दी से घबराने की ऐसी क्या जरूरत है। यह बात अंग्रेजी जमाने में हो सकती थी जब यह वर्दी आपको कुचलने के लिये थी। अगर आप २०० वर्ष पुराने संस्कार अब भी जीवित रखना चाहते हैं तो ठीक है, तब तो कोई तर्क लागू नहीं हो सकता नहीं तो आज वर्दी आपके देश की ऐसी होनी चाहिये और ऐसी है और विकसित होनी चाहिये इस रूप में कि उस वर्दी को देख कर आप यह समझें कि यह इस देश के रक्षक और हमारे सहयोगी की वर्दी है, यह वह वर्दी है जिसने कश्मीर को बचाया और जो आज हमारे देश से बाहर जाकर दूसरे देशों में शांति स्थापित करने में समर्थ हुई और भारत के मस्तक को ऊंचा करने में समर्थ हुई और वह वर्दी है जिसके ऊपर विश्वास करके हम सुख की नींद सोते भी हैं कि यदि इस देश की सीमायें किसी दिन संकटापन्न हों तो यह वर्दी अपनी सारी शक्ति से उनकी रक्षा कर सकेगी। और वह वर्दी जब कहीं जाय तो लोगों को यह विश्वास हो कि यह वर्दी हमारी सहायता करने के लिये आयी है। इसीलिये इस प्रकार की शिक्षा में सामाजिक शिक्षा का समावेश करना आवश्यक है। यह वर्दी केवल वर्दी न रह जाय, उस में उन वृत्तियों का भी समावेश हो कि जिनसे समाज के ऊपर यह भावना हो और समाज यह समझ सके कि यह वर्दी हमारी सेवा के लिये है, सामूहिक और सामुदायिक सेवा के लिये। वर्दी और शिक्षा के द्वारा ऐसे संस्कार का प्रवेश हम उस में करें, इसलिये यह दोनों मिलाये भी गये हैं।

नारायण दत्त जी कह रहे थे कि यूथ वेलफेयर को भी इसके अन्तर्गत ले आया जाय। तो यह इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और इसके आर्डर्स पहले से ही हो चुके हैं कि यूथ वेलफेयर और सोशल सर्विस और सैनिक शिक्षा की एक इंटीग्रेटेड स्कीम चले और वह चलेगी। अपने प्रदेश में इस का प्रयोग हमने किया है और यह प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। यदि आपका धर्म यह कहता है कि इसकी सफलता के बावजूद भी हम उसको सफल नहीं मानेंगे और इन बेंचेज पर बैठ कर विरोध ही करेंगे तब तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, किन्तु यदि निष्पक्ष दृष्टि से, प्रदेश के हित की दृष्टि से और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं और हमने दस सालों से जो प्रयोग किया है उसकी वांछनीयता, अपेक्षा और सफलता की दृष्टि से देखें तो आप को थोड़ा बहुत इस पर प्रसन्न होना चाहिये, भले ही आप गर्व का अनुभव न करें। आप को हमारे किये हुये कार्यों पर गर्व तो हो नहीं सकता, किन्तु आपको प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिये कि हमने एक ऐसा प्रयोग किया है कि जो सफल हुआ है और जिस की सफलता हमारे लिये हितकर है ही।

शिक्षा के क्षेत्र में जहां कि विविध प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं और केन्द्रीय सरकार दर्जनों प्रकार के प्रयोग करने जा रही है और करती चली जा रही है, क्योंकि शिक्षा पद्धति को आमूल परिवर्तित करने का प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है---टीका-टिप्पणी की बात जरूर है, जैसा कि मोती लाल जी अवस्थी ने कहा कि "यह क्या बड़ा परिवर्तन है ? यह क्या बिल है ?" यह ठीक बात है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कोई साधारण बात नहीं है और यह मैं आप की आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि हम, आप सभी इस बात का अनुभव करते हैं कि जो पद्धति चल रही है वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। उसमें क्या बुराइयां हैं इसकी सभा जाने दीजिये, यह भी जाने दीजिये कि उससे इस देश में महान् विभूतियां उत्पन्न

हुई हैं, यह ठीक है । हम मानते हैं कि बड़े-बड़े नेता आये, हमारे नौजवान और लीडर इसी पद्धति से निकले, इस पद्धति में दोष भी हैं किन्तु आज हमारे जीवन के अनुकूल यह पद्धति नहीं पड़ती, यह सही है । उसमें परिवर्तन ले आने की आवश्यकता है । क्या परिवर्तन लाया जाय यह एक प्रश्न है और इसके लिये आप देखेंगे कि पिछले ८,१० सालों में कई कमीशन और कमेटियां बैठीं, बड़े-बड़े विद्वान् और पंडित , जिनका सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में बीता है, जिन्होंने शिक्षा को हर रूप और प्रकार से देखा है, जो उसके मनीषी और विचारक हैं, उन लोगों ने विचार किया है । लोगों की रायें ली हैं और अपने मत व्यक्त किये हैं और यह एक ऊहापोह हो रहा है कि अपने यहां की शिक्षा पद्धति में हम कौन से परिवर्तन करें कि जो हमारी आवश्यकता और जो युग हमारे सामने से गुजर रहा है उसके अनुकूल हो सके और भविष्य के लिये हितकर हो सके और उससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाय । यह एक बड़ा व्यापक और मौलिक प्रश्न है जिसके ऊपर विचार हो रहा है और उसके अनुसार नये-नये प्रयोग भी हो रहे हैं, चाहे वह बेसिक के क्षेत्र में हों, जूनियर, हायर सेकेंडरी स्टेज पर हों या यूनिवर्सिटी स्टेज पर आप देखें या टेक्निकल स्टेज पर आप देखें, चाहे फिजिकल एजूकेशन के क्षेत्र में हो, सब में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग हमारे देश में हो रहे हैं और अपने प्रदेश में भी हो रहे हैं । केन्द्रीय सरकार से सुझाव आ रहा है लेकिन जब तक इसका परिणाम, जब तक इसका कोई फल आपके सामने न आ जाय तब तक आप निश्चित नहीं कह सकते कि यह अनुकूल है । आपको इसका खतरा पैदा हुआ कि हम इसके लिये कदम आगे नहीं बढ़ा सके किन्तु वह प्रयोग हो रहा है और उन प्रयोगों से हमारा आगे का मार्ग निर्धारित होगा और स्पष्ट होगा । आज इस सरकार के ऊपर, जैसा कि अवस्थी जी ने कहा, दोष लगा देना कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं और धोखा देने के लिये यह बिल पेश कर दिया है तो यह बदकिस्मती है । इसके अलावा इसका और कोई उत्तर नहीं है । यह प्रयोग हमारे यहां पहले रहा है और १० वर्षों से चलता रहा है । यह सामूहिक स्वरूप को लेकर बनाया गया है जिसमें शारीरिक शिक्षा के साथ सैनिक शिक्षा है । समाज सेवा और सौहार्द्र भाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है । अनुशासन, चरित्रनिर्माण की बुनियाद के आधार पर ऐसे नागरिक उत्पन्न करने की चेष्टा जो स्वयं सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत हों, जिनके हृदय में आत्मविश्वास हो, जिनके अन्दर बल भी हो, जो खतरे का सामना कर सकें, इस प्रकार की साधारण शिक्षा प्रचलित करने की चेष्टा के परिणाम का प्रतीकमात्र यह बिल है और इन्हीं विचारों को लेकर हमने आपके सम्मुख इसको प्रस्तुत किया है ।

आप इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु आशा यह है कि आपका सहयोग, सुझाव और सतपरामर्श हमें प्राप्त हो । यह चेष्टा १० वर्ष से चलती रही है और अपने सीमित साधन होते हुये भी हम इसका विस्तार, विकास और प्रसार करते जा रहे हैं । हम चाहते हैं कि उसमें आपकी सहायता हमें प्राप्त हो और हम इस राज्य में इसका विस्तार इसी प्रकार कर सकें और एक दिन वह आये कि जब प्रत्येक युवक इस शिक्षा से लाभ उठा सके और हमारे प्रदेश का उत्तम नागरिक बन सके, जिस पर हम संकट के समय भरोसा कर सकें और अपनी रक्षा कर सकें । आपकी सहायता से यह प्रयोग सफल हो यही हमारी कामना है ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक पर्सनल स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मेरे विचारों का संकेत करते हुये माननीय मंत्री ने कहा कि पहले मैंने सिद्धांतों का समर्थन किया और बाद में नहीं किया । ऐसी बात नहीं है । अगर माननीय मंत्री जी सेलेक्ट कमेटी में जाने के प्रस्ताव के समर्थन से यह समझते हैं कि विधेयक में निर्धारित प्रत्येक विचार का समर्थन किया जाय तो मुझे भय है कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस इसका साथ नहीं देती है । सिद्धांत केवल यह है कि एक विधेयक की आवश्यकता है और एजूकेशनल कोड बनना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चाहिये, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन यह कि उसका रूप कैसा हो, उसका डाइरेक्टर हो या डिप्टी डाइरेक्टर हो या क्या हो, इन विषयों के बारे में हम भिन्न राय रख सकते हैं ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी को इस विषय से इतना प्रेम था तो सन् ४८ में जब पहले लाजिमी मिलिटरी शिक्षा इस प्रदेश में इन्ट्रोड्यूस हुई या सन् ५३ में जब दोनों स्कीमों को मिलाया गया, तब यह विधेयक क्यों नहीं लाये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं इन तर्कों का उत्तर नहीं देना चाहता कि उन्होंने या मैंने क्या कहा। उन्होंने सफाई की, अच्छा है। अगर उनका मतभेद नहीं है तो मुझसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं हो सकता। उनके सहयोग, सहायता, परामर्श और सुझावों से ही तो सब काम कर सकेंगे।

दूसरे, मैं प्रवर समिति के नामों के बारे में जानना चाहता था कि कब दिये जा सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--वह आप बाद को दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक बात नारायणदत्त जी ने कही थी कि जो पहले नहीं कर सके उसे अब क्यों कर रहे हैं। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। यों तो, मुख्य मंत्री जी ने प्रातःकाल पूरी व्याख्या बतला दी थी। उसके बाद अगर यह प्रश्न उठे तो उसका मतलब यही होता है कि जीवन पर्यन्त भी हम इसे न करते।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं कुछ समय चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--अब आपके कुछ कहने का समय नहीं है। मैं श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी के संशोधन को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन की पंक्ति ३ में शब्द "३१ अक्तूबर" के स्थान पर शब्द "३० नवम्बर" रख दिया जाय ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मैं इसे ३० नवम्बर के बजाय १५ नवम्बर करने के लिए तैयार हूं अगर माननीय सदस्य.....

श्री अधिष्ठाता--यह बड़ा कठिन है। जब प्रश्न उपस्थित किया जाता है उस समय आप गड़बड़ कर दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जो मूल संशोधनकर्ता हैं, श्री मोतीलाल जी अवस्थी, उन्हें अवसर मिलना चाहिये कि वह जगदीश शरण जी अग्रवाल के आनुषंगिक संशोधन को स्वीकार करते हैं या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--(श्री मोतीलाल जी अवस्थी से) आप जगदीश शरण जी के संशोधन को स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं एक या दो शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि श्री मोती लाल अवस्थी के संशोधन की पंक्ति ३ में शब्द "३१ अक्तूबर" के स्थान पर शब्द "३० नवम्बर" रख दिये जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन को संशोधित रूप में रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट ३० नवम्बर, १९५७ तक उपस्थित करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आचार्य दीपंकर---मैं विभाजन चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---मैं निर्णय दे चुका हूं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, आप डिवीजन करा सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---निर्णय देने के बाद विभाजन नहीं हो सकता है ।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों के विषय में सूचना

श्री अधिष्ठाता---मुझे यह सूचना आपको देनी है कि मंत्रियों को परामर्शदात्री स्थायी समितियों में कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नामांकन पत्र, जो नियमित पाये गये हैं, आये हैं। वे इस प्रकार हैं :-

शरणार्थी स्थायी समिति, स्थान २, नामांकन पत्र २ ।

वन स्थायी समिति, स्थान २, नामांकन पत्र २ ।

जेल स्थायी समिति, स्थान २, नामांकन पत्र ३ ।

समाज कल्याण स्थायी समिति, स्थान २, नामांकन पत्र २ ।

यातायात स्थायी समिति, स्थान १, नामांकन पत्र २ ।

राष्ट्रीय एम्प्लायमेन्ट सेवा स्थायी समिति, स्थान १, नामांकन पत्र १ ।

सूचना स्थायी समिति, स्थान १, नामांकन पत्र २ ।

आबकारी स्थायी समिति, स्थान १, नामांकन पत्र १ ।

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति , स्थान १, नामांकन पत्र १ ।

स्थानीय स्वशासन स्थायी समिति, स्थान १, नामांकन पत्र १ ।

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति, स्थान १, नामांकन पत्र कुछ नहीं।

नामों की वापसी के लिये १३ सितम्बर, १९५७ के सायंकाल ४ बजे तक का समय है ।

राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं जानना चाहता हूं कि अभी माननीय जगदीश शरण जी अग्रवाल का संशोधन पारित हुआ । उसमें लिखा है कि सेलेक्ट कमेटी के नाम होंगे ....

श्री अधिष्ठाता---जब काउन्सिल से हो जायगा तो संयुक्त प्रवर समिति के नाम आपके पास आ जायेंगे ।

*इण्डियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

†न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मिस्टर जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जिसने यह तजवीज की थी कि पुराने इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट में यह अधिकार हाई कोर्ट को दिया गया था कि जितने डाइवोर्स के मामले हों ईसाइयों के दरमियान में वे अब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां आ जावें। माननीय सदस्य जानते हैं कि हाईकोर्ट में काम अधिक है और जज कम हैं, जिससे देर होती है। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी की इस सिफारिश को मान लिया जाय, इस ऐक्ट की अहमियत अंग्रेजों के जमाने में अधिक थी लेकिन अब उतनी अहमियत भी नहीं रही है। इसीलिये यह कानून पेश किया गया है कि इसके जरिये से जो-जो तरमीमात कानून में ऐसी हो सकती हैं कि बजाय हाईकोर्ट के यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिये जायं, ऐसी तरमीमात इस कानून में कर दी जायं। इसके साथ जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें ये तरमीमात मौजूद हैं। मैं माननीय सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। यह निहायत छोटा सा कानून है जिसके जरिये से कुछ तरमीमात मौजूदा कानून में लाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे।

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, अभी-अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने गंभीर और विशद् भाषण में इस बात की शिकायत की कि विरोधी दल केवल विरोध ही करता है। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि विरोधी दल प्रजातंत्रीय परम्पराओं में विश्वास रखता है और उसके अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करना जानता है। उसी के अनुसार मैं इस विधेयक का जो माननीय न्याय मंत्री ने पेश किया है, समर्थन करता हूं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, यदि मेरे भाषणों का इतना असर माननीय सदस्य पर हो तो मेरे भाग्य खुल जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपके भाषणों का प्रभाव तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उससे ज्यादा इसमें हमारे उत्तरदायित्व का परिणाम है। मैं माननीय मंत्री जी के भाषणों से प्रभावित हुआ करता हूं लेकिन उनमें प्रभाव देने की क्षमता हो, तभी प्रभावित हो सकता हूं।

माननीय न्याय मंत्री जी ने जो इस विधेयक का प्रस्ताव किया है वह वांचू कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है। मेरा विचार है कि जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने में बहुत देरी हुई है। आपको श्रीमन्, याद होगा कि वांचू कमेटी ने अपना काम सन् १९५१ में समाप्त कर दिया था, आज १९५७ है। वांचू कमेटी की यह सिफारिश थी कि इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट में यह संशोधन कर दिया जाय कि हाईकोर्ट को इस उत्तरादायित्व से मुक्त कर दिया जाय। इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट में कानकरेंट ज्युरिस्डिक्शन हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज का था, उसके बजाय अब केवल डिस्ट्रिक्ट जज को ही यह अधिकार होगा।

माननीय मंत्री जी से मुझे इतनी शिकायत जरूर है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मानेंगे कि इस देरी में उनके विभाग का उत्तरदायित्व अवश्य है। और आज ६ साल व्यतीत होने के बाद ही यह विधेयक इस सदन के सामने आ पाया है। मैं अब भी उनसे अपील करता हूं कि वांचू कमेटी की अब भी बहुत सी सिफारिशें बाकी हैं, उन्हें शीघ्रता से

---

*६ सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यान्वित किया जाना चाहिये । माननीय न्याय मंत्री आज से नहीं पिछले ५-६ सालों से हैं । मैं उनसे यह निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि हाईकोर्ट के बढ़ते हुये कामों को कम करने के लिये न्याय का विकेन्द्रीकरण करने के लिये सस्ता और सुलभ न्याय प्रदेश की जनता को पहुंचाने के लिये जो वांचू कमेटी की सिफारिशें हैं उनको विधान के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है ।

जहां तक इस विधेयक के प्राविधान का सम्बन्ध है, यह सही है कि इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट प्रदेश की अधिकांश जनता पर लागू न होगा, ऐसा भी नहीं है कि यहां तलाकों को बढ़ाने की गुंजाइश हो । इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा निरापद कानून है और आज से पहले ही यह आ जाना चाहिये था । आज जब वह आया है तो हम उसका स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी वांचू की दूसरी सिफारिशों को विधान का स्वरूप देने की कृपा करेंगे और वांचू कमेटी के उद्देश्य को, उसके मंतव्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)--मान्यवर, जहां तक इस छोटे से निर्दोष बिल का सम्बन्ध है, अवश्य ही कोई व्यक्ति इसमें दो राय नहीं रख सकता लेकिन श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस मर्ज की यह दवा है और जिस दिक्कत को दूर करने के लिये इसको लाया गया है, उसका यह बहुत हलका सा उपचार है । मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह भी शिकायत करना चाहता हूं कि जिस कमी को पूरा करने के लिये यह बिल लाया गया है, आपके द्वारा अगर इतना धीरे-धीरे ध्यान दिया गया तो वह कमी शायद पूरी नहीं हो सकेगी ।

सन् १९५०-५१ में वांचू कमेटी नियुक्त हुई थी । इसके अतिरिक्त एक दूसरी कमेटी जिसको हाईकोर्ट एरियर्स कमेटी भी कहते हैं और जिसको दास कमेटी के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है, वह भी इसी समस्या का उपचार ढूंढ़ने के लिये नियुक्त हुई थी । इन दोनों कमेटियों ने अपनी सिफारिशें दीं और उन सिफारिशों में ऐसे उपाय बतलाये जिससे हाईकोर्ट के एरियर्स और सिविल कोर्ट के एरियर्स कम किये जा सकते हैं । उनमें एक उपाय यह भी था इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट में जो कांकरेंट जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट का भी है उस कांकरेंट जुरिस्डिक्शन को खत्म करके डिस्ट्रिक्ट जज के जुरिस्डिक्शन में ही वह कनफर्म कर दिया जाय । श्रीमन्, आज जो एरियर्स की स्थिति है वह बड़ी विचारणीय है । आज हमारे प्रदेश में ३०-४० हजार के करीब पेंडिंग सूट्स हैं और हाई कोर्ट में करीब २० हजार के अपीलें पेंडिंग हैं और जैसा कि सरकार की तरफ से कई दफा सवालों के जवाब में बतलाया गया है कि उन २० हजार में ५-६ हजार अपीलें ऐसी हैं जो ७-८ साल से भी ज्यादा पुरानी हैं । श्रीमन्, यदि न्याय में इतना विलम्ब हो तो न्याय का एक बहुत बड़ा मंशा खत्म हो जाता है और ऐसे न्याय का चाहने वाला कभी-कभी उस न्याय को पाने के लिये जिन्दा भी नहीं रहता है । इस विषम परिस्थिति को सुलझाने के लिये, इस बड़े एरियर्स को दूर करने के लिये मजबूत और तेज कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिये ऐसे उपचार करने पड़ेंगे जिससे कि वे दूर हो सकें । पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी की ओर से कई ऐसे कदम उठाये गये हैं, कई ऐसे विधेयक कभी-कभी आये जिनके द्वारा एक न एक कदम हम उस दिशा में आगे बढ़े । लेकिन श्रीमन्, बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरा यह अनुरोध है, मेरा यह आग्रह है कि यह एक-एक करके कदम जो उठाया जाता है और इतनी देर में, इससे समस्या बड़ी उलझती जाती है, जिससे सारे प्रान्त में एक चिन्ता व्याप्त है । इससे तो वही बात साबित होती है जैसा कि कहा गया है--"जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" यानी न्याय पाने में इतना विलम्ब हो रहा है जो हमारे लिये किसी तरह से भी शोभनीय नहीं ह । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है, हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं और उनके बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा कर उस बड़े एरियर्स को कम करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया । लेकिन मैं

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

उनसे अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र ऐसा प्रयत्न करें और ऐसा प्रयास करें कि और ऐसे विधेयक और उपचार इस सदन के सामने प्रस्तुत कर सकें जिनसे वे बड़े एरियर्स जो हाईकोर्ट में हैं और जिलों में पड़े हैं और जो सारे प्रान्त के लिये चिन्ता का विषय है, उनको कम करना सम्भव हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय नारायणदत्त तिवारी और माननीय जगदीशशरण अग्रवाल के भाषण के उपरान्त इस विधेयक के विषय में अधिक कुछ कहने को नहीं रह गया है परन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह जरूर अनुरोध करूंगा कि ये जितनी कमेटियां एप्वाइन्ट हुई थीं वे काम को हल्का करने के लिये नियुक्त हुई थीं। उन्होंने जो सिफारिशें की थीं, उनमें से जो सरकार को मंजूर हैं उनके लिये आप एक मर्तबा तय कर लीजिये और तय करने के बाद कि इतना होना चाहिये, सबको एक साथ लाइये, जिसमें न कोई सिद्धांत की बात हो, न विरोध की बात हो, तो मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट का काम बहुत हल्का हो जायगा। यह सच है कि यह विधेयक जिस सूरत में लाया गया है, जिनको हाईकोर्ट का कुछ भी अनुभव होगा, वे यह समझ सकते हैं। हाईकोर्ट में महज इसी काम के लिये एक जज और वह भी कोई अंग्रेज होता था जो क्रिश्चियन कायदे कानून और उनके कस्टम को जानता था और समझ सकता था, उसका सारा वक्त इसी में समाप्त होता था। जो हमार मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मूथम, उनका पहले, जस्टिस होने के जमाने में करीब-करीब आधे से अधिक समय ऐसे डाइवोर्स या ऐसे ही फैसलों में लग जाता था। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा और चाहूंगा कि हुकूमत के लिये यह पीसमील लेजिस्लेशन लाना मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूं उनको दिक्कतें न होनी चाहिये क्योंकि वह रिपोर्ट्स उनके पास हैं, जो सिफारिशें उनको मंजूर करना है उन्हें वह मंजूर करें और जिन्हें नामंजूर करना है उन को न करें। वह एक ऐडवाइजरी नेचर की सिफारिशें हैं सरकार उनको माने या न माने, इसलिये जो चीज लाना है वह सब एक साथ आ जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं।

*श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल को मंजूर किया और इसकी ताईद की।

जहां तक इन कमेटियों का ताल्लुक है, सिवा उन माननीय सदस्यों के जो शायद अब की बार ही मेम्बर हो कर आये हैं, उन को शायद मालूम न हो लेकिन सभी पुराने मेम्बरान जानते हैं कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार बहुत अरसा हुआ अपना फैसला कर चुकी है। उसके मुताल्लिक बहुत सी तरमीमें बहुत से कानूनों में की थीं, वह कानून इसी विधान सभा में आये और पास हुए और आज वह लागू भी हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी ऐसी तरमीमें थीं जिन्हें रूल्स के जरिये से हमें लागू करना था चुनांचे उसके मुताल्लिक रूल्स बनाये गये, वह लागू हुये और अमल भी उन पर हो रहा है। इसके अलावा और जरूरत हुई तो दो एक और कानून भी वक्तन फवक्तन आये और उनके जरिये से कानूनों की तरमीमें की गईं। अब जो असली सवाल है और जिस पर हमें गौर करना है वह यह है कि जो कानून हमारे देश में अंग्रेजों के लाये हुये थे और जिन में कि बहुत देर होती थी और जिनका बहुत एक्सपेंसिव होना लाजमी था उन में किस तरह से जरूरी तरमीमें की जायं और कैसे वह बदले जायं। यह मसला खाली हमारे सूबे का ही नहीं बल्कि देश भर का है, एक ला कमीशन केन्द्रीय सरकार ने मुकर्रर किया था, वह बैठा हुआ है और वह बराबर इन मामलात पर गौर कर रहा है और बराबर अपनी तजवीजें पेश कर रहा है और जिसके जरिये से सूबों की हुकूमतों की राय भी मांगी जाती है लेकिन अभी उसकी आखिरी रिपोर्ट नहीं आई है और उसके जल्द आने की उम्मीद भी नहीं है। बहरहाल, जैसे-जैसे सोसाइटी काम्पलीकेटेड

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती जाती है, नये-नये कानून आते जाते हैं और अदालतों का काम भी बढ़ता जाता है और जहां तक हमारे सूबे की आबादी का ताल्लुक है, बहुत से नये सूबे भी बन गये लेकिन फिर भी आज हमारा सूबा सब से बड़ा है और इसलिये हमारे यहां हाईकोर्ट के जजेज की तादाद तमाम हाईकोर्ट्स के जजेज से ज्यादा है। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। काम बढ़ता जाता है, मुकदमों की तादाद ज्यादा है, काम इकट्ठा हो जाता है, जल्दी खत्म नहीं होता और जरूर कुछ देर होती है। यह तमाम ऐसी बातें हैं कि जिन का ताल्लुक इस मखसूस बिल से नहीं है। एक चीज जो वांचू कमेटी की सिफारिश के अनुसार होनी चाहिये थी वही अब की जा रही है, बहुत सी और चीजें थीं जो रूल्स वगैरह के जरिये से कर दी गईं, एक दो और हों तो मालूम नहीं लेकिन जहां तक मुझे याद है अब कोई ऐसी सिफारिश मुझे मालूम नहीं है कि जिसे सरकार ने मंजूर किया हो और उसको लागू करना बाकी रह गया हो। जहां तक इस में देर का सवाल है, कई बार हमने भी कहा कि हमको भी इस की चिन्ता है और हम यह चाहते हैं कि मुकदमों के फैसले जल्दी हों और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे-जैसे वक्त गुजरता जायगा जो नये कानून हैं उनके ऊपर हाईकोर्ट वगैरह के फैसले हो जायेंगे, लोग कानून जान जायेंगे वैसे-वैसे मुकदमों की तादाद घटती जायगी।

जब ला कमीशन की रिपोर्ट आ जायगी तो उस वक्त हमें उम्मीद है कि प्रोसीड्योर वगैरह की दिक्कतें भी खत्म हो जायंगी।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---कब तक आ जायगी?

श्री सैयद अली जहीर---यह मैं नहीं कह सकता। ला कमीशन सेंट्रल गवर्नमेन्ट का मुकर्रर किया हुआ है। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।

जहां तक फौजदारी के मुकदमों का ताल्लुक है, माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी-अभी क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में दो वर्ष हुये बहुत सी तरमीमें कर दी गयी हैं ताकि मुकदमों का फैसला जल्दी हो सके। बहरहाल, इन जहमतों से हम वाकिफ हैं और जो कदम उठाने जरूरी होते हैं हम उठा रहे हैं। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है इसका सभी ने समर्थन किया है और इसको पास करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२---उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ की अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयतिपर्यन्त संशोधित किया जायगा तथा एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐक्ट संख्या ४, १८६९ का संशोधन।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

अपवाद (Savings)

३--इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन, पहले से की गयी अथवा हुई किसी बात की वैधता , अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम पर अथवा पहले से प्रयुक्त किसी भी क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) पर प्रभाव न डालेगा, तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व निविष्ट या आरब्ध कोई भी कार्यवाही यहां पर किये गये किसी भी संशोधन के होते हुए भी, ऐसे न्यायालय द्वारा सुनी जाती रहेगी तथा निर्णीत की जायगी मानों कि यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची (Schedule)

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
१	१०	इस धारा में शब्द "or to the High Court" जहां कहीं भी ये आये हों, निकाल दिये जायं ।
२	१३	अंतिम पैराग्राफ, अर्थात् "when a petition is dismissed by a District Court under this section, the petitioner may, nevertheless, present a similar petition to the High Court" निकाल दिया जाय ।
३	१६	(१) प्रथम पैराग्राफ में से शब्द "made by a High Court, not being a confirmation of a decree of a District Court" तथा शब्द "or special" निकाल दिये जायं । (२) दूसरे पैराग्राफ में शब्द "General" तथा "Order" के बीच में आये हुये शब्द "or special" निकाल दिये जायं । (३) चौथे तथा पांचवें पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय ।
४	१७	(१) पैराग्राफ १ से ५ तक निकाल दिये जायं । (२) पैराग्राफ ६ में शब्द "General तथा "Order" के बीच में आये हुये शब्द "or special" निकाल दिये जायं ।
५	१८	शब्द "District or to the High Court" के स्थान पर शब्द "District Court" रख दिये जायं ।
६	१९	अंतिम पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय ।
७	२०	यह धारा निकाल दी जाय ।
८	२३,२७,३२तथा३४	शब्द "or the High Court" निकाल दिये जायं ।
९	३७	(१) शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय । (२) दूसरा पैराग्राफ, अर्थात् "and the District Judge, may, if he thinks fit, on the confirmation of any decree of his declaring a marriage to be dissolved, or on any decree of judicial separation obtained by the wife" निकाल दिया जाय ।

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
१०	४०	(१) शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय। (२) दूसरा पैराग्राफ अर्थात् "and the District Court after its decree for dissolution of marriage or of nullity of marriage has been confirmed" निकाल दिया जाय।
११	४३	(१) पहले पैराग्राफ में से शब्द "instituted in, or removed to a High Court" निकाल दिये जायं। (२) दूसरा पैराग्राफ निकाल दिया जाय। (३) तीसरे पैराग्राफ में शब्द "High Court or District Court (as the case may be)" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय।
१२	४४	(१) पहले पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर "Court" रख दिया जाय। (२) दूसरा पैराग्राफ अर्थात् शब्द "and the District Court, after a decree for dissolution of marriage or of nullity of marriage has been confirmed" निकाल दिये जायं।
१३	५०	शब्द "High Court by general or special order from time to time directs" के स्थान पर शब्द "Court may direct" रख दिये जायं।
१४	५५	(१) प्रथम प्रतिबन्धक (Proviso) निकाल दिया जाय। (२) द्वितीय प्रतिबन्धक में से शब्द "also" निकाल दिया जाय।
१५	५७	वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—
		"57. When six months after the date of any decree absolute dissolving a marriage have expired, and no appeal has been presented against such decree, or when any such appeal has been dismissed, Liberties to parties to marry again.
		or when in the result of any such appeal any marriage is declared to be dissolved,
		but not sooner, it shall be lawful for the respective parties to the marriage to marry again, as if the prior marriage had been dissolved by death".
१७		१—प्रपत्र संख्या (Form number) १ में:— Schedule of forms (१) शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(or to the Judge or)" तथा शब्द "to the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिया जायं। (प्रपत्रों की अनुसूची)

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
		(२) शब्द तथा कोष्ठक "(Hon'ble)" जहां कहीं भी आये हों निकाल दिये जायं ।
		२—प्रपत्र संख्या २ में से शब्द तथा कोष्ठक "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं ।
		३—प्रपत्र संख्या ३ में से शब्द तथा कोष्ठक "(High)" तथा "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं ।
		४—प्रपत्र संख्या ४ तथा ५ में से शब्द तथा कोष्ठक "(High)", "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिये जायं ।
		५—प्रपत्र संख्या ६ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं ।
		६—प्रपत्र संख्या ७ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)' निकाल दिये जायं ।
		७—प्रपत्र संख्या ८ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" "(Hon'ble)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिये जायं ।
		८—प्रपत्र संख्या ९ में —तथा कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायं ।
		९—प्रपत्र संख्या १० में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं ।
		१०—प्रपत्र संख्या ११ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं ।
		११—प्रपत्र संख्या १२ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)", "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं ।
		१२—प्रपत्र संख्या १३ तथा १४ में शब्द और कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को, कतिपय प्रयोजनों के निमित्त, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, संशोधित करने का विधेयक

ऐक्ट संख्या ४,१८६९ ।

यह इष्टकर है कि इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय, ऐक्ट संख्या ४,१८६९ ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग बनें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज व विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन की सूचना

श्री अधिष्ठाता--दो सूचनायें हमें देनी हैं । वह ये हैं --

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज, जिसका कार्यकाल ३१, दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होगा, के लिये आचार्य दीपंकर, एम० एल० ए० और श्री रामलक्षण तिवारी, एम० एल० ए० विधिवत् निर्वाचित किये गये हैं ।

दूसरी यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के ये सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये विधिवत् निर्वाचित किये गये हैं--

१--श्री भीखालाल, २--श्री मदनमोहन वर्मा, ३--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल ।

अगले दिन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की प्रार्थना

श्री अवधेशप्रताप सिंह--(जिला फैजाबाद) मुझे थोड़ा सा यह निवेदन करना है कि अजेंडा में कल के लिये कुछ मालूम नहीं है, कल के लिये क्या प्रोग्राम होगा यह बता दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक लिया जायगा ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---आज ही यह विधेयक आया है। तीन दिन का नोटिस चाहिये। फिर वही दिक्कत होगी।

श्री अधिष्ठाता---कल के लिये तो रखा है इसको।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---लेकिन कायदे के मुताबिक तीन दिन के पहले वह आ ही नहीं सकता, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता---तो जब कल मोशन आयेगा तो आब्जेक्शन कीजियेगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मुझे तो सिर्फ यह कहना था, आप भी जानते हैं, कोई दूसरा विधेयक कल के लिये हो ही नहीं सकता।

श्री अधिष्ठाता---कल निर्णय किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---(जिला नैनीताल) आपने सम्भवतः सूचना दी कि उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर विधेयक....

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने पूछा कि कल कौन सा विधेयक लिया जायगा, तो मैंने कहा आइटम नम्बर २ पर जो उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९५७ है वह कल लिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा निवेदन यह है कि कम से कम इस विधेयक को जो अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और कम से कम टैक्सेशन के संबंध में है इसे इतनी जल्दी कल न लिया जाय क्योंकि एक तो आज दोपहर के बाद हमको मिला है और मैं तो मुश्किल से इसकी हेड लाइन्स ही पढ़ पाया हूं। तो कल किस प्रकार से आदरणीय सदन इस पर विवाद कर सकता है? अगर इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट की तरह का कोई विधेयक होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इस को कल ही इस प्रकार से पारित कराने की चेष्टा करना मैं समझता हूं .....

श्री अधिष्ठाता---माननीय नारायणदत्त जी यह तो उस वक्त प्रश्न उठता जब माल मंत्री जी यहां होते। माननीय न्याय मंत्री जी से तो कोई मतलब भी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्लेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी तो है।

श्री अधिष्ठाता---वह बात दूसरी है। मगर उन्होंने तो बिल उपस्थित नहीं किया है। जब आपके सामने यह बिल उपस्थित होता और माल मंत्री जी मोशन करते इसके बारे में तब आप आब्जेक्शन लाते, तो ठीक था। उन्होंने एक बात पूछी कि कल क्या लिया जायगा, मैंने कहा कि आइटम नम्बर २ पर जो विधेयक है वह लिया जायगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० सितम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३७ पर)

हापुड़, कालपी और गोरखपुर की मंडियों में गेहूं चावल तथा गुड़ के भावों* की तालिका

खाद्यान्न	मंडियां	तिथियां											
		७-६-५७	१४-६-५७	२१-६-५७	२८-६-५७	५-७-५७	१२-७-५७	१९-७-५७	२६-७-५७	२-८-५७	९-८-५७	१६-८-५७	२३-८-५७	३०-८-५७
गेहूं	हापुड़ ..	१४·६२	१४·५०	१४·७५	१४·३७	१४·७५	१४·८७	१६·००	१६·२५	१५·७५	१६·००	१६·३१	१५·८८	१५·८७
	कालपी	१३·८९	१३·८९	१३·५८	१३·५०	१३·९१	१४·८९	१५·६१	१५·२५	१५·२५	१४·८९	१५·२३	१५·६१	१४·८९
	गोरखपुर	१८·७५	१८·७५	१९·००	१८·७५	१८·७५	१८·८७	१९·००	१९·६२	१८·७५	१८·५०	[१८·५०	१८·५०	१८·२५
चावल ३	हापुड़ ..	२४·००	२४·००	२४·००	२४·५०	२४·५०	२४·२५	२५·५०	२४·७५	२४·५०	२४·००	२४·१२	२४·२५	२४·००
	कालपी	२४·००	२४·००	२३·५०	२३·००	२३·००	२३·५०	२३·५०	२५·५०	२५·५०	२५·५०	२४·५०	२४·००	२३·५०*
	गोरखपुर	२२·२५	२२·६२	२२·७५	२२·५०	२३·५०	२५·००	२५·०४	२५·२५	२५·५०	२४·५०	२५·००	२४·००	२३·००
गुड़	हापुड़ ..	११·७५	११·३७	११·३७	११•२५	११·५०	११·७५	१२·५०	१२·७५	१३·००	१३·००	१२·७५	१२·७५	१२·६२
	कालपी	१३·००	१३·५०	१३·५०	१३·५०	१३·५०	१३·००	१३·००	१३·००	१३·००	१३·००	१३·००	१४·००	१३·५०
	गोरखपुर	१८·३७	१८·२५	१८·३७	१८·३७	१८·३७	१८·५०	१८·५०	१८·५०	१८·७९	१८·५०	१७·००	१४·७५	१४·५०

*२८ अगस्त, १९५७ के मूल्य

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर ।)

मुरादाबाद जिले के दीवानी और माल के न्यायालयों में सन् १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ के विचाराधीन मुकदमों की तालिका

दीवानी न्यायालय

न्यायालय का नाम	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७
१	२	३	४	५
जिला जज	१२६	४८	१०५	५७१
सिविल ऐण्ड सेसन्स जज	..	५	११७	३५
अस्थाई ऐण्ड सेसन्स जज	..	२	४४	२७
जज खफीफा	६	४५	२५५	१,०८०
सिविल जज	१८	५४	१३६	१५३
अतिरिक्त सेसन्स जज	११	११	१३१	१४८
मुन्सिफ मुरादाबाद	४४	१५६	५०७	४७५
मुन्सिफ अमरोहा	३६	७२	१६१	५७०
मुन्सिफ चन्दौसी	३९	११८	२२०	२४८
मुन्सिफ सम्भल	६	१४	८०	४१५
योग (दीवानी मुकदमें) ..	२८६	५२५	१,७५६	३,७२२

माल के न्यायालय

हाकिम परगना ठाकुरद्वार	—	—	—	१४
,, ,, मुरादाबाद	—	—	—	४८
,, ,, अमरोहा	—	—	—	२२
,, ,, हसनपुर	—	—	—	२५
,, ,, बिलारी	—	—	३	२४
,, ,, सम्भल	—	—	—	९८
अतिरिक्त हाकिम परगना बिलारी ..	—	—	२	—
जुडिशल आफिसर १ मुरादाबाद	१	१	५	२०९
,, ,, सम्भल	—	—	८	२९१
,, ,, ३ अमरोहा	—	—	—	२९०
तहसीलदार हसनपुर	—	—	—	७११
,, अमरोहा	—	—	२	६७६
,, मुरादाबाद	—	—	—	४३०
,, बिलारी	—	—	—	२७
,, सम्भल	—	—	—	९६८
,, ठाकुरद्वार	—	—	—	२८६
योग (माल मुकदमें) ..	१	१	२०	४,११९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर ।)

गोरखपुर डिवीजन के विभिन्न जिलों में चल रही सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या तथा उन से २१ अगस्त, १९५७ ई० तक बेचे गये अनाज की मात्रा की तालिका

क्रम-संख्या	नाम जिला	चालु दूकानों की संख्या	२१ अगस्त, १९५७ तक बेचे गये अनाज की मात्रा (मन में)
१	२	३	४
१—गोरखपुर	.. ..	१७५	६,७०,१५९
२—बस्ती	.. ..	१६६	४,००,४४८
३—आजमगढ़	.. ..	२३६	५,७९,९९४
४—देवरिया	..	१८६	४,११,५३०
योग	..	७९३	२०,६२,१३१

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४४ पर ।)

नगरपालिका सहसवान में प्रबन्धक महोदय ने निम्नलिखित सुधार किया

१--उक्त नगरपालिका की आय मार्च सन् १९५६ से जुलाई सन् १९५६ तक ५७,०३३ रुपये थी और मार्च सन् १९५७ से जुलाई सन् १९५७ तक कुल आय ८१,६६४ रुपये हुई इस प्रकार अपेक्षाकृत २४,६३१ रुपये की वृद्धि हुई ।

२--१७ फरवरी, १९५७ को पालिका के ऊपर १,८४,६१४ रुपये की लाईबिलिटीज थी जो अब घट कर १,६७,८६६ रुपये हो गई है ।

३--१७ फरवरी, १९५७ में पालिका के कर्मचारीगणों का वेतन अगस्त सन् १९५६ से जनवरी सन् १९५७ तक बाकी था । यह सब वेतन इन कर्मचारियों को वितरित कर दिया गया है । अब केवल दो माह का जून व जुलाई सन् १९५७ का वेतन बाकी रह गया है ।

४--अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में untrained अध्यापकों के स्थान पर trained अध्यापक रखे गये हैं । पन्नालाल म्युनिसिपल हायर सेकन्डरी स्कूल विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान रिक्त था जिस पर एक अनुभवी आचार्य की नियुक्ति कर दी गई है ।

५--पालिका ने २,००० रुपये की धनराशि सहसबान चिकित्सालय की उन्नति के लिये स्वीकार कर लिया है ।

६--पालिका ने बालकों के मनोरंजनार्थ एक खेल कूद का केन्द्र भी आरम्भ कर दिया है । इसके अतिरिक्त एक पार्क की भी स्थापना कर दी गई है ।

७--पालिका के conservaney staff को वर्दियां दी गईं और नगर की सफाई के लिये ६६३ रुपये कूड़ा गाड़ी के खरीद व सुधार के लिये खर्च किया गया ।

८--सड़कों की मरम्मत व निर्माण में ६,०६० रुपये की धनराशि व्यय की गई ।

९--रोशनी पर भी उचित ध्यान किया गया । जिसके सम्बन्ध में पालिका ने ३१८ रुपये की नई चिमनी खरीदी ।

१०--सी० पी० टैक्स की वसूली भी २१,३६४ से बढ़कर ३१,९६९ रुपये हो गयी है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४४ पर।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में बनायी जाने वाली पक्की सड़कों की लम्बाई

क्रम संख्या	जिले का नाम	चालू योजना	नई योजना	अतिरिक्त योजना	कुल
१	२	३	४	५	६
१	—आगरा ..	९	७ १/२	७	२३ १/२
२	—अलीगढ़ ..	..	२१ ३/८	..	२१ ३/८
३	—इलाहाबाद ..	५४	..	..	५४
४	—अल्मोड़ा ..	५२	८९	३५	१७६
५	—आजमगढ़ ..	५	६	..	११
६	—बदायूं ..	४० ३/४	१९	६ १/२	६६ १/४
७	—बहराइच ..	४	५५	९	६८
८	—बलिया ..	१ १/४	३३	..	३४ १/४
९	—वाराणसी ..	३९	१९	..	५८
१०	—बांदा ..	१९ ३/८	३०	८	५७ ३/८
११	—बाराबंकी ..	..	६ १/२	..	६ १/२
१२	—बरेली ..	१५	९	..	२४
१३	—बस्ती ..	३२	४१	१९	९२
१४	—बिजनौर ..	३७	१०	..	४७
१५	—बुलन्दशहर ..	३६	१५	३	५४
१६	—देहरादून ..	१ १/२	१५	..	१६ १/२
१७	—देवरिया ..	१००	१६	..	११६
१८	—एटा ..	७	२७ १/२	५	३९ १/२
१९	—इटावा ..	..	४	८	१२
२०	—फैजाबाद ..	१४	१०	..	२४
२१	—फर्रुखाबाद ..	..	१२	..	१२
२२	—फतेहपुर ..	..	२१	..	२१
२३	—गढ़वाल ..	४	८४	१०	९८
२४	—गाजीपुर ..	११	..	..	११
२५	—गोंडा ..	२०	४९ १/४	१३	८२ १/४
२६	—गोरखपुर ..	४६	३१	..	७७
२७	—हमीरपुर ..	१९	३७ १/२	..	५६ १/२
२८	—हरदोई ..	११	४०	२३ १/२	७४ १/२
२९	—जालौन ..	२० १/२	२४	..	४४ १/२
३०	—जौनपुर ..	१	५	..	६
३१	—झांसी ..	..	३३	..	३३
३२	—कानपुर ..	..	९ ३/८	..	९ ३/८
३३	—खीरी ..	७७	५२	१२	१४१

क्रम संख्या	जिले का नाम	चालू योजना	नई योजना	अतिरिक्त योजना	कुल
१	२	३	४	५	६
३४--लखनऊ	..	..	९	..	९
३५--मैनपुरी	..	१/२	..	..	१/२
३६--मथुरा	..	१	१६	..	१७
३७--मेरठ	..	५०	४१	२३	११४
३८--मिर्जापुर	..	३८	५७	२	९७
३९--मुरादाबाद	..	३०	३८	..	६८
४०--मुजफ्फरनगर	..	३९ १/२	६२ १/२	२१	१२३
४१--नैनीताल	..	३४	५१	७	९२
४२--प्रतापगढ़	..	..	१६	..	१६
४३--पीलीभीत	..	२८ ५/८	५२	८	८८ ५/८
४४--रायबरेली	..	..	८ १/२	..	८ १/२
४५--रामपुर	..	१० ३/४	१५	..	२५ ६/८
४६--सहारनपुर	..	२९	३६	६	७१
४७--शाहजहांपुर	..	११	५९	..	७०
४८--सीतापुर	..	२६	१८	..	४४
४९--सुल्तानपुर	..	..	२५	७	३२
५०--टेहरी	..	..	७८	९	८७
५१--उन्नाव	..	२४	२५	..	४९
कुल	..	९९८ ५/८	१,४३९	२४२	२,४८०

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४९ पर)

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७

वृहत् जोतों पर कर लगाने तथा उसकी वसूली की व्यवस्था करने का विधेयक।

यह इष्टकर है कि वृहत्-जोतों पर कर लगाने तथा उसकी वसूली करने की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृहत्-जोत कर अधिनियम, १९५७ कहलाये।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह जुलाई, १९५७ के प्रथम दिनांक से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर—

(१) "कृषि जोत" (agricultural holding) का अर्थ वही है जो उसे धारा ४ में दिया गया है ;

(२) "वार्षिक मूल्य" (annual value) का वही अर्थ है जो उसे धारा ६ में दिया गया है ;

(३) "करदाता" (assessee) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रपति (land holder) से है जिसके द्वारा जोत-कर देय हो तथा उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, इसके अन्तर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि (legal representative) भी है ;

(४) "कर-निर्धारक-अधिकारी" (assessing authority) का अर्थ वही है जो उसे धारा ७ में दिया गया है ;

(५) "असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास" का अर्थ वही है जो उसे यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में दिया गया है ; — यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१।

(६) "कलेक्टर" के अन्तर्गत एडीशनल कलेक्टर भी है ;

(७) "कमिश्नर" के अन्तर्गत एडीशनल कमिश्नर भी हैं ;

(८) "कम्पनी" का तात्पर्य ऐसी कम्पनी से है, जिसकी परिभाषा इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२२ में की गई है; — यू० पी० ऐक्ट संख्या १२, १९२२।

(९) "सहकारी फार्म" (co-operative farm) का तात्पर्य ऐसे सहकारी फार्म से है जिस पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ११ के उपबन्ध लागू हों ; — उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(१०) "सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी से है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्टर्ड हो और इसके अन्तर्गत सहकारी फार्म (co-operative farm) भी है ; — ऐक्ट संख्या २, १९१२।

ऐक्ट संख्या ९, १९३२।

(११) "फर्म" का वही अर्थ है जो उसे इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट, १९३२ में दिया गया है ;

(१२) "हिस्सेदार" का अर्थ वही है जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत भौमिक अधिकारों (land tenure) से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत परगना असकोट के गुजारेदार तथा प्रतिबन्ध रहित दाय से मिली सम्पत्ति के गृहीता (holders of fee simple estate) भी हैं :

(१३) 'जोतकर' (holding tax) का वही अर्थ है जो उसे धारा ३ में दिया गया है ;

(१४) "मध्यवर्ती" (intermediary) का तात्पर्य किसी स्वामी (proprietor), मातहतदार (under-proprietor), अवना-मालिक (sub proprietor), ठेकेदार (thekedar), अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Oudh), दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) अथवा हिस्सेदार (hissedar) से है ;

(१५) 'भूमि' (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, चाहे उस पर मालगुजारी निर्धारित हो अथवा न हो, जो कृषि, उद्यान-करण, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन अथवा कुक्कुट-पालन agriculture, horticulture, animal husbandry, pisciculture or poultry farming) से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त न हो रही हो ;

(१६) 'क्षेत्रपति' (landholder) का तात्पर्य—

(१) किसी मध्यवर्ती से है यदि भूमि उसकी खुदकाश्त (personal cultivation) में हो अथवा उसके पास सीर, खुदकाश्त या बाग (grove) के रूप में हो, तथा

(२) अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से भिन्न हैसियत से भूमि पर अधिकार अथवा अध्यासन रखता हो—

(क) असामी,

(ख) शिकमी-काश्तकार (sub-tenant)

(ग) सीर का काश्तकार अथवा

(घ) सीरतान (sirtan) ;

और इसके अन्तर्गत यथास्थिति कर्त्ता प्रबन्धक अथवा मुख्य अधिकारी (karta or a manager or a principal officer) है।

स्पष्टीकरण—इस खंड में असामी के अन्तर्गत गाँव-समाज का असामी नहीं है।

ऐक्ट सं० ५, १९०८

(१७) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ है जो शब्द "legal representative" को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है,

(१८) किसी कम्पनी या एसोसिएशन के सम्बन्ध में प्रयुक्त शब्द "मुख्य अधिकारी" (principal officer) का तात्पर्य निम्नलिखित से है:—

(१) कम्पनी या एसोसिएशन का सेक्रेटरी, खजांची, प्रबन्धक अथवा अभिकर्ता (agent) अथवा

(२) कम्पनी या एसोसिएशन से सम्बद्ध कोई व्यक्ति जिस पर कर-निर्धारक-अधिकारी ने अपने इस इरादे का नोटिस तामील किया हो कि उसे उसका मुख्य अधिकारी माना जायगा;

(१९) 'नियत' (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है ;

(२०) 'सर्वोदय-मंडल' का तात्पर्य गांव के समस्त निवासियों के संघ (Association) से है जिसके पास आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाये हुये आन्दोलन के अनुसार सदस्यों के सामूहिक लाभ के निमित्त गांव की सारी भूमि ही ;

(२१) 'सीरतान' (sirtan) का वही अर्थ है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि में उसे दिया गया है ;

(२२) 'राज्य सरकार' (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(२३) "सब डिवीजनल आफिसर" का तात्पर्य यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ के अधीन नियुक्त सब-डिवीजन के इन्चार्ज प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर Assistant Collector first class in-charge of a sub-division) से है तथा इसके अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त निर्दिष्ट कोई दूसरा असिस्टेंट कलेक्टर भी है; — यू० पी० ऐक्ट, ३, १९०१ ।

(२४) पद 'कृषि वर्ष', 'बाग', 'खुदकाश्त' 'गैर दखीलकार-काश्तकार 'दवामी, काश्तकार' 'अवध का पट्टेदार स्वामी या इस्तमरारी,' 'स्वामी' 'स्वीकृत मौरूसी दरें,' शिकमी काश्तकार', 'अदना मालिक', 'ठेकेदार' तथा 'मातहतदार' के वही अर्थ हैं जो क्रमशः पद "Agricultural year", "grove", "khudkasht", "non-occupeney tenant", "permanent tenure-holder", "permanent lessee in Avadh", "proprietor", "sanctioned hereditary rates", "sub-tenant", "sub-proprietor", "thekedar" and "under-proprietor" को, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिये गये हैं तथा

(२५) पद "असामी और गांव समाज" के वही अर्थ हैं जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, में उन्हें दिये गये हैं । — यू० पी० ऐक्ट १७, १९३९ । उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ ।

अध्याय २

जोत-कर का लगाया जाना

जोत-कर का भारित किया जाना ।

३—(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी एतत्पश्चात् व्यवस्था की गई है, प्रत्येक जोत (land holding) के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कृषि वर्ष के निमित्त अनुसूची में निर्दिष्ट दर से कर, जिसे एतत्पश्चात्, "जोत-कर" कहा गया है, वसूल किया जायगा, लगाया जायगा तथा अदा किया जायगा (shall be changed, levied and paid):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस जोत पर ऐसा कर नहीं लगाया जायगा जिसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक न हो ।

(२) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, उपधारा (१) के अधीन लगाये जाने वाले जोत-कर में किन्हीं जोतों के वर्ग अथवा वर्गों के सम्बन्ध में, जैसा नियत किया जाय, पूर्णतः अथवा अंशतः ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, तथा उतने बार जिन्हें वह आवश्यक समझे, कम (reduce) कर सकती है, उसम छूट दे सकती है (remit) अथवा उसे माफ (exempt) कर सकती हैं।

जोत (Land holding)

४—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त "जोत" (land holding) का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के समुच्य (aggregate) से है जो प्रत्येक कृषि वर्ष में जुलाई के प्रथम दिनांक पर क्षेत्रपति के पास अथवा उसके अध्यासन (held or occupied) में हो।

स्पष्टीकरण—(१) अविभक्त हिन्दू परिवार द्वारा अधिकृत भूमि की दशा में, वह हिस्सा जो परिवार के विभाजन पर सहभागी (coparcener) को मिले, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त प्रथक रूप से अधिकृत माना जायगा और ऐसे सहभागी की जोत का भाग माना जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक विभाजन न हो तब तक पिता तथा पुत्र अथवा पुत्र का पुत्र जिसका संतति के निम्न-क्रम में चाहे जो स्थान हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त एक ही सहभागी समझे जायेंगे।

ऐक्ट संख्या २१, १८६० ।

स्पष्टीकरण—(२) किसी निगमित संस्था (incorporated association) द्वारा, जिसके अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा एसोसियेशन, कम्पनी अथवा फर्म भी हैं, उपयुक्त भूमि एक जोत समझी जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी क्षेत्रपति द्वारा उपभुक्त अथवा अध्यासित भूमि का समुच्य सुनिश्चित करने के प्रयोजन से क्षेत्रपति द्वारा अपने—

(क) पिता या माता, अथवा

(ख) यथास्थिति पत्नी या पति, अथवा

(ग) अविवाहिता पुत्री या पुत्री की अल्पवयस्क संतति (minor child), अथवा

(घ) अल्प वयस्क पुत्र या पुत्र की अल्प वयस्क संतति, अथवा

(ङ) पुत्र की पत्नी या पौत्र की पत्नी के पक्ष में पर्याप्त प्रतिफल (adequate consideration) के बिना भूमि के हस्तांतरण को मान्यता नहीं दी जायगी और इस प्रकार हस्तान्तरित तथा गृहीता द्वारा उपभुक्त भूमि ऐसे क्षेत्रपति के जोत का अंश समझी जाती रहेगी।

५—धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति अथवा सर्वोदय मंडल द्वारा उपभुक्त जोत पर लगाया जाने वाला जोतकर, भूमि में समिति के प्रत्येक सदस्य के हिस्से पर लगाये जाने वाले ऐसे कर का समुच्य होगा मानों उस भूमि का ऐसा हिस्सा ऐसे सदस्य के पास एक पृथक् जोत हो।

सहकारी समिति द्वारा उपभुक्त जोत पर लगाया जाने वाला जोत- कर।

स्पष्टीकरण—सहकारी फार्म और सर्वोदय मंडल की दशा में पद "भूमि का हिस्सा" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो ऐसे फार्म या सर्वोदय मंडल के सदस्य द्वारा अथवा उसकी ओर से फार्म या सर्वोदय मंडल को अंशदान के रूप में दी गयी (contributed) हो।

वार्षिक मूल्य (annualvalue)

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, किसी जोत का वार्षिक मूल्य ऐसी धनराशि समझा जायगा जो तदन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों

के लिये देय ऐसे लगान के बराबर हो जो ऐसे गुणांक (multiple) से गुणित हो, जो यथा नियत साढ़े बारह से अधिक न हो, और विभिन्न जिलों अथवा जिले के भागों अथवा जोत के अन्तर्गत भूमियों के विभिन्न वर्गों के निमित्त विभिन्न गुणांक नियत किये जा सकते हैं ।

(२) उप–धारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त, देय लगान, जोत के अन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों पर लागू स्वीकृत मौरूसी दरों पर आकलित धनराशि समझा जायगा अथवा जहां स्वीकृत मौरूसी दरें न हों तो ऐसे सिद्धांतों पर आकलित धनराशि जो नियत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, दरों को, ऐसे प्रतिशत से बढ़ा सकती है, जो सौ से अधिक न हो, और जिसे सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट किया जाय और भूमि के विभिन्न वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त विभिन्न प्रतिशत निर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

अध्याय ३

जोत–कर का निर्धारण

कर-निर्धारक अधिकारी (assessing authority)

७—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त कर–निर्धारक–प्राधिकारी वह सब–डिवीजनल आफिसर होगा जिसके क्षेत्राधिकार में क्षेत्रपति साधारणतया रहता हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि प्रथम श्रेणी का कोई असिस्टेन्ट कलेक्टर जो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाय, सम्पूर्ण जिले में अथवा उसके किसी भाग में उन समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों का, जो इस अधिनियम के अधीन कर–निर्धारक–अधिकारी को प्रदत्त हों, किसी अन्य कर–निर्धारक–अधिकारी के होने पर भी अनन्य रूप से प्रयोग करे :

और प्रतिबन्ध यह है कि जहां क्षेत्रपति साधारणतया उत्तर प्रदेश में न रहता हो तो कर–निर्धारक–अधिकारी, यथास्थिति , उस परगने (sub-division) में क्षेत्राधिकारयुक्त जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जोत स्थित हो, सब–डिवीजनल आफिसर अथवा असिस्टेन्ट कलेक्टर होगा, और जब जोत एकाधिक जिलों अथवा परगनों में स्थित हो तो यथास्थिति, ऐसे सब–डिवीजनल आफिसरों अथवा असिस्टेन्ट कलेक्टरों में से कोई एक जिसे क्षेत्रपति नियत रीति से स्वेच्छया चुने और इस प्रकार प्रयुक्त स्वेच्छा (option) सिवाय ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के, जिसे नियत किया जाय, परिवर्तित नहीं की जायगी :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब पूर्वोक्त स्वेच्छा का प्रयोग न किया गया हो तथा जहां यह प्रश्न उठाया जाय कि कर–निर्धारक–अधिकारियों में से कौन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे, तो यह विषय ऐसे अधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, उसके निर्णय के निमित्त, जो अंतिम होगा, अभिदिष्ट किया जायगा ।

(२) जब क्षेत्रपति उस परगने से भिन्न परगने में, जिसमें वह साधारणतया रहता हो, कर–निर्धारण कराना चाहे तो वह ऐसी अनुज्ञा के निमित्त प्रार्थना–पत्र देगा ;

(१) यदि वह परगना जिसमें कि वह रहता हो और वह परगना जिसमें वह कर–निर्धारण कराना चाहता हो एक ही जिले में हो, तो जिले के कलेक्टर को ;

(२) किसी अन्य दशा में ऐसे अधिकारी को जिसे नियत किया जाय ;

(३) यदि उस अधिकारी के विचार में जिसे प्रार्थना-पत्र दिया गया है ऐसा करना कर–निर्धारण के सुविधा-पूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण में सहायक होगा तो उप–धारा (२) के अधीन प्रार्थित अनुज्ञा दी जा सकती है ;

(४) कर–निर्धारक–अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम अथवा तदधीन निर्मित नियमों द्वारा उसे प्राप्त हों।

जोत के ब्योरों के सम्बन्ध में नोटिस।

८—(१) कलेक्टर, प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसे दिनांक पर अथवा उसके पूर्व, जो नियत किया जाय, प्रत्येक क्षेत्रपति से जिसका जोत–कर देने का दायित्व हो, नोटिस प्रकाशित करके अपेक्षा करेगा कि क्षेत्रपति कर–निर्धारक अधिकारी के पास नियत रीति से सत्यापित विवरण (verified return) जिसमें अपने द्वारा इस रूप में उपभुक्त समस्त भूमि का क्षेत्र तथा अन्य ब्योरे उल्लिखित हों, ऐसी अवधि के भीतर जो तीस दिन से कम न हो और जिसे नोटिस में बताया गया हो, प्रस्तुत करे।

(२) प्रत्येक ऐसे क्षेत्रपति पर भी जो कर-निर्धारक-अधिकारी के मत में जोत-कर देने का उत्तरदायी हो, ऐसे रीति से जो नियत की जाय, नोटिस तामील किया जा सकता है। नोटिस के साथ–साथ कर–निर्धारक-अधिकारी एक नक्शा (Statement) भी भेजेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति की जोत का वार्षिक मूल्यांकन तथा उसके द्वारा देय करके अन्तर्कालीन (provisional) तखमीने प्रदर्शित होंगे। तखमीना ऐसे रूप में तैयार किया जायगा तथा उसमें ऐसे विवरण होंगे, जो नियत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारक-अधिकारी, स्वविवेकानुसार ऐसे विवरण के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को ऐसी अवधि के लिये, जो तीस दिन से अधिक न हो, बढ़ा सकता है।

(३) यदि क्षेत्रपति, जिस पर धारा ७ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धक के उपबन्ध लागू हों, उपधारा (१) अथवा (२) के अधीन नोटिस के अनुसरण में आय का विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह आय के विवरण के साथ एक प्रख्यापन भी प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्वोक्त प्रतिबन्धक के आशयानुसार कर–निर्धारक–अधिकारी से संबद्ध वरण (choice) भी बतलायेगा।

(४) यदि उपधारा (२) के अधीन तामील किया गया नोटिस तत्पश्चात् दोषपूर्ण पाया जाय और नये नोटिस की तामीली आवश्यक हो जाय, तो वह कर-निर्धारण-वर्ष की समाप्ति होने पर भी तामील किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पहला नोटिस ठीक समय में तामील किया गया हो।

(५) यदि इस धारा के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में धारा ७ के आशयानुसार क्षेत्राधिकार प्रयोग करने के लिये सक्षम (competent) कर-निर्धारक-अधिकारी से भिन्न कर-निर्धारक-अधिकारी

के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया गया है तो विवरण पूर्वोक्त क्षेत्राधिकार रखने वाले कर-निर्धारक-अधिकारी को संक्रमित (transfer) कर दिया जायगा।

कर-निर्धारण (assessment)

९—(१) जब कर-निर्धारक-अधिकारी का समाधान हो जाय कि धारा १८ के अधीन तैयार किया गया विवरण ठीक तथा पूर्ण है तो वह जोत का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करेगा और ऐसे विवरण के आधार पर लगाया जाने वाला जोत-कर निर्धारित करेगा ।

(२) जब कर-निर्धारक-अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ८ के अधीन तैयार किया गया विवरण अशुद्ध या अपूर्ण है तो वह विवरण भेजने वाले क्षेत्रपति से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे दिनांक को, जो निश्चित किया जाय, या तो कर-निर्धारक-अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो या अपने विवरण की पुष्टि में प्रमाण उपस्थित करे अथवा कराये।

(३) उपधारा (२) के अधीन निश्चित दिनांक पर या उस के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे साक्ष्य पर जो ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करे और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य पर जिसकी कर-निर्धारक-अधिकारी अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् कर-निर्धारक-अधिकारी जोत का वार्षिक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा तथा उस पर लगाये जाने वाले जोत–कर का निर्धारण करेगा ।

(४) जब कोई व्यक्ति धारा ८ के अधीन विवरण भेजने में असफल रहे अथवा विवरण भेजने के पश्चात् उपधारा (२) अथवा (३) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहे तो कर-निर्धारक-अधिकारी धारा ८ की उप-धारा (२) के अधीन भेजे गये तखमीनों का उचित ध्यान रखते हुए अपने सर्वोत्तम विवेक से कर-निर्धारण करेगा ।

इस अध्याय के उपबन्धों का विधिक प्रतिनिधि पर लागू किया जाना।

१०—यदि क्षेत्रपति धारा ९ के अधीन कर-निर्धारण पूर्ण होने के पूर्व मर जाय तो कर-निर्धारक-अधिकारी, नियत रीति से उसके विधिक प्रतिनिधि पर नोटिस तामील कर सकता है, और तब इस अध्याय के उपबन्ध, उस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा विधिक प्रतिनिधि मृत क्षेत्रपति हो ।

मांग की नोटिस ।

११—जब धारा ९ के अधीन कर-निर्धारण किया गया हो तो कर-निर्धारक-अधिकारी नियत आकार में नोटिस द्वारा मांग प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर-दाता द्वारा देय जोत-कर की धनराशि तथा उस दिनांक अथवा उन दिनांकों को जिन के भीतर कर दिया जाय, निर्दिष्ट करेगा ।

जोतकर कर के निर्धारण के विरुद्ध अपील ।

१२—(१) कोई भी करदाता, जो धारा ९ के अधीन निर्धारित जोत-कर की धनराशि अथवा दर के सम्बन्ध में कर-निर्धारक-अधिकारी की आज्ञा से अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर जोत-कर-देयता सम्बन्धी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह धारा ११ के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमिश्नर के यहां अपील कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कमिश्नर अपील गृहीत (admit) कर सकता है, यदि उसका

समाधान हो जाय कि उक्त अवधि के भीतर अपील न प्रस्तुत करने का समुचित कारण विद्यमान् था ।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील नियत रीति से प्रस्तुत एवं सत्यापित की जायगी ।

(४) कमिश्नर अपील पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा, जिसे वह उचित समझे, तथा इस आज्ञा की एक-एक प्रति अपीलकर्ता, कर-निर्धारक-अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, भेजेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन जोत-कर तब तक नहीं बढ़ाया जायगा जब तक कि अपीलकर्ता को कर बढ़ाये जाने के विरुद्ध कारण प्रदर्शित करने का समुचित अवसर न दिया गया है ।

पुनरीक्षण (Revision)

१३—(१) माल-बोर्ड (बोर्ड आफ रेवेन्यू) या तो स्वयं अथवा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस कर-निर्धारण-अधिकारी अथवा उस अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा, जिन्होंने वाद या अपील का निर्णय किया हो, की गयी कार्यवाहियों का अभिलेख मंगवा सकता है, यदि ऐसा प्रतीत हो कि इनमें से किसी ने विधि द्वारा अपने में अनिहित (not vested) क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है अथवा अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैधता अथवा सारवान अनियमितता की है, तथा इस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञाएं पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र किसी ऐसी दशा में नहीं लिया जायगा जिसमें आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती थी, किन्तु प्रार्थी ने उसके निमित्त नियत अवधि के भीतर अपील नहीं की;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि बोर्ड सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उस पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कोई आज्ञा पारित नहीं करेगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, जिसके विरुद्ध परिवाद (complained of) हो, प्रस्तुत किया जायगा किन्तु बोर्ड पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर अग्रेतर अवधि के भीतर (within further period) जो छः महीने से अधिक न हो, प्रार्थना-पत्र ले सकता है ।

बोर्ड की आज्ञा अन्तिम होगी ।

१४—धारा १३ के अधीन माल बोर्ड (बोर्ड आफ रेवेन्यू) द्वारा पारित कोई भी आज्ञा अन्तिम होगी । प्रत्येक ऐसी आज्ञा की एक प्रति कर-दाता, कर-निर्धारक अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, भेजी जायगी ।

पुनरीक्षण (Revision) की प्रक्रिया । यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१ ।

१५—धारा १३ के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में माल बोर्ड यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ द्वारा अथवा उसके अधीन उल्लिखित प्रक्रिया का जहां तक हो सके, अनुसरण करेगा तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, मानों धारा १३ के अधीन कोई कार्यवाही उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायिक कार्यवाही (Judicial proceeding) हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब बोर्ड के सदस्यों का मत पुनरीक्षण में की जाने वाली आज्ञा के संबंध में बराबर-बराबर विभक्त हो तो वह विषय निर्णय के निमित्त किसी तीसरे सदस्य के पास अभिदिष्ट किया जायगा ।

जोत जो कर-निर्धारण से रह गई हो (Land holding escaping assess ment)।

१६—यदि किसी कारणवश कोई जोत जिस पर जोत-कर लगाया जाना चाहिये, किसी वर्ष में कर लगाने से रह गई हो अथवा जिस पर बहुत ही कम दर से कर लगाया गया हो, तो कर-निर्धारक-अधिकारी उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय उस क्षेत्रपति पर, जो ऐसी जोत पर दिये जाने वाले कर के भुगतान का उत्तरदायी हो, ऐसा नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें धारा ८ के अधीन दिये जाने वाले नोटिस की समस्त या किन्हीं आवश्यक बातों का समावेश होगा तथा ऐसा नोटिस तामील हो जाने पर, इस अधिनियम के उपबन्ध यथा-संभव इस प्रकार लागू होंगे मानों नोटिस उक्त धारा के अधीन जारी किया गया नोटिस हो:—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर उस दर से लगाया जायगा जिसके अनुसार, यदि ऐसी जोत-कर-निर्धारण या पूर्ण-कर-निर्धारण से, जैसे भी दशा हो, रह न गयी होती, तो वह लागाया जाता।

भूल का सुधार।

१७—(१) कोई अधिकारी जिसने कर-निर्धारित करने की कोई आज्ञा अथवा यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण में कोई आज्ञादी हो तो ऐसी आज्ञा दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, किसी भी समय स्वयं या करदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ऐसी किसी भूल को जो यथास्थिति, कर निर्धारण, अपील अथवा पुनरीक्षण के अभिलेख में प्रत्यक्षत: स्पष्ट हो, सुधार सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भूल का ऐसा सुधार उस समय तक नहीं किया जायगा जब तक दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाय।

(२) यदि इस प्रकार भूल में सुधार करने से कर-निर्धारण में कमी हो जाय, तो संबद्ध कर-निर्धारक-अधिकारी अधिक धनराशि (excess amount) कर-दाता को वापस करने की आज्ञा देगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी ऐसी आज्ञा के सम्बन्ध में, जिससे कर-निर्धारण बढ़ जाता है, यह समझा जायगा कि वह आज्ञा धारा ९, १२ या १३ के, जैसी भी दशा हो, अधीन दी गई आज्ञा है तथा इस अधिनियम के उपबन्ध, जहां तक लागू हो सके, ऐसी आज्ञा पर लागू होंगे।

विविध

अध्याय ४

जोत-कर का भुगतान

जोत कर के भुगतान का दायित्व।

१८—धारा ३ के अधीन जोत पर लगाया जाने वाला जोत-कर उसके क्षेत्रपति द्वारा देय होगा।

विविध प्रतिनिधि द्वारा देय मृत क्षेत्रपति का कर।

१९—यदि क्षेत्रपति मर जाय तो उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे मृतक के आस्थान (estate) में से उस आयति तक जहां तक कि आस्थान कर देने योग्य हो, मृत-क्षेत्रपति द्वारा देय निर्धारित जोतकर अथवा अन्य जोत कर दें, जिसे यदि वह मर न गया होता तो उसे इस अधिनियम के अधीन देना पड़ता।

कर कैसे देय होगा।

२०—(१) धारा ११ के अधीन किसी मांग के नोटिस में अथवा धारा १२ या १३ के अधीन संदिष्ट किसी आज्ञा में निर्दिष्ट जोत-कर की धनराशि हो समान किस्तों में देय होगी।

(२) यथास्थिति, मांग की नोटिस दिये जाने अथवा आज्ञा संदिष्ट किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर पहली किस्त तथा पहली किस्त के देय दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, दूसरी किस्त भुगतान की जायगी ।

(३) यदि कोई किस्त उपधारा (२) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती तो यह समझा जायगा कि कर-दाता बाकीदार (in default) है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कर-दाता ने धारा १२ के अधीन अपील की हो अथवा धारा १३ के अधीन पुनरीक्षण (revision) के लिये प्रार्थना-पत्र दिया हो तो अपील सुनने वाला अथवा पुनरीक्षक-प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्रार्थना-पत्र मिलने पर ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अनुसार जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, यह आज्ञा दे सकता है कि कर-दाता के सम्बन्ध में यह समझा जाय कि वह बाकीदार नहीं है ।

अध्याय ५

विविध

शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार।
ऐक्ट सं० ५, १९०८।

२१—कर-निर्धारक, अपील या पुनरीक्षण सुनने वाले प्राधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये वही अधिकार होंगे जो वाद (suit) पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय को होते हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ अथवा सत्य-प्रतिज्ञान (affirmation) पर उसका साक्ष्य लेना ;

(ख) किसी लेख्य (document) को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना, तथा

(ग) किसी साक्षी का वक्तव्य लेने के लिये आयोग (commission) जारी करना,

ऐक्ट सं० ४५, १८६०।

तथा इस अध्याय के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष की गयी कोई ऐसी कार्यवाही इन्डियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के निमित्त भी "न्यायिक कार्यवाही" (Judicial proceeding) समझी जायगी ।

कर के भुगतान के सम्बन्ध में बाकीदार होने पर दण्ड ।

२२—(१) यदि कर-दाता जोत-कर के भुगतान का बाकीदार हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी स्वविवेक से यह आदेश दे सकता है कि कर-दाता से बकाया धनराशि के अतिरिक्त ऐसी धनराशि भी शास्ति (penalty) के रूप में वसूली जाय जो उस धनराशि के चौथायी भाग से अधिक न हो ।

(२) कर-दाता पर मांग का नोटिस, जिस में शास्ति की धनराशि प्रदर्शित रहेगी, नियत रीति से तामील किया जायगा ।

दण्ड के विरुद्ध अपील ।

२३—यदि कोई कर-दाता जिसे धारा २२ के अधीन अपने पर लगायी गयी शास्ति की धनराशि पर आपत्ति हो अथवा जो ऐसे शास्ति के निमित्त किसी दायित्व को न मानता हो , उक्त धारा के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमिश्नर को अपील कर सकता है और तब धारा

१२ की उपधारा (२) से (४) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १२ के अधीन की गयी अपील अथवा धारा १३ के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर धारा १० के अधीन किया गया कर-निर्धारण रद्द कर दिया जाय अथवा जोत-कर की धनराशि कम कर दी जाय तो धारा २२ के अधीन लगायी गयी शास्ति, जैसी भी स्थिति हो अपलिखित (written off) अथवा आनुपातिक रूप से कम की हुई समझी जायगी ।

इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि की वसूली ।

२४—(१) कर-निर्धारक-अधिकारी की प्रार्थना पर कलेक्टर,

(क) जब कि कोई कर-दाता बाकीदार हो तो जोत-कर के रूप में निर्धारित धनराशि को, तथा

(ख) धारा २२ के अधीन शास्ति के रूप में लगायी गयी किसी धनराशि को उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानों वह माल-गुजारी की बकाया (as arrears of land revenue) हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १४६ के खंड (सी०), (ई०), (एफ०) या (एच०) अथवा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २७९ के खंड (ग) और (च) में उल्लिखित प्रसर (processes) उक्त ऐक्टों की उक्त धाराओं में उल्लिखित अन्य प्रसरों के समाप्त हो जाने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे ।

यू० पी० अधिनियम सं० ३, १९०१। उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१।

(२) इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि को वसूल करने की कोई कार्यवाही उसके देय होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ नहीं की जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर अभिदिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना :

(१) यदि कर-दाता धारा २० की उपधारा (३) के प्रतिबन्धक के अधीन जब तक उसकी अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) अनिस्तारित (undisposed of) रहे बाकीदार नहीं समझा गया हो तो उस दिनांक से की जायगी जिस पर अपील अथवा पुनरीक्षण का निस्तारण हो जाय ;

(२) यदि किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी की आज्ञा से किसी मामले में वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हो, तो उस दिनांक से की जायगी जिस पर आज्ञा वापस ली गयी हो, और

(३) यदि किसी प्राधिकारी द्वारा जोत-कर भुगतान करने का दिनांक बढ़ा दिया गया (extended) हो, तो उस दिनांक से की जायगी जिस तक भुगतान के लिये समय बढ़ाया गया हो ।

दीवानी न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिबन्ध ।

२५—इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित करने के लिये कोई भी वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायगा तथा किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जिसे उसने इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया हो, अथवा जिसे इस प्रकार करने का अभिप्राय हो, कोई भी अभियोग या वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और न कोई दूसरी कार्यवाही की जा सकेगी ।

अधिकारी का प्रतिनिधायन (delegation)।

२६—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी, को इस अधिनियम द्वारा अपने को मिले कोई भी अधिकार, ऐसे निरोधों अथवा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जांय, प्रयोग करने के निमित्त प्रतिनिहित (delegate) कर सकती है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति।

२७—कोई भी क्षेत्रपति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना हो या उपस्थित होने का अधिकार हो, तो वह स्वयमेव, व्यक्तिगत रूप से अथवा यथोचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा (through a duly authorized agent) उपस्थित हो सकता है।

नोटिस की तामीली। ऐक्ट सं० ५, १९०८।

२८—इस अधिनियम के अधीन कोई भी नोटिस अथवा मांग-पत्र (requisition) तद्धीन नामोदिष्ट व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा तामील किया जा सकता है मानों वह कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन प्रचारित समन (आह्वान-पत्र) हो।

निरसन (repeals) युक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९। यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४।

२९—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से १९४८ ई० का युक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट निरस्त (repeal) हो जायगा।

(२) यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ में किसी बात के रहते हुए भी उपधारा (१) के अधीन निरसन (repeal) का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं होगा—

(क) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट का कोई पूर्व व्यापार (operation) अथवा उसके अधीन की गई या सहन की गई कोई बात (anything done or suffered thereunder); अथवा

(ख) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट के अधीन उपार्जित (acquired), उत्पन्न (accrued) या उपगत (incurred) कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व; अथवा

(ग) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई शास्ति (penalty), जब्ती (forfeiture) या दण्ड, अथवा

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व शास्ति (penalty), जब्ती या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान (investigation), विधिक कार्यवाही (legal proceeding) या प्रत्युपाय (remedy); और ऐसा कोई अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही अथवा प्रत्युपाय (remedy) प्रारम्भ किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है मानों यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

नियम बनाने का अधिकार।

३०—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन, नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्

(क) वे सिद्धान्त जिनके आधार पर और वह रीति जिसके अनुसार, धारा ३ के अधीन कर कम किया जाये, उसमें छूट दी जाये या उसे मुक्त किया जाये;

(ख) ऐसे विवरण-पत्र का आकार (form) जो धारा ५ के अधीन प्रस्तुत किया जाय और उस को प्रस्तुत करने की रीति ;

(ग) प्रख्यापन (declaration) का आकार (form) जो धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किया जाये;

(घ) वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर और रीति, जिसके अनुसार स्वीकृत मौरूसी दरों में धारा ६ के अधीन वृद्धि की जाय;

(ङ) प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा ९ के अधीन कर निर्धारित किया जायगा;

(च) उन नोटिसों (सूचनाओं) के आकार जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी करने आवश्यक हों और उनके प्रकाशन की रीति;

(छ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य व्यवहारों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि;

(झ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हिसाब की बहियों तथा अन्य रजिस्टरों, विवरणों (returns) तथा नक्शों (statements) को रखने की प्रक्रिया और उनका आकार (form);

(ट) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी और प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ठ) एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रमण (transfer); तथा

(ड) ऐसे विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगें जिन्हें विधान मंडल अपने उस सत्र में करें जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

जोत-कर की दर

१---वार्षिक मूल्यांकन के पहले १,८०० रु० पर ..	कुछ नहीं
२---उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ३,२०० रु० पर ..	प्रति रु० ५ नये पैसे
३---उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ५,००० रु० पर	प्रति रु० १२।। नये पैसे
४---उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ५,००० रु० पर	प्रति रु० २० नये पैसे
५---उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,००० रु० पर	प्रति रु० ३० नये पैसे
६---उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,००० रु० पर	प्रति रु० ४५ नये पैसे
७---वार्षिक मूल्यांकन के अवशेष (Balance) पर ..	प्रति रु० ६० नये पैसे

उपर्युक्त दरें इन प्रतिबन्धों के अधीन हैं कि:---

(क) यदि वार्षिक मूल्यांकन ३,६०० रु० से अधिक न हो तो जोत-कर देय न होगा, तथा

(ख) यदि वार्षिक मूल्यांकन ५,००० रु० से अधिक न हो तो देय जोत-कर उस राशि के आधे से अधिक नहीं होगा जो ३,६०० रु० के वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर हो।

उद्देश्य तथा कारण

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सफल कार्यान्वय के निमित्त राज्य के राजस्व का बढ़ाना आवश्यक हो गया है। कृषि आयकर अधिनियम जो जमींदारी प्रथा के काल में बनाया गया था जमींदारी विनाशोत्तर काल के संदर्भ में अनुपयुक्त हो गया है। हमारे संविधान में निहित सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के लिये आवश्यक है कि कृषि-आय संबंधी विषमताएं दूर हों। राज्य के खाद्योत्पादन की वृद्धि के निमित्त कृषि जोतों का अधिकाधिक दक्ष सुप्रयोग आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रपतियों को जो समाज के प्रति अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करते अपना कारबार समाप्त करना पड़ेगा और उन्हें करना ही चाहिये यदि वे इस विधायन के अधीन सरकारी खजाने को जोत-कर के रूप में और अधिक अंशदान नहीं कर सकते। इस लक्ष्य से कृषि आय-कर ऐक्ट, १९४८ निरस्त किया जा रहा है, और यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

२---इस विधेयक द्वारा उन सभी जोतों पर कर लगाने का प्रस्ताव है जिनकी वार्षिक आय ३,६०० रु० से अधिक हो। ३० एकड़ से कम भूमि जोतने वाले काश्तकार को कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यह विधेयक इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसका प्रभाव छोटे काश्तकारों पर न पड़े। यह प्रस्ताव है कि क्रमागत मान के अनुसार कर लगाया जाय जिससे जितनी बड़ी जोत हो उतना ही अधिक कर लगाया जा सके।

चरणसिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---१५० एल० ए०---१९५७---७९६।